

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2018—भाद्र 30, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2018

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3930-इक्कीस-ब (दो)-2018.—राज्य शासन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर में इस विभाग के आदेश क्र. 3226, दिनांक 28 जुलाई 2018 द्वारा निरन्तर किये गये समस्त विधि अधिकारियों को, उपरोक्त दिनांक से आगामी 06 माह के लिये अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)-3523.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017, बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री विजय पाल सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री मेहताब सिंह चौहान (मेरिट क्र. 20) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री विजय पाल सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री मेहताब सिंह चौहान का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 20 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

6011

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)-4298.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017, बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री अनिल भारद्वाज पुत्र स्व. श्री मुंशी राम शर्मा (मेरिट क्र. 13) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अनिल भारद्वाज पुत्र स्व. श्री मुंशी राम शर्मा का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 13 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है।

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)-3516.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017 बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री लखविन्दर सिंह सूद पुत्र श्री अमर सिंह सूद (मेरिट क्र. 22) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री लखविन्दर सिंह सूद पुत्र श्री अमर सिंह सूद का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 22 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)-4297.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2016 की चयन सूची दिनांक 25 अक्टूबर 2016 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बंदी प्रसाद श्रीवास्तव (मेरिट क्र. 04) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बंदी प्रसाद श्रीवास्तव का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 04 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है।

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)-3525.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017, बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री नरोत्तम नरेश कुमार कौरव पुत्र स्व. श्री मंगल सिंह कौरव (मेरिट क्र. 29) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री नरोत्तम नरेश कुमार कौरव पुत्र स्व. श्री मंगल सिंह कौरव का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 29 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है।

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)-3515.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017, बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित

अभ्यर्थी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बाल कृष्ण जाटव (मेरिट क्र. 60) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बाल कृष्ण जाटव का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 60 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है।

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)-3521.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017, बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री नंद किशोर साहू पुत्र श्री लखन लाल साहू (मेरिट क्र. 58) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री नंद किशोर साहू पुत्र श्री लखन लाल साहू का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 58 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है।

फा. क्र. 3(बी) 3-2016-इक्कीस-ब(एक)-4296.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2015 की चयन सूची दिनांक 16 अगस्त 2016 में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री संजय द्विवेदी पुत्र श्री अमृत लाल द्विवेदी (मेरिट क्र. 25) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री संजय द्विवेदी पिता श्री अमृत लाल द्विवेदी का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 25 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3764, 3256-इक्कीस-ब(दो)-2018.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक सत्र संभाग में, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम), 2016 (2016 का 49) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय में मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 57 अन्तर्गत विशेष प्रकरणों के संचालन के लिये, प्रत्येक सत्र संभाग में पदस्थ उपसंचालक, अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, को एतद्द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

यह अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2018

सूचना

क्र. एफ-3-39-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1151-वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 28 फरवरी 2018 द्वारा प्रकाशित सीधी विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सीधी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, सीधी जिला सीधी मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सीधी मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सीधी विकास योजना 2011.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	6	सारणी 6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	सारणी 6-सा-14	07	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार।

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

क्र. एफ-3-41-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1164-वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 28 फरवरी 2018 द्वारा प्रकाशित चित्रकूट विकास योजना 2005 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार चित्रकूट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2005 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, सतना, जिला सतना मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, चित्रकूट मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सतना मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चित्रकूट विकास योजना 2005.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि	7 7	सारणी 7-सा-5 सारणी 7-सा-5	4 07	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा ***, एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार।

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

क्र. एफ-3-61-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1786-वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 31 मार्च 2018 द्वारा प्रकाशित रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रामपुर बाघेलान निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, सतना, जिला सतना मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, रामपुर बाघेलान मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सतना मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि	6	सारणी 6-सा-13	4	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
			6	सारणी 6-सा-13	07	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2018

क्र. एफ-3-95-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा आलोट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त, उज्जैन, संभाग, उज्जैन मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आलोट मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2018

क्र. एफ-3-95-2012-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. एफ-3-95-2012-बत्तीस, दिनांक 5 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal the 5th September 2018

No. F-3-95-2012-XXXII.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan 2031 for Alot Planning Area, under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Ujjain Division, Ujjain Madhya Pradesh.
2. Collector, Ratlam Distt., Ratlam Madhya Pradesh.
3. Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat Alot, Madhya Pradesh.
4. Assistant Director, Town & Country Planning Distt. Office Ratlam, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazette under section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2018

क्रमांक 2013-2093-2017-पैतीस.—राज्य शासन द्वारा राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में दिनांक 28 जनवरी, 2018 को आयोजित नवनियुक्त पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों की विभागीय परीक्षा में निम्नलिखित अधिकारियों को उत्तीर्ण किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	डॉ. श्रद्धा परिहार	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
2	डॉ. स्वाती तिवारी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
3	डॉ. पवन सिसौदिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
4	डॉ. सुनील कुमार	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
5	डॉ. मनोज अहिरवार	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
6	डॉ. राजेश दीवान	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
7	डॉ. शिवानी बान्ते	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
8	डॉ. मनीष चौहान	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
9	डॉ. के. के. डामोर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
10	डॉ. खेमचन्द भालेकर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
11	डॉ. अनिल अर्गल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
12	डॉ. अंकुश किरण निरंजन	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
13	डॉ. ज्योत्सना शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
14	डॉ. कमलेश कुमार चौधरी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
15	डॉ. डी. के. धानक	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
16	डॉ. विनीत पाटीदार	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
17	डॉ. रश्मि गोयल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
18	डॉ. सोनल श्रीवास्तव	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
19	डॉ. बी. के. शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
20	डॉ. ब्रिजेन्द्र शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
21	डॉ. अंशुल खरे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
22	डॉ. मोतीलाल प्रजापति	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
23	डॉ. बी. पी. अहिरवार	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
24	डॉ. राकेश शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
25	डॉ. मोहिता राय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
26	डॉ. बी. के. मुड़िया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
27	डॉ. राजेश कुमार शेण्डे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
28	डॉ. अंजली सिंह	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
29	डॉ. शोभना कौशल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
30	डॉ. अनुपम चतुर्वेदी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
31	डॉ. एन. एस. कुलस्ते	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
32	डॉ. दीप्ती कावड़े	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
33	डॉ. अतुल शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
34	डॉ. स्वदेश थापक	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
35	डॉ. विनोद कुमार शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
36	डॉ. ब्रजमोहन शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
37	डॉ. खुशबू ऋषीश्वर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
38	डॉ. ललिता तिवारी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
39	डॉ. बिलकेश शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
40	डॉ. रजनीश शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
41	डॉ. मधुलता शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

(1)	(2)	(3)
42	डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
43	डॉ. सन्दीप मौर्य	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
44	डॉ. एस. के. शाक्य	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
45	डॉ. महेश सिंह सिसौदिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
46	डॉ. जी. एस. गहलोत	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
47	डॉ. के. के. शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
48	डॉ. रामनिवास शाक्य	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
49	डॉ. एन. एस. राजपूत	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
50	डॉ. जे. एस. नरवरिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
51	डॉ. हरबीर सिंह धाकरे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
52	डॉ. मनोज कुमार शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
53	डॉ. श्रद्धा श्रीवास्तव	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
54	डॉ. अवधेश प्रताप प्रजापति	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
55	डॉ. राकेश कुमार सोनी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
56	डॉ. दीप्ती गुप्ता	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
57	डॉ. मीनाक्षी पटेरिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
58	डॉ. पी. डी. पाल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
59	डॉ. जयश्री नेमा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
60	डॉ. पंजाब सिंह	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
61	डॉ. राजेश तोमर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
62	डॉ. अंकिता जैन	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
63	डॉ. भारत सिंह सागर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
64	डॉ. जीतेन्द्र कुमार प्रजापति	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
65	डॉ. रवि कुमार कटारिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
66	डॉ. के. के. गुप्ता	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
67	डॉ. शिरीन दुबे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
68	डॉ. निशा पटेल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
69	डॉ. सुरेन्द्र सिंह तेकाम	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
70	डॉ. कुश श्रीवास्तव	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
71	डॉ. सरला सिंह बोरकर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
72	डॉ. ज्योति कुरील	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
73	डॉ. पूजा जोल्हे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
74	डॉ. विजय मानेश्वर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
75	डॉ. अनिल कुमार केवट	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
76	डॉ. अमित रायकवार	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
77	डॉ. हीरेश कुमार भलावी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
78	डॉ. मीनाक्षी सुगन्धी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
79	डॉ. रमेश भूरिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
80	डॉ. पूजा महोबे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
81	डॉ. एस. सी. त्रिपाठी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
82	डॉ. साकेत कुमार मिश्रा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
83	डॉ. बी. एस. करोलिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
84	डॉ. रश्मि देवी चन्द्राकर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
85	डॉ. फिरदोस सुल्ताना कादरी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
86	डॉ. बी. डी. मुकाती	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
87	डॉ. बी. पी. गौर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
88	डॉ. पूजा गौर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
89	डॉ. यशपाल चौहान	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
90	डॉ. रामकेश यादव	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभिषेक सिंह, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2018

क्रमांक-आर-1868-957-2018-दस-2.—मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 17 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जैव संसाधनों तक पहुंच के लिए लाभ प्रभाजन (अनुमोदन प्रदान करने) हेतु व्यापारियों एवं विनिर्माताओं के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

अ. व्यापारियों तथा विनिर्माताओं से अनुबंध—

1. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मंडल या सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मंडल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (सम्पूर्ण मध्यप्रदेश).

ब. व्यापारियों से अनुबंध—

1. समस्त क्षेत्रीय संभागीय वनमण्डलाधिकारी या पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मंडल (अपनी अधिकारिता के भीतर).

No. R-1868-957-2018-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 17 of the Madhya Pradesh State Biodiversity Rules, 2004, the State Government, hereby, authorizes the following Officers to sign Benefit Sharing Agreement for Access to Biological Resources (Grant of Approval) with Traders and Manufacturers, as under :—

A. Agreement with Traders and Manufacturers—

1. Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board, or Officer authorized by Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board (Whole Madhya Pradesh).

B. Agreement with Traders—

1. All Territorial Divisional Forest Officer or Ex-Officio Assistant Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board (Within Jurisdiction).

क्रमांक आर-1868-957-2018-दस-2.—मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 17 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/संभागीय वन मंडलाधिकारी को निम्नानुसार मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मंडल के पदेन अधिकारियों के रूप में घोषित करती है, अर्थात् :—

- | | |
|---|---|
| 1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्राधिकारिता) | पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मण्डल |
| 2. वन संरक्षक/संभागीय वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्राधिकारिता) | पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मण्डल |

No. R-1868-957-2018-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 17 of the Madhya Pradesh State Biodiversity Rules, 2004, the State Government, hereby, declares all Territorial Chief Conservator of Forests and all Territorial Conservator of Forests/Divisional Forest Officers as Ex-Officio Officers of Madhya Pradesh State Biodiversity Board as under namely :—

- | | |
|---|---|
| 1. Chief Conservator of Forests (Territorial) | Ex-Officio Joint Member Secretary, Madhya Pradesh, State Biodiversity Board. |
| 2. Conservator of Forests/Divisional Forest officer (Territorial) | Ex-Officio Assistant Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना संशोधित

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2018

क्र. 2130-2003-2018-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	महिला सदस्य (3)	सदस्य (4)
1	मुरैना	श्रीमती डॉ. नीरज गुप्ता	श्री राकेश शिवहरे
2	डिण्डौरी	—	श्री लल्ला यादव
3	शिवपुरी	श्रीमती प्रतिभा पाण्डे	श्री रामभजन राठौर
4	खण्डवा	श्रीमती श्वेता जैन	—
5	बालाघाट	श्रीमती नमिता चिले	डॉ. नीरज अरोरा
6	दमोह	—	श्री सुधीर जैन विद्यार्थी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 57-अ-82-2017-18 मौजा निम्बोटी-7142

बैतूल, दिनांक 11 जून 2018

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	निम्बोटी	2.259	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग मुलताई	घाटबिरोली लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	पुन्नी चुन्नी व. मैजू मथुरा चतुरा पिता मैजू जाति गोंड पता निवासी ग्राम	77/3	2.023	0.084
2	महादेव व. पुनु बन्नी बेवा पुनु सीता पिता पुनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम कविता बेवा नेहरू रोहित वैशाली ना.बा. पिता नेहरू वली मां कविता जाति गोंड पता निवासी ग्राम	80/13 98	1.3 3.363	0.065
3	रामरती जौ. रतन जाति पवार पता निवासी ग्राम सांवगा भूमिस्वामी	99/1	1.869	0.139
4	फागुलाल व. छतन सुग्गा मनोति रूखमनी छांन्धो पिता छतन गोलू राजकुमार व. रघुनाथ ज्योति पिता रघुनाथ शांता बेवा रघुनाथ पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	99/3	1.987	0.125

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
5	प्रारबती बेवा महादेव रामदयाल कैलाश व. महादेव इन्दू बाया पिता महादेव पता नि. ग्राम	99/4	0.625	0.163
6	सुभाष व. अजाबराव पुष्पा तुलसी बेवी सुरेखा पिता अजाबराव जाति कुन्बी पता सा. देह	95/2	0.841	0.037
		114/2	0.364	0.07
7	नत्थू बालाजी गेन्द्रराव व. जैराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	114/6	0.85	0.102
8	हरिभाऊ अनिक व. दुन्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	114/3	0.5	0.065
9	प्रेमलाल व. नानक पता सा. देह भूमि स्वामी	142/2	0.364	0.07
10	कमला पि. केशोराव कौशी बेवा केशोराव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	142/3	0.316	0.121
11	मुन्न बेवा चिरोजी बजुलाल गौगड़ व. चिरांजी तुलसा गोले पिता चिरोजी रामरती बेवा वामन हेमराज सुदामा व. वामन भोमा व. चैतराम रामकली पिता मिश्री ओझा कैलाश जगदीश सदया व. अमीलाल गोडन पिता अम्मीलाल बन्ती पिता अमीलाल नत्थू व. हियदय पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146	0.841	0.148
12	लीलावती पिता बापू जाति गोंड पता सा. देह	144	0.121	0.067
13	मोहनलाल गुलबू विपत व. गर्जन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गर्जन तुलस बेवा रतन एकनाथ शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन	145	0.162	0.032
		247	0.202	0.048

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
14	मुन्ना शंकर अमरलाल परसराम व मोहनू नान्ही पिता मोहनू मोहनलाल गुलबू विपत व. गरजन तुलस बेवा रतन एकनाथ शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गरजन हीरा मीरा पिता दमडया बंशीलाल व. नौखे भागा सुग्गा पिता नौखे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	140/1	0.8	0.06
15	रामप्रसाद व. दमडया जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	140/2	0.132	0.056
16	अजाबराव व. बैनी मानिकराव व. उदोबा अमृत नामदेव सहादेव व. पैगू गजानन्द व. बाबू कैलाश सुभाष व. रामराव शिवशंकर व. लुन्गा आलोखी पिता लुन्गा हदारका बेवा रामराव रामजी व. सिन्धू आशा विद्या चन्द्रकला पिता रामराव रामजी व. झिंगू शांता पिता झिंगू अरुण कुमार संजय कुमार व. गुलाबराव सुशिला अनिता सुनिता पिता गुलाबराव मैना बे. गुलाबराव रामराव गुलाब किसन शिवशंकर अलोखी पिता लूंगा भूमि स्वामी निवासी ग्राम	222/1	1.121	0.153
17	रमली दवना दुल्लो बेलो गुजरी पिता डोमा बंशीलाल व. नौखे भागा लुन्गा पिता नौखे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	249	0.138	0.032
		251/1	1.032	0.223
18	नारायण व. गोहू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	248	0.202	0.046
19	नत्थू व. छोटेलाल जाति गौली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	243/4	0.175	0.028
		243/9	0.303	0.042

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
20	मन्ना व. राधे पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	243/5	0.25	0.065
21	राम किशोर पि. छोटेलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	243/6	0.304	0.097
		243/8	0.175	0.051
22	बलराम बलवंत श्रावण व. धन्नु शिवकली चंपा पिता धन्नु जाति गौली सा. देह	243/12	0.25	0.07
कुल योग			20.61	2.259

1- चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 58-अ-82-2017-18 मौजा-सावंगा-1741

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	सावंगा	3.051	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	घाटबिरोली लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	बुधराव अश्विन व. मंचितराव सकुन बे. मंचितराव वंदना अर्चना कल्या पिता मंचितराव रामजी व. केशो गंगाधर व. मारोती पंजाबराव अजाबराव नारायण व. गुलाबराव गोपी बे. मारोती गंगा बे. नत्थू चन्द्रकला कमला सिन्धु गुन्ता प्रमिला उमा पि. नत्थू सुरत व. मयाराम गुलाबराव व. शिवजी तेजी व. रघु पता निवासी ग्राम भूमि	318	1.675	0.112
2	रामप्रसाद व. चेपा अनुसया पि. चेपा लहया व. पारन्या मैना कला पि. पारन्या फगनू सुधिर सुभाष सुरेन्द्र व. सावन्या कला बे. सावन्या लता पि. सावन्या नवल किशोर शंकर कमलेश व. छोटेलाल जाति पवार पता सा. देह	319	2.667	0.167

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
3	रामप्रसाद व. चेपा अनुसया पि. चेपा जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	321/1	1.06	0.065
4	लहया व. पारन्या कंला पि. पारन्या हेमराज भीमराज व. रफूजी प्रमिला निर्मला पिता पिता रफूजी जाति पंवार पता सा. देह	321/2	1.061	0.028
5	सुधाबाई जौ. सुरजु पता सा. मुलताई	322/2	0.4	0.102
6	बाया बेवा सालक श्यामलाल गुलाब व. चैतराम मैना कुशमा पिता चैतराम कंला बेवा अंधु रामजी सरजू चिरोजी व. लोटन धाराश्याम गोकुल व. इंदल ऊषा आशा रुशिया पिता इंदल जाति	322/4	1.412	0.07
		322/7	0.512	
7	बारक्या व. गजमल बाजेराव व. नन्दराम कंला बे. अन्धु कारी उजरी पिता अन्धु जाति भोयर पता सा. देह	324/1	1.08	0.046
8	बसन्तराव व. नन्दराम सा. देह	434	2.1	0.167
9	लक्ष्मण मारोती व. किसन जुगना सामनू पिता किसन जाति भोयर पता सा. देह	420/1	1.17	0.051
10	श्यामु व. छुट्टन जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	421/1	0.429	0.232
		365/1	0.18	0.102
11	जैतूल बे. मारोती दशरथ कैलाश सुरेश अमर व. मारोती सुमन सैदो संशीला नान्ही पिता मारोती नुगना सायन पिता किसन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	431	0.563	0.158
12	नारायण व. रामा जाति पंवार पता सा. देह	415/2	0.15	0.074
13	मारोती रतन व. साजू हीरालाल साहेबलाल सुन्दरलाल प्यारेलाल बिहारीलाल व. मना पुनिया पिता मना पता सा. देह	415/1	1.8	0.042
		415/3	0.613	0.065

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
14	मंचितराव व. मारोती पंजाबराव अजाबराव नारायण व. गुलाबराव निर्मला पिता गुलाबराव गोपी बे. मारोती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	327/1	3.194	0.172
		312/5	5.181	0.348
15	भीमराव शंकर आनंदराव सुधाकर व. रामजी जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/1	6.723	0.218
16	जैना बेवा नान्हू पता सा. देह	330/1	0.332	0.069
17	तुरती उर्फ लुखी जौ. बोल्या रुखमी बे. किसन मारोति परसराम लखन गुलाब संजय व. बोल्या पूर्णा पिता बोल्या कौशल्या बे. बोल्या जाति पंवार पता सा. देह	330/3	0.274	0.116
		330/2	0.273	0.032
18	भैया शेषराव व. रामराव लक्ष्मी बेवा रामराव टेमरी व. भैया कारी जौ. मनीराम नत्थू व. घनश्याम देवकी बे. भैया सा. देह	330/4	0.273	0.116
19	बोल्या व. किसन जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी	555/2	0.809	0.028
		355/3	0.34	0.023
20	बसन्तराव बाजीराव व. नन्दराम देवना पूर्णा पिता नन्दराम लहया छोटे व. पारन्या कला मैना पिता पारन्या सा. देह भूमि स्वामी	356/1	0.46	0.042

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
21	गंगाधर व. मारोती पंजाबराव अजाबराव नारायण व. गुलाबराव बुधराव अश्विन व. मंचितराव वंदना अर्चना कल्पना पिता मंचितराव शकुन बे. मंचितराव जाति कुन्बी	361/6	0.89	0.139
22	रतन लखन व. रामलाल शांता जया रखिया पिता रामलाल जाति भोयर पता सा. देह	384/4	0.108	0.032
23	सुन्दरलाल व. भीलू जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	383	0.235	0.235
कुल योग			35.964	3.051

1- चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल मध्यप्रदेश

क्र. 74-अ-82-17-18-भू-अर्जन-गांगई-9910

बैतूल, दिनांक 10 अगस्त 2018

म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा जारी क्रय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा गांगई लघु जलाशय के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम गांगई प. ह. न. 64 तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बरो की भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किये गये है :-

स.क्र.	खसरा न.	रकबा हे. में	आवेदक विभाग द्वारा क्रय किये जाने वाला अर्जित रकबा हे. में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	34/4	0.809	0.303	पैकू व० मलकू कैलाश ना०बा० व० रावजी वलि पिता रावजी पवार सा० दुनावा भूमिस्वामी
2	43	8.466	1.000	रूपलाल शिवरतन व० तेजी नारायण प्रहलाद रघुनाथ व० गोरू लीला पिता गोरू गौरी बेवा शंकर अजय विजय राजेश व० शंकरलाल परमिला उमिला अन्जू पिता शंकरलाल सा० देह भूमिस्वामी
3	44	1.833	0.162	गिटीर व० बारीक रामजी गोकुल कमलेश व० टुटकू कला कमल परबत माहो लीला प्रमिला पिता टुटकू झुम्मक लखन प्रहलाद राकेश व० रतन मीना गुन्ता संगीता पिता रतन सम्पतबाई बेवा रतन पवार सा. दुनावा भू-स्वामी
	46	4.140	0.506	
4	47	2.469	2.000	झुम्मक लखन प्रहलाद राकेश व० रतन मीना गुन्ता संगीता पिता रतन सम्पतबाई बेवा रतन पवार सा. दुनावा भू-स्वामी
5	48	0.756	0.756	मुलर बेवा नान्हू पंजू सुखराम मधु मनोहर किशोर व० नान्हू धम्मा पिता नान्हू सा. देह भू-स्वामी
6	49/1	0.984	0.984	ओझा व० ढोण्डू पवार सा. दुनावा भू-स्वामी
7	49/2	0.985	0.580	केशोराव व० ढोण्डू पवार सा० दुनावा भू-स्वामी
8	49/3	0.985	0.809	लक्ष्मण व० ढोण्डू पवार सा. दुनावा भू-स्वामी
9	50	3.099	0.707	धनीसिंग बलसिंग व० जगनू गोंड सा. देह भू-स्वामी
10	51/1	0.790	0.081	बलसिंग व० जगनू गोंड सा० देह भूमिस्वामी
	51/8	1.191	0.446	
11	51/3	0.061	0.061	धनीसिंग वल्द जगनू जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
	51/7	1.191	0.081	
12	51/2	0.061	0.061	महाताप ओझा व० बलकरण रन्नो बन्नो पिता बलकरण केजो बेवा बलकरण गोंड सा० देह
	51/6	1.191	0.081	
13	52/1	3.237	0.041	चतुर व शोभाराम पवार सा० दुनावा भूमि स्वामी

स.नं.	खसरा न.	रकबा हे. मे	आवेदक विभाग द्वारा कय किये जाने वाला अर्जित रकबा हे. मे	धारक का नाम
1	2	3	4	5
14	53	1.546	1.546	झुग्मकलाल व आत्माराम कलार सा०दुनावा भूमि स्वामी
15	66/1	2.275	0.202	कचरू व नाबू रेसूल कौशल पिता नाबू धर्मेन्द्र व रंगलाल रम्बा माया कुसुम गुजो अमरा पिता रंगलाल रत्तो बेवा रंगलाल भीमराव अर्जुन नकुल व चिन्धु सुशिला पिता चिन्धु सुन्दर बेवा चिन्धु सा० मेला मुनेश व चैतराम चंदा वंदना पिता चैतराम रंगी बेवा गुसाई आनंदराव अशोक मोहन सुरेश व गुसाई इमला पिता गुसाई सा० भूमि स्वामी
16	66/2	2.274	2.000	बोंदरू व० फकिरिया कचराबाई फगनीबाई कलस्याबाई इंदिराबाई पिता फकिरिया सा. देह भू-स्वामी
17	67	0.235	0.235	रत्तो बेवा रंगलाल भीमराव अर्जुन नकुल व० चिन्धू गोसाई व० जुगन महेरा सा. देह भू-स्वामी
18	69/1	1.659	1.659	गणेश व० घसीट पाचो बेवा घसीटन सुशीला रूपवती कोशल सुमन दमंती पिता घसीट रमेश मोहन खेमराज व० रामचंद्र मिदलो बेवा रामचंद्र फूलावती सेवती मोहबती कमल विमल पिता रामचंद्र नाई सा. देह भू-स्वामी
19	69/3	1.214	1.214	कुसुम पति रमेश नाई सा० दुनावा भूमिस्वामी
20	70	1.898	1.405	भिन्या व० ढोण्डिया मेहरा सा० देह भूमि स्वामी
21	71	1.048	0.081	संगीता पति जगमोहन अग्रवाल सा० मुलताई भूमिस्वामी
22	74/14	1.214	0.202	मंदराजी व० बिनर गोंड सा० देह भूमिस्वामी
23	74/15	1.214	0.202	सदिया बेवा सुखराम कृष्णा लखन जयपाल नेपाल व० सुखराम मुन्नी झुन्नी यशोदा पिता सुखराम सा० देह भूमिस्वामी
24	74/16	1.012	0.607	जानकी बेवा जियालाल सुमरलाल रतन व० जियालाल गोंड सा०देह भूमिस्वामी
25	305	1.012	1.012	बोंदरू व० फकिरिया मेहरा सा. देह भू-स्वामी
26	308	9.275	5.275	गुरू व बिहारी पारबती बेवा रामेश्वरदयाल अग्रवाल सा० मुलताई भूमि स्वामी (लक्ष्मीनारायण मन्दिर मुलताई प्रबंधक श्रीमान कलेक्टर साहब बैतूल)
27	68/3	1.053	1.053	कैलाश व सुखलाल कलसिया बेवा सूखलाल रामवती पार्वती लक्ष्मी पिता सुखलाल लोहार सा०देह भूमि स्वामी
	68/14	2.178	2.178	
28	68/4	0.142	0.142	श्यामराव व फकिरिया लोहार सा०देह भूमि स्वामी
	68/6	0.142	0.142	
	68/8	0.137	0.137	
	68/10	0.343	0.343	
	68/12	0.405	0.405	
	68/16	0.305	0.305	

स.क.	खसरा न.	रकबा हें. में	आवेदक विभाग द्वारा कय किये जाने वाला अर्जित रकबा हे. मे	धारक का नाम
1	2	3	4	5
29	68/5	0.202	0.202	समरथ व फकिरया लोहार सा0देह भूमि स्वामी
	68/2	0.171	0.171	
	68/7	0.243	0.243	
	68/9	0.405	0.405	
	68/11	0.205	0.205	
	68/13	0.190	0.190	
	68/15	0.200	0.200	
30	75/1	0.093	0.093	येदा मुल्लर-झुल्लर सुमन पिता फकिरया रामप्यारी बेवा राधेलाल पंजाब कैलाश व राधेलाल गीता लक्ष्मी सुमत्रा सुशिला फगनी पिता राधेलाल सुरेश नरेश व घुडिया निर्मला शर्मिला पिता घुडिया पवार सा0दुनावा भूमि स्वामी
31	75/2	0.093	0.093	पारबती बेवा दसरिया पवार सा0डहुआ भूमि स्वामी
32	75/3	0.093	0.093	जियालाल व सकरया मैना पिता सकरया पवार सा0 दुनावा भूमि स्वामी
	योग	64.724	30.899	

अत एव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम गांगई तहसील मुलताई की उपरोक्तानुसार खसरा नंबरों की कुल 30.899 हे. भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक10-8-18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

क्र. 10-अ-82-2017-18 मौजा मुसाखापा-10434

बैतूल, दिनांक 25 अगस्त 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा हे.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	मुसाखापा	0.702	पराखाती लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	185	0.724	0.021	शारदा पति धर्मेन्द्र पवार सा. देह भूमिस्वामी
	186	0.692	0.490	
	187	0.170	0.170	
	189	0.162	0.021	
महायोग		1.748	0.702	

(2)- चूंकि पाराखाती लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 11-अ-82-2016-17-10436

चुंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार, इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	मलकापुर	1.127	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1				
1	झीको वेवा नत्थू सुरेश, कमल, रामप्रसाद व.नत्थू उर्मिला व. नत्थू सरिता वेवा जगन्नाथ, जितेन्द्र, छोट्ट, सीमा व. जगन्नाथ ना.बा.बली माँ सरिता निवासी मलकापुर	15/1 103/2	0.629 0.485	0.213 0.151
2	विजय कुमार व. मैकू निवासी मलकापुर	15/2 103/1	0.506 0.486	0.227 0.137
3	चित्रलेखा जौ. कृष्ण कुमार निवासी टिकारी	36	0.522	0.289
4	कमल प्रसाद, रामप्रसाद व. नत्थू निवासी मलकापुर	104	1.263	0.110
योग				1.127

- चुंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 13-अ-82-16-17-0440

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	ठानीमाल	0.049	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1	2	3	4	5
1	परदेशी, रमेश, रामुस व. भिक्की, मुन्जी, रमोली व. भिक्की	57/2	2.266	0.049
योग				0.049

- 1 चूंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

- 2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 39-अ-82-2017-18-मौजा अम्भोरी-10680

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा हे.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	अम्भोरी	15.752	अम्भोरी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	515/2	0.906	0.906	जयवंतीबाई बेवा बाजिलाल जाति मेहरा
2	522	0.955	0.100	भैया वल्द नान्हया पूनी पिता नान्हया पता सा. देह
	521	0.951	0.405	
3	523	1.296	0.090	नन्ध्या वल्द महेगू जाति मेहरा सा.देह भूमि स्वामी
4	525/1	0.898	0.060	बाजीलाल वल्द तुकाराम सा.देह भूमि स्वामी
	527/1	0.263	0.100	
5	525/2	0.282	0.120	महादेव वल्द तुकाराम सा.देह भूमि स्वामी
6	527/2	0.263	0.263	चन्द्रकला बेवा भाउराव, पंकज पिता भाउराव लता गीता पिता भाउराव जाति माली सा.देह भूमि स्वामी
7	529/1	0.282	0.120	वासुदेव वल्द गेंदराव जाति माली सा.देह भूमि स्वामी
8	529/2	0.807	0.120	रैसूल बेवा पारन्या श्रीराम रमेश वल्द पारन्या सा.देह भूमि स्वामी
9	538/1	0.321	0.090	चिन्धी बेवा ढोडिया दिपक भरत पिता दुलारी बेवा किशोरी दुर्गेश दिनेश, प्रमिला आशा उषा पिता किशोरी इन्द्र पुष्पा पिता ढोडिया जाति चमार सा.देह भूमि स्वामी

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
10	538/2	0.340	0.110	निर्मला बेवा दिलीप कुमार सपती दिव्या ना.बा. पिता दिलिप कुमार बली मां निर्मला ग्यारसी बेवा सुरेन्द्रदास, राजकुमार दिलिप वल्द सुरेश जाति चमार सा.देह भूमि स्वामी
	545/1	0.284	0.240	
	517/3	1.052	0.180	
	546/2	0.040	0.040	
11	538/3	0.505	0.100	संजय, बबलु, मुन्ना वल्द रामराव सीता बेवा रामराव शंकरराव वल्द गंगाराम सा.देह भूमि स्वामी
12	545/2	0.040	0.020	देवीदास वल्द हरेन्दु सकुन पिता हरेन्दु पता निवासी ग्राम नरखेड़ भूमि स्वामी
	546/1	0.332	0.332	
13	514	1.392	1.125	निलकंठ, नारायण दौलत वल्द गजानंद मंजा लिजा पिता गजानंद सा. नरखेड़
	549/1	0.242	0.242	
	549/2	1.055	1.055	
14	550/1	2.979	0.290	राजकुमार वल्द चतुर रहमत बेवा चातूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
15	550/2	1.214	0.680	जसिया जौ. कारु राजेश वल्द कारु पता सा. इकलहरा भूमि स्वामी
16	557/2	1.214	0.180	किरण बाई जौ. रामदयाल जाति मेहरा पता निवासी मुलताई भूमि स्वामी
17	558	2.274	0.280	नारायण वल्द भोपात
18	559	2.861	1.030	मंगली बेवा डोमा महादेव भारत उमेश वल्द डोमा फगनी शांता पिता डोमा रामप्रसाद हरिदास वल्द कैला कमला लिला भागरती उर्मिला सुनिता पिता कैला प्रमिला बेवा कृष्णा याशिका बेवा कृष्णा कमला बेवा मधु कन्हैया वल्द मधु लक्ष्मी पिता मधु जाति मेहरा पता निवासी ग्राम
19	561/1	0.173	0.080	निलकंठ वल्द मारोती पता सा. नरखेड़ा
20	561/2	0.173	0.080	सुमन पिता कूसना पता नि. सा.देह भूमि स्वामी
21	561/3	0.173	0.080	मारोती वल्द कूसना पता नि. सा.देह भूमि स्वामी
22	512	0.591	0.350	बाबू वल्द कूसना लोहार पता नि. सा. नरखेड़ भूमि स्वामी
	561/4	0.173	0.090	
23	561/5	0.174	0.080	शांता पिता कूसना पता नि.सा. नरखेड़ भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
24	561/6	0.174	0.090	बुंदा बेवा आनंदराव सजयकुमार ना.बा. आनंदराव, बुंदा बेवा आनंदराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
25	507	1.717	0.580	श्यामू कचरू वल्द घुस्या मनी पिता घुस्या सा. नरखेड़ भूमि स्वामी
26	549/3	1.325	1.325	रामचंद्र वल्द नत्थ्या पता सा.देह भूमि स्वामी
27	498	1.112	0.370	महादेव वल्द चिंधू सा.देह भूमि स्वामी
28	495	0.429	0.130	बंदीलाल वल्द विठोबा कयिा बेवा चंदुलाल रामप्यारी पिता नंदलाल महगी पिता विठोबा
	494	0.308	0.308	दामोदर रामू गुलाब वल्द रामराव पता सा.देह भूमि स्वामी
	497	2.525	0.600	
29	499	3.291	0.510	गन्ने बेवा फागु राममाउ लखन वल्द फागू जाति मेहरा सा. मंगानो कला
30	491/1	1.441	1.441	काफीला जौ. अशोक वन गोसाई पता सा. तिलकवाड मुलताई
	491/2	1.440	0.120	
31	515/1	0.907	0.710	साजूराम, बाजेराव, बाजीलाल गेंदराव वल्द तुकाराम, चंपा पिता तुकाराम पता सा.देह भूमि स्वामी
	548	0.210	0.210	
32	513	0.478	0.320	लालमन वल्द तेजी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
		39.862	15.752	

(2)- चूंकि अस्थोरी लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 11-अ-82-17-18-नायक चारसी-10780

बैतूल, दिनांक 1 सितम्बर 2018

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कॉलम 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची 2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षे. (हे.) में।	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल म0प्र0	बैतूल	नायक चारसी	7.587	चोरनी-मोरनी जलाशय

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

कं.	खबरा नंबर	कुल रकबा हे0 में।	अर्जन का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	1	4.419	2.149	मदारी वल्द मलजी जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी भू-राजस्व
	26	3.749	0.137	
2	5/2	3.400	0.963	सुनील, राकेश वल्द बालकिशन शर्मा जाति ब्राम्हण पता निवासी गांधी वार्ड बैतूल भूमिस्वामी
3	11/2	0.809	0.364	जगदीश बल्द चुन्नीलाल, प्रमिला, विमला पिता चुन्नीलाल पवन, आकाश वल्द रविप्रसाद जाति ब्राम्हण पता निवासी कोलगांव
	36/2	0.214	0.214	
4	11/3	4.875	1.132	काशीप्रसाद, नर्मदाप्रसाद, सरस्वती, दुर्गा, शशी पुत्री गयाप्रसाद ताप्तिप्रसाद वल्द गयाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. कोलगांव भूमि स्वामी भू-राजस्व
	36/3	0.397	0.397	
5	17/2	2.006	0.040	भीमराव, भाउराव वल्द विनायकराव जाति मराठा पता सा. कोलगांव भूमिस्वामी

6	56/1	4.300	0.202	अनिता पिता दिनकरराव जाति मराठा पता सा. भूमिस्वामी
7	56/2	4.30	0.203	निशा पिता दिनकरराव जाति मराठा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
8	37	1.619	0.140	कला. वे. मौजीलाला, खुशरतन, जुगल बल्द मौजीलाल जाति नाई पता सा. कोलगांव भूमिस्वामी
9	23/2	1.604	0.813	कुंवरलाल, गोरेलाल व0. श्यामलाल जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी
10	22/2	2.300	0.833	दशरथ वल्द राधेलाल जाति मेहरा पता सा. देह ,
	कुलयोग :-	33.992	7.587	

1. चूंकि चोरनी-मोरनी जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 19 की उपधारा 2 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी. (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 09-अ-82-17-18-मुचगोहान-10782

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कॉलम 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है इस हेतु अनुसूची 2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षे. (हे.) में।	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतल (म0प्र0)	बैतूल	मुचगोहान	8.318	चोरनी-मोरनी जलाशय

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

कं.	खबरा नंबर	कुल रकबा हे0 में।	अर्जन का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	106/2	0.200	0.160	मंगू व0 बीरालाल जाति गोंड पता सा.देह भूमि स्वामी
	103/7	0.324	0.324	
2	101/1	0.202	0.202	छतरसिंग वल्द रायजू जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी भू-राजस्व
	101/10	0.700	0.243	
3	101/2	0.809	0.609	रत्नी रत्ना रजना पुत्री रायजू जंगला व. रंगलाल, रामेश्वर, रामापुत्री विसन जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व
4	101/3	0.202	0.202	रतन व. रायजू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व
5	101/4	0.203	0.203	छतन बल्द रायजू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व
6	101/6	0.202	0.202	सुरजू बल्द रायजू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	101/8	0.889	0.889	

7	102/15	0.211	0.094	रन्नू बे. मदन, चुन्नीलाल, मुन्ना, मुन्नीलाल बल्द मदन सुखवंती पुत्री मदन जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी भू-राजस्व
	102/5	0.324	0.040	
8	200/1	0.048	0.048	गेन्दलाल बल्द जिन्दू जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी भू राजस्व
	200/2	0.053	0.053	
	102/16	0.186	0.060	
	102/6	0.081	0.081	
	102/2	1.214	0.050	
9	96	0.194	0.194	मंगली बे. भैयालाल दामू बल्द भैयालाल फागू बे. देलू मुकचन्द सुगदा, सिलमा कम्मरभा व. दैलू जाति गोंड पता सा. दिवानचारसी भूमिस्वामी भू-राजस्व
	98	3.197	1.011	
	100	0.364	0.264	
10	99/1	0.926	0.194	पूजा व. मदन ना.बा. बली पिता मदन व. जौहरी जाति गोंड पता सा.सोनाघाटी भूमिस्वामी भू-राजस्व
11	99/2	1.851	0.930	जगो जौ. रामप्रसाद जाति गोंड पता निवासी नायक चारसी भूमिस्वामी भू-राजस्व
12	102/7	0.073	0.073	झिगू शंकर मुन्नी व. नन्दा मिथलो बे. नन्दा जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी
	102/17	0.657	0.120	
	102/10	0.357	0.357	
13	103/8	0.320	0.320	रमला पुत्री हीरालाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	103/17	0.181	0.181	
	103/20	0.121	0.121	
14	103/9	0.121	0.121	रामा, रामलाल बल्द सायबू मिंजू बल्द नान्हु, मौली, कोहली, गौरी, नान्ही पिता सायबू मंगो बे. जंगू हिरदे, सिल्लू बल्द जंगू भूमिस्वामी सरवन्ती दूबा प्रेमति पिता जंगू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	103/10	0.122	0.122	
	103/11	0.222	0.222	
15	103/15	0.101	0.101	सिगो व. हीरालाल जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी
	103/19	0.143	0.143	
16	103/16	0.283	0.283	ढिमरे व. हीरालाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व
	103/18	0.101	0.101	
कुलयोग :-		15.182	8.318	

1. चूंकि चोरनी-मोरनी जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 19 की उपधारा 2 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
अनुभाग मऊगंज, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

क्र. 1938-भू-अर्जन-कार्य-2018

मऊगंज, दिनांक 25 जुलाई 2018

प्ररूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भूअर्जन एवं पुनर्वास तहसील मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	रीवा	मऊगंज	पनिगवां 587 पटवारी हल्का 13 डिघवार रा. नि.मं.	82	0.020
2				83/1	0.022
				83/2	0.094
3				70/1	0.065
				70/3	0.095
				05 किता	0.296
				निजी भूमि	0.296
				शासकीय भूमि	निल
				कुल भूमि	0.296 हे.

क्र. 1941-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	रीवा	मऊगंज	झलवार 360 पटवारी हल्का 12 झलवार	235 / 1	0.050
				235 / 2	
				235 / 3	
2				243 / 1	0.020
				243 / 2	
3				245	0.032
4				246	0.004
5				247	0.030
6				248	0.006
7				330	0.030
8				331	0.004
9				332	0.016
10				334 / 1	0.007
				334 / 2	0.007
11				336 / 1	0.014
				336 / 2	
12				548	0.030
13				549	0.004
14				1070 / 547	0.020
15				545 / 1	0.006
				545 / 2	

16				528	0.006
17				526	0.008
18				525	0.016
19				504 / 1	0.026
				504 / 2	
20				505	0.010
21				507 / 1	0.022
				507 / 2	
22				509 / 1 / 1	0.026
				509 / 1 / 2	
				509 / 1 / 3	
23				626	0.008
24				628	0.008
25				629	0.008
26				625	0.012
27				623	0.016
28				631	0.032
29				635	0.038
30				634	0.008
31				636 / 1	0.036
				636 / 2	
32				489	0.064
33				152	0.008
34				153 / 1	0.020
				153 / 2 शा.नं. 1055 / 256-0.254	
35				155	0.020
36				234 / 1	0.024
				234 / 2	
37				492	0.028
38				490	0.052
39				156 / 1	0.022
				156 / 2	
				156 / 3	
40				532	0.040
41				503 / 1	0.010
				503 / 2	
42				506 / 1 / 1	0.022
				506 / 1 / 2	
				506 / 1 / 3	
				506 / 2	
43				627	0.008
44				527 / 1 / 1	0.050
				527 / 2 / 1	
				527 / 2 / 2	
				527 / 1 / 2	
45				534 / 1	0.048
				534 / 2	
			निजी भूमि		0.974 Hec.
46			शासकीय भूमि	154 (0.355)	0.024 Hec.
			योग		0.998 Hec.

क्र. 1942-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भूअर्जन एवं पुनर्वास तहसील मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	रीवा	मनगवां	छिरहाई-197 रघुराजगढ़	71	0.002
2				72/1	0.012
				72/2	
3				73	0.024
4				74	0.024
5				77	0.024
6				78	0.008
				07 किता	0.097 Hec.
				निजी भूमि	0.097 Hec.
				शासकीय भूमि	Nil
				कुल योग	0.097 Hec.

क्र. 1944-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भूअर्जन एवं पुनर्वास तहसील मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	रीवा	मनगवां	अटारी-576	359	0.098
2			हल्का 49 रघुराजगढ़	547	0.008
3				548	0.032
4				549	0.038
5				357	0.060
				05 किता	0.236 Hec.
				निजी भूमि	0.236 Hec.
				शासकीय भूमि	Nil
				कुल योग	0.236 Hec.

क्र. 1946-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भूअर्जन एवं पुनर्वास तहसील मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)	
1	2	3	4	5	6	
1.	रीवा	मनगवा	धवैया-290 मनगवा	390/1	0.004	
			राजस्व निरीक्षक मण्डल 04 डेलही	390/3		
				390/2		
2				388	0.040	
3				424/1	0.020	
				424/2		
				424/3		
				424/4		
				424/5		
				424/6		
11				423/1	0.060	
				423/2		
				423/5		
				423/6		
				423/7		
				423/8		
4				426/1		0.012
				426/2		
				426/3		
				426/4		
				426/5		
5				428	0.038	
6				457	0.008	
7				458	0.008	
8				467	0.016	
9				466	0.002	

10				465	0.022
11				484	0.016
12				482	0.006
13				486	0.012
14				504	0.006
15				506	0.004
16				505	0.010
17				507	0.005
18				515	0.012
19				517 / 1	0.020
				517 / 2	
20				537	0.002
21				538	0.032
22				568	0.004
23				567	0.020
24				566	0.006
25				564	0.006
26				563	0.008
27				571	0.020
28				574	0.032
29				599	0.028
30				602 / 1	0.040
				602 / 2	
				602 / 3 / क	
				602 / 3 / ख	
31				601 / 2	0.004
				601 / 3	
				601 / 1 / क	
				601 / 1 / ख	
				601 / 1 / ग	
32				603 / 1	0.012
				603 / 2	
				603 / 3	
33				618	0.020
34				389 / 1	0.038
				389 / 2	
				389 / 3	
				389 / 4	

35				455	0.018
36				456	0.003
37				468	0.016
38				472	0.016
39				473	0.009
40				477	0.010
41				478	0.005
42				480	0.020
43				508	0.012
44				514/1	0.013
				514/2	
45				513/1	0.019
				513/2	
46				540/1	0.032
				540/2	
47				563	0.008
48				565	0.006
49				574	0.040
50				575/1	0.027
				575/2	
				575/3	
51				596/1	0.030
				596/2/क	
				596/2/ख	
				596/2/ग	
				596/2/घ	
				596/3/क	
				596/3/ख	
52				606	0.038
53				404	0.020
54				615	0.019
55				618	0.046
		निजी भूमि			1.000
56		शासकीय		617	0.010
		शासकीय		616	0.006
				कुल भूमि	1.016

क्र. 1948-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	रीवा	रायपुरकर्चुलियान	सिरसा 593 पटवारी हल्का हटवा	210/1	0.006
				210/2	
				210/3	
2				211/1	0.022
				211/2	
3				214	0.032
4				215/1	0.016
				215/2	
				215/3	
				215/4	
5				216	0.002
6				217	0.012
7				218	0.020
8				219/1/1	0.028
				219/1/2	
				218/1/3	
9				222/1	0.016
				0.219	
10				225	0.040
11				227/1	0.038
				227/2	

12				234	0.002
13				238 / 1	0.002
				238 / 2	
14				239 / 1	0.012
				239 / 2	
15				240 / 1	0.036
				240 / 2	
				240 मिन-1	
16				363	0.014
17				262 / 1	0.014
				262 / 2	
18				249 / 1	0.014
				249 / 2	
				249 / 3	
				249 / 4	
19				250 / 1	0.016
				250 / 2	
				250 / 3	
20				253	0.012
21				254 / 1	0.012
				254 / 2	
22				349 / 1	0.042
23				347	0.022
24				346 / 1	0.094
				346 / 2	
25				343	0.026
26				659	0.012
27				660	0.026
28				713	0.012

29				712/1	0.046
				712/2	
30				711	0.034
31				710	0.034
32				680	0.078
33				696/1	0.028
				696/2	
				696/3	
				696/4	
34				216	0.010
35				224/1/क	0.014
				224/1/ख	
				224/1/ग	
				224/2	
36				226	0.038
37				369	0.012
38				368	0.009
39				367/1	0.010
				367/2	
40				361	0.016
41				250/1	0.013
				250/2	
				250/3	
42				353/1	0.028
				353/2	
				353/3	
43				352/1	0.033
				352/2	
44				350	0.052
45				351	0.050
46				443	0.008
47				444	0.047
48				446	0.040
49				658	0.012
50				698	0.009
51				697/1	0.060
52				697/2	
				निजी योग	1.181
53			शासकीय	208	0.002
			कुल योग	कुल योग	1.283

क्र. 1950-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	रीवा	नईगढ़ी	भटिगवा-770	100/1	0.020
			राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्वा	100/2/1	
				100/2/2	
2				98	0.016
3				97	0.008
6				96	0.007
				06 किता	0.051 Hec.

क्र. 1952-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
	2	3	4	5	6
1.	रीवा	नईगढ़ी	सोनवर्षा-1017	427	0.002
2			मण्डल खर्वा	428/1	0.040
				428/2	
3				429	0.003

3				429	0.003
4				423	0.012
5				425	0.004
6				418	0.009
7				419	0.009
8				411	0.027
9				409	0.015
10				410	0.015
11				401	0.024
12				400	0.024
13				395	0.022
14				393	0.022
15				480/1	0.048
				480/2	0.012
16				481	0.019
17				483	0.010
18				485	0.009
19				486/1	0.013
				486/2	
20				490/1	0.021
				490/2	
21				372/1	0.003
				372/1/2	
				372/2	
				372/3	
				372/4/1	
				372/4/2	
				372/5	
				372/4/3	
22				372/6	0.106
				371/1	
				371/1	
				371/3	
				371/2/2	
				371/4	
23				371/5	0.007
				371/6	
				493/1	0.007
				493/2	
				निजी भूमि	0.473 Hec
				शासकीय भूमि	0.003
				योग	0.476 Hec.

क्र. 1954-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील मरुगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	रीवा	नईगढ़ी	मड़ना-812 राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्वा	1033	0.005
2				1019	0.053
3				1020	0.004
4				1021/1 1021/2	0.074
5				1028/1 1028/1/ख 1028/2	0.005
6				1019	0.054
7				1022/1 1022/2	0.004
				11 कित्ता	0.199 Hec.

क्र. 1956-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	रीवा	नईगढ़ी	हार्दिहा-1055 राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्चा	205/1/क 205/1/ख 205/2 205/3 205/5 205/5 205/6	0.114
2				207	0.029
3				202	0.026
4				195	0.058
5				187	0.016
6				180	0.078
7					0.010
8				173/2 173/1	0.015
9				174/1 174/2	0.040
10				168	0.007
11				170	0.020
12				169	0.023
			योग	निजी भूमि शासकीय भूमि कुल योग	0.429 Hec. 0.007 Hec. 0.436 Hec.

क्र. 1958-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1	रीवा	नईगढ़ी	डिलहा-395 पट. खर्वा	257	0.020
2				255	0.036
3				254/1	0.010
				254/2	
				254/3	
4				250/1	0.022
				250/2	
				250/3	
5				249	0.006
6				248	0.038
7				245/1	0.042
				245/2	
			योग	निजी भूमि	0.166 Hec.
				शास. भूमि	0.008 Hec.
					0.174 Hec.

ASSOCI

क्र. 1960-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1	रीवा	नईगढ़ी	खर्स-180 पट. खर्स	15	0.012
2				14/1	0.032
				14/2	
3				7	0.004
4				6/1	0.025
				6/2	
				6/3	
				6/4	
				6/5	
			योग	निजी भूमि	0.061 Hec.
				शास. भूमि	0.012 Hec.
				योग	0.073.00

क्र. 1962-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	रीवा	नईगढ़ी	हड़िया-1039	64/1	0.043
			राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्चा	64/2	
				64/3	
				64/4	
				64/5	
				64/6	
				64/7	
				64/8	
				64/9	
2				89/1	0.014
				89/2	
3				82/1	0.026
				82/2	
4				59/1/क	0.070
				59/1/ख	
				59/2/1	
				59/2/2	
				59/2/3	
				59/2/4	
				59/3	
				59/4	
	59/5				
	59/6				
	59/7				
	59/8				

			59/9	
			59/10	
			59/11	
5			58	0.014
6			57/1	0.015
			57/2	
7			53/1	
			53/2	
			53/3	
			53/4	
			53/5	0.024
			निजी भूमि	0.192 Hec.
			शासकीय भूमि	0.014 Hec.
			कुल भूमि	0.206

क्र. 1964-भू-अर्जन-कार्य-2018

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	रीवा	नईगढ़ी	बेलहा-742 पट. हड़िया	297	0.029
2				293	0.010
3				292	0.012
4				291	0.010

5				290	0.010
6				288	0.027
7				287	0.027
8				286	0.016
9				281	0.014
10				280	0.023
11				289	0.003
12				258 / 1	0.024
				258 / 2	
13				257	0.002
14				256 / 1	0.026
				256 / 2	
15				251 / 1	0.022
				251 / 2	
16				250	0.018
17				249	0.061
18				204 / 1	0.015
				204 / 2	
19				205 / 1	0.016
				205 / 2	
20				230	0.025
				25 कित्ता	0.390 Hec.

संस्कृति जैन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

क्रमांक/6303/भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक. 03/अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम बाइहेड़ा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.
1	2	3
1	बाइहेड़ा (निजी भूमि)	12.747

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
ग्राम बाइहेड़ा				
1	धूलीलाल पिता रामलाल जाति दांगी	416/1	1.722	0.375
2	द्वारका प्रसाद ,हरिओम पिता चंदरलाल दांगी	807/1	0.628	0.398
3	गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू	807/2	0.444	0.109
4	गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू	819/1	0.290	0.101
5	नाथूलाल पिता गंगाधर नि. खजूरिया भूस्वामी	810/1	0.626	0.233
6	गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू	811	0.670	0.545
7	शिव लाल पिता राधाकिशन जाति दांगी नि.ग्रा.भू	812	0.430	0.005
8	शिव लाल पिता राधाकिशन जाति दांगी नि.ग्रा.भू	818	0.721	0.193
9	रामबाबू पिता रंगलाल जाति दांगी नि.खजूरिया भूस्वामी	814/2	0.373	0.132
10	जतन बाई पति गोकुलप्रसाद नि.खजूरिया भूस्वामी	815/1	0.456	0.045

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
11	गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	819/2	0.291	0.124
12	चंदर लाल पिता दोलतराम नि.खजूरिया	821	0.999	0.310
13	रामचरण,रंगलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी	822	3.402	1.040
14	चंदर लाल पिता गंगाधर जाति दांगी नि.खजूरिया	810/2	0.626	0.233
15	किशन लाल पिता देवा जाति दांगी नि.खजूरिया	823	0.670	0.310
16	देवचंद,शिवचरण पिता रामबगस जाति दांगी नि. खजूरिया	828/1	1.517	0.260
17	रामचरण पिता नाराण जाति दांगी नि.खजूरिया	828/2	0.759	0.010
18	रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.	829	0.696	0.164
19	रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.	831	0.379	0.165
20	रामचंद्र पिता नाराण जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	830	0.405	0.381
21	बापू लाल पिता नरसंगलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	832	0.645	0.101
22	धूल जी पिता घासीराम,हजारी पुत्री घासीराम हि. 33 पै. मेवाबाई पिता कालू हि. 33 पै. भागीरथ हजारी पिता सालगराम हि. 34 पै. जाति दांगी नि.ग्रा.भू. <i>जुही, अफाठ, मणनी</i>	833	1.871	0.197
23	अमृतलाल पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	772	0.595	0.014
24	अमृतलाल पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	871	0.278	0.061
25	शिव नारायण पिता मांगीलाल मुलीबाई वैवा मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	873	1.720	0.535
26	बदाम बाई पति लक्ष्मीचन्द जाति दांगी नि.ग्रा.खजूरिया	773	1.240	0.152
27	शिवलाल रंगलाल चम्पालाल पिता जालम हि. 50 पै. दोलतराम रामनारायण नाथूलाल पिता मदन जाति दांगी हि. 50 पै. निवासी खजूरिया	865	0.683	0.515
28	गोरधन पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	870	1.075	0.506
29	गोरधन पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	872	0.721	0.320
30	समप्रसाद,शिवसिंह पिता रतीराम कन्हैया अर्जुन भारत अमृत राजेश पिता मांगीलाल धापूबाई वैवा मांगीलाल हि. 33 पै. मेवाबाई पिता प्रभुलाल गुलाब बाई बद्रीबाई रोडीबाई पिता गिरधारी उम्मेद पिता गंगाराम हि. 33 पै. माग्या पिता कनीराम कैश्या रूगनाथ बैजनाथ रामनारायण पिता राजाराम हि. 34 पै. जाति चमार नि. ग्रा.भू.	866	0.468	0.084

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
31	ब्रदीलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	869 ✓	0.316 ✓	0.003 ✓
32	रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	768/2 -	0.639 ✓	0.038 ✓
33	रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	874/1 ✓	0.267 ✓	0.151 ✓
34	रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	874/3 ✓	0.536 ✓	0.387 ✓
35	रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	875/2 ✓	0.253 ✓	0.012 ✓
36	भंवर लाल पिता देवा जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	875/1 ✓	0.253 ✓	0.219 ✓
37	शम्भू लाल पिता भंवरलाल जाति दांगी	902/2/2 ✓	0.399 ✓	0.021 ✓
38	रामनारायण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.भू.	876/1 ✓	0.259 ✓	0.009 ✓
39	देवी राम पिता कनीराम जाति भील नि.ग्रा.भू.	766/4 ✓	1.145 ✓	0.443 ✓
40	भागमल पिता कनीराम जाति भील नि.ग्रा.भू.	766/5 ✓	0.386 ✓	0.240 ✓
41	हेमराज पिता रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.	904 ✓	2.176 ✓	0.864 ✓
42	ब्रदीलाल पिता घीसालाल जाति दांगी	893 ✓	0.354 ✓	0.228 ✓
43	ब्रदीलाल पिता घीसालाल जाति दांगी	894 ✓	0.607 ✓	0.380 ✓
44	रुकमा बाई पति रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.	914/1/1 ✓	0.322 ✓	0.010 ✓
45	रुकमा बाई पति रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.	915/2 ✓	0.152 ✓	0.068 ✓
46	घीसा लाल, करणसिंह पिता बापूलाल, कमलाबाई वैवा बापूलाल जाति भील	915/1 ✓	0.252 ✓	0.200 ✓
47	ब्रदीलाल पिता घीसालाल दांगी जाति दांगी	916 ✓	0.772 ✓	0.112 ✓
48	अयोध्या बाई पुत्री ब्रदीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	918/1 ✓	0.954 ✓	0.622 ✓
49	अयोध्या बाई पुत्री ब्रदीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	920/1 ✓	0.766 ✓	0.019 ✓
50	रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि. ग्रा.भू.	918/2 ✓	0.955 ✓	0.300 ✓
51	रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि. ग्रा.भू.	919/1 ✓	0.114 ✓	0.013 ✓
52	रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि. ग्रा.भू.	919/3 ✓	0.316 ✓	0.074 ✓
53	रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि. ग्रा.भू.	920/2 ✓	0.259 ✓	0.246 ✓
54	धापू बाई पति रामकिशन जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	921/1/3 ✓	0.572 ✓	0.015 ✓
55	रोडजी रामचरण रामप्रसाद पिता रामबगस जाति दांगी नि.खजूरिया	834 ✓	0.961 ✓	0.370 ✓
56	शिव लाल पिता भीमा जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	892 ✓	1.467 ✓	0.004 ✓
57	रामनारायण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.भू.	783/1/4 ✓	0.305 ✓	0.081 ✓
योग:-ग्राम बाईहेड़ा		किता-57	41.157	12.747

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 2069-अ-82-2017-18

अशोकनगर, दिनांक 24 अगस्त 2018

चूंकि राज्य शासन को उस बात का समाधान हो गया की नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में लोअर ओर परियोजना बांध निर्माण तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर के ग्राम कूपगढ़ की डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची क्रमांक 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची क्रमांक 02 की भूमि अनुसूची क्रमांक 01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची क्रमांक :- 01

लोअर ओर परियोजना बांध निर्माण में डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का पत्रक		
ग्राम :- कूपगढ़	तहसील - चन्देरी	जिला - अशोकनगर (म.प्र.)
विवरण	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में
लोअर ओर बांध निर्माण की डूब से प्रभावित होने से	199.539	11.926
कुल योग :-	199.539	11.926

अनुसूची क्रमांक :- 02

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हेक्टेयर में
संलग्न				

अनुसूची क्रमांक - 02 ग्राम कूपगढ़

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हेक्टेयर में
1	ज्ञानवाई वेवा गनेशजू दयाल पुत्र गनेशजू भूरी पुत्री गनेशजू हि 3/4 शान्ती वेवा घासीराम नीलम वा वुध्दवान नावा अवतार नावा पुत्र घासीराम फूलवती नावा पुत्री घासीराम सर माता स्वयं हि 1/4 जाति गूजर भूमि स्वामी	16/2	2.000	2.000
2	तियावाई पति कोमल जाति गूजर पता ग्राम भूमि स्वामी	16/3	2.000	2.000
3	रानीबाई पति नेपाल जाति गुजर पता नि मामोन तह ईसागढ़ भूमि स्वामी	16/4	1.000	1.000
4	कमला वाईपति हरनामासिह जाति यादव पता ग्राम भूमि स्वामी	16/7	2.000	2.000
5	शीलाबाई पति दलभान जाति गुजर पता नि मामोन तह ईसागढ़ भूमि स्वामी	16/9	0.836	0.836
6	कमलेश वाई पति बलवीरसिह जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16/10	1.000	1.000
7	कमलिया वेवा सिरनामासिह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16/11	2.090	2.090
8	प्रातम पुत्र गुलाबासिह जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	13/8	1.000	1.000

टीप.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड चन्देरी जिला अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2073-अ-82-2017-18

अशोकनगर, दिनांक 24 अगस्त 2018

चूंकि राज्य शासन को उस बात का समाधान हो गया की नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में लोअर ओर परियोजना बांध निर्माण तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर के ग्राम रकतेरा की डूब प्रभावित कृषक भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची क्रमांक 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची क्रमांक 02 की भूमि अनुसूची क्रमांक 01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची क्रमांक :- 01

लोअर ओर परियोजना बांध निर्माण में डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का पत्रक		
ग्राम :- रकतेरा	तहसील - चन्देरी	जिला - अशोकनगर (म.प्र.)
विवरण	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में
लोअर ओर बांध निर्माण की डूब से प्रभावित होने से	138.711	55.622
कुल योग :-	138.711	55.622

अनुसूची क्रमांक :- 02

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हेक्टेयर में
संलग्न				

अनुसूची क्रमांक - 02 ग्राम रकतेरा

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	नर्मदावाई पु. प्रभूलाल जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	2/2	2.000	2.000
2	शेलेन्द्र कुमार पुत्र सन्तोष कुमार जाति जैन पता नि. चन्देरी भूमि स्वामी	2/3	2.000	2.000
		2/4	1.000	1.000
3	समरतसिंह इन्दरसिंह पु. लालाराम जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/5	1.000	1.000
4	नरिन्द्रकुमार ऊर्फ सल्लु पु. हजारीलाल जाति जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/6	2.000	2.000
5	धर्मन्द्र कुमार शेलेन्द्रकुमार पु सुरेन्द्र कुमार जाति जैन पता नि. ग्राम चन्देरी भूमि स्वामी	2/7	2.000	2.000
6	हनमतासिंह पुत्र दयाराम जाति गुजर पता नि.ग्राम	95/1/23	0.627	0.627
7	रतना सरजुआ हन्नापुत्रगा भरो जाति आदिवासी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अहस्तातरणीय	7/1/1	0.500	0.500
8	हरज्ञान श्रीराम पु लालाराम जयकुवर कुसुम पुत्रीया लालाराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्ता	7/2	1.189	1.189
9	हमीरा पुत्र हल्लू जाति रावत सेहरिया अहस्तातरणीय भूमि स्वामी	9/1 मिन 1	0.076	0.076
		18 /1 मिन 1	0.085	0.085
		20 / 1 मिन 1	0.062	0.062
		75/1 मिन 1	0.350	0.350
10	माना वेवा कल्लू वीरन मोती उपकार काशी प्यारिलाल रामवावू हरदेव रघुवीर पुत्र कल्लू गुडडी पुत्री कल्लू जाति रावत सेहरिया अहस्तातरणीय भूमि स्वामी	9/1 मिन 2	0.077	0.077
		18 /1 मिन 2	0.084	0.084
		20 / 1 मिन 2	0.063	0.063
		68	0.219	0.219
		75/1 मिन 2	0.350	0.350
11	जसुदिया कुसुम रामवती पुत्रीया पंचा जाति रावत सेहरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्ता	9/2	0.077	0.077
		18/2	0.059	0.059
		20/2	0.063	0.063
		75/2	0.234	0.234

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
12	मानसिंह पुत्र बादामसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	10	0.199	0.199
		15	0.428	0.428
13	माहनलाल उधम पु कमल हरकवर वेवा कमलू 1/3 कुमरिया सरजू पुत्रीया पुनुआ 2/3 जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	11	0.293	0.293
14	खलका पु दलूपा 1/2 खलका पु दलूपा कलिया भामा पुत्रीया दलूपा 1/2 जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्ता	12	0.157	0.157
15	नथुआ, परवता पुत्रगण दौला जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	13	0.073	0.073
16	रतना, सरजूआ, हत्रा पुत्रगण भैरो 3/4 छत्ता केशरिया निरन रामप्रसाद पु पुत्रा हरको पुत्री पुत्रा 1/4 जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	14	0.314	0.314
		21	0.230	0.230
		22	0.167	0.167
		62	0.865	0.865
17	शैवराज पुत्र चंदलसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	95/1/9	0.627	0.150
18	तुलसिया, कमलिया, सविदिया पुत्रियां धनसिंह जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी मु. पुनिया बेवा धनसिंह जाति रावत पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	16	0.146	0.146
19	रूनझुनियाबेवा खलका कल्याण पुत्र खलका जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	17	0.136	0.136
20	भगवत इमरत मोहन पु वालचंद धनको सखी विभू पुत्रीया वालचंद मु रजिया वेवा वालचंद जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	19	0.314	0.314
		60	3.286	2.000
		61	0.021	0.021
21	रामसखी रामकवर कली पुत्री अजीता पानापत्रि अजीता मनको वेवा वल्गू अजवी सोनु पुत्र वल्गू गिरजा गुडडी पुत्री वल्गू हि 1/7 मोहन धर्मा पु हरदास धनको तारा अजुददी पुत्री हरदास हि 1/7 दयालू पुत्र नित्ताहि 1/7 सरजू रम्भा ज्ञान पुत्री मरदू हि 3/7 जाति रावत सेहरिया भूमि स्वामी मिठन वेवा भगवान पप्पू भगवान पर्वती पुत्री भगवान हि 1/7 जाति रावत सेहरिया भूमि स्वामी	23	0.240	0.240

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
22	जसवंतसिंह पुत्र हरज्ञान जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	35 / 1 / 4	1.000	1.000
23	मानसिंह, धनीराम पुत्रगण बादामसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	35 / 1 / 3	1.500	1.500
24	मानसिंह धनीराम पु बादामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35 / 1 / 2 / 1	1.000	1.000
25	मु भागवती देवा बादामसिंह सुन्दरवाइ शांतिवाइ पुत्रीया बादामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35 / 1 / 2 / 2	0.100	0.100
26	भूमि स्वामी	35 / 2	0.627	0.627
27	मु प्रेमवाइ देवा चंदन जशरथ शिवराज सुल्तान विजय पुत्र चंदन जाति गुर्जर भूमि स्वामी	35 / 1 / 9	1.000	1.000
28	धनीराम पु बादामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35 / 1 / 10	1.000	1.000
		95/1/15	0.627	0.627
29	मु गजिया देवा गम्भीरागोविन्दा जानकी पुत्रगण गम्भीरावित्रीबाई पुत्री गम्भीरा जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	35 / 1 / 11	1.000	1.000
30	निरनसिंह मजवत पु जगतसिंह जाति गूजर अतरवाइ पुत्री जगतसहिहि 314जयकुवर देवा मेहरवान रामवावू पंजाव राजान पुत्र मेहरवान रमेश धर्मवाइ पुत्री मेहरवान हि 1/4 जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35 / 1 / 14	1.000	1.000
31	विनोद नरेश सजय अभित सुमित पुत्र दीपचंद सुमन पुत्री दीपचंद जाति जैन पता निवासी ग्राम हटकापरा चंदेरी भूमि स्वामी	35 / 1 / 19	1.000	1.000
32	सूवाजू खां पु गुलशेरखां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	79 / 1	0.454	0.454
		80 / 1	1.030	0.630
33	मासूमवानो देवा कादरखां रईस खां रफीक सईदखा रमजानीखा वहीदखा मजीदखा पु कादरखां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम वराबर भाग भूमि स्वामी	79 / 2	1.364	1.364

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
34	दयाला पुत्र रतना जाति आदिवासी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	81	0.376	0.376
35	सुरेश पुत्र बुध्दा रतनिया पुत्री बुध्दा मुलिया पु सुन्दरा गोपाल मुल्ला पु मुलिया रमको गुलाव पुत्री मुलिया कुसुम वेवा वादाम श्रीपाल वुल्ली मेहरवानहल्काई पुत्रवादाम प्रेमवाई पुत्री वादाम लाडोवेवा दिमान किसन पुत्र दिमान हि 1/2 मुन्ना पुत्र मुल्ला हि 1/2 जाति रावत सेहरिया भूमि स्वामी सुरतिया बेवा बुद्धा जाति रावत पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी रतनिया पुत्री बुद्धा मुलिया पु सुन्दरा दिमान वा गोपाल मुल्ला नावा पु मुलिया रमको गुलाव नावा पुत्रीया जाति रावत पता नि.ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी मुन्ना पुत्र मुल्ला जाति रावत पता नि.ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी	26	0.052	0.052
		27	0.219	0.219
36	गुल्ला पुत्र किशोरा जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	29	0.063	0.063
37	रामसिंह पु घूमन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35 / 1 / 5	1.000	1.000
38	धर्मलाल पु कीरतसिंह दिमान सिंह पु करनसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	78	1.097	1.097
		71	0.648	0.648
39	जसरत सिंह पु चर्दनसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	74 / 1	0.201	0.201
40	सूरजवाई वेवा सिरदार हनमनसिंह कुवरजू कोमल तोफान पु सिरदार जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	74 / 4	0.201	0.201
41	वेवीवानो वेवा अकवर विलकिश वानो पुत्री अकवर शरीफखं पुत्र अकवर जाति मुसलमान पता नि.ग्राम चन्देरी भूमि स्वामी	37 / 1 / 1	1.000	1.000
42	जगदीस राजाराम गव्वर वावू शिशुपाल पुत्र रामचरण अवधि गुडडी हल्की पुत्री रामचरण जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	37 / 1 / 2	1.000	1.000
43	मु.सरजूबाई बेवा सुरदार जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी हनमन्तसिंह कुवरजू कोमल तोफान पुत्रगण सिरदार जाति गूजर पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	37 / 1 / 4	0.867	0.867
44	आशाराम पुत्र जगन्नाथ जाति आदिवासी पता नि.ग्राम चन्देरी भूमि स्वामी अहस्ता	42 / 1 / 14	2.000	0.500

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हेक्टेयर में
57	रामदयाल पुत्र देवसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	35/1/17	1.000	1.000
58	हनुमन्तसिंह, कुंअरजू, कोमल, तोफन पुत्रगण सरदारसिंह जाति गूजर सरजू वेवा सरदारसिंह गुड्डी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	35/1/20	1.000	1.000
59	इन्दरसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	35/1/23	1.000	1.000
		95/1/11	1.045	0.500
60	निरनसिंह पुत्र जगतसिंह हि.1/4,दिमान पुत्र करण- सिंह हि.1/4,रामचरणपुत्र भागचंद हि.1/2 जाति काछी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	70	0.815	0.815
61	मु प्रेमवाई वेवा चंदन जशरथ शिवराज सुल्तान विजय पुत्र चंदन जाति गर्जर भूमि स्वामी	74/2	0.202	0.202
62	रामदयाललाखनसिंह, बाबूसिंह, समरथसिंह लालसिंहपुत्रगण देवसिंह हि जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी समपत वेवा देवसिंह हि 5/6 परमाल शिवराज महेन्द्र पुत्र कल्याण लाडकुवर पानकुवर सखी पुत्रीया कल्याणहि 1/6 जाति गूजर पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	83	0.387	0.187
63	रामलली पत्नी वीरसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	95/1/3	2.000	0.500
64	उदल पुत्र लालाराम जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी .	95/1/4	1.618	0.800
65	समरतसिंह पुत्र देवीसिंह जाति गूजर पता .ग्राम भूमि स्वामी	95/1/17	0.627	0.300
66	बाबूलाल पुत्र देवीसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	95/1/18	0.627	0.300

टीप.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड चन्देरी जिला अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2078-अ-82-2017-18



चूंकि राज्य शासन को उस बात का समाधान हो गया की नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में लोअर ओर परियोजना बांध निर्माण तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर के ग्राम डांगबेरसिया की डूब प्रभावित कृषक भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची क्रमांक 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची क्रमांक 02 की भूमि अनुसूची क्रमांक 01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची क्रमांक :- 01

लोअर ओर परियोजना बांध निर्माण में डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का पत्रक		
ग्राम :- डांगबेरसिया	तहसील - चन्देरी	जिला - अशोकनगर (म.प्र.)
विवरण	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में
लोअर ओर बांध निर्माण की डूब से प्रभावित होने से	153.483	114.635
कुल योग :-	153.483	114.635

अनुसूची क्रमांक :- 02

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हेक्टेयर में
संलग्न सूची				

अनुसूची क्रमांक - 02 ग्राम डांग वेरसिया

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हेक्टेयर में
1	श्रीपाल पुत्र वीरसिंह जाति ठाकुर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1/1/2	1.000	1.000
		1/5/2	0.209	0.209
		44/2	0.841	0.841
2	रामपाल पुत्र वीरसिंह जाति ठाकुर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1/1/3	1.000	1.000
		1/5/1	0.209	0.209
		44/1	0.841	0.841
3	मु प्रेमवाई देवारामसिंह जयपाल पुत्र रामसिंह जाति राजपूत पता नि ग्राम भूमि स्वामी	1/2	0.627	0.627
		9/2	0.408	0.408
		51/1/1	0.270	0.270
		51/8	1.881	1.881
		52/2/2	4.286	4.286
		78/16	0.418	0.418
4	प्रोति जेन पति सुनीलकुमार जेन हि 1/2 निवासी चन्देरीविजयसिंह धीरेन्द्रसिंह बलुराजा पु परमाल सिंह हि 1/2 जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/3	2.404	2.404
5	राजारामपुत्र गुलाबसिंह बालकुवर अतलकुवर पुत्रीया गुलाबसिंह जाति ठाकुर पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1/4	0.418	0.418
		5	0.700	0.700
		22	0.324	0.324
		58	0.408	0.408
		75	0.397	0.397
6	गोविन्दसिंह पु कमलसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/119/1	0.072	0.072
		1/119/2	0.085	0.085
		11/1/2	0.106	0.106
		14	0.157	0.157
		16	0.272	0.272
		37/3	0.173	0.173
		58/2	0.036	0.036
		78/1/3	1.000	1.000
		78/1/15	2.000	1.000
		111/1/7	1.000	1.000

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हेक्टेयर में
7	बहादुरसिंह पुत्र कमलसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	6	0.282	0.282
		11/1/1	0.198	0.198
		37/1	0.282	0.282
		63	0.251	0.251
		66/1	0.204	0.204
		61/1	0.012	0.012
		113/1	1.000	1.000
8	परमालसिंह पु रघुवीरसिंह हि 1/2 गभानसिंह सोवरनसिंह पप्पु नावा पु त्रिलोकसिंह सर चाचा परमालसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7	0.491	0.491
		15	0.157	0.157
		23	0.575	0.575
		41	0.136	0.136
		43	0.199	0.199
		35	0.136	0.136
		62	0.533	0.533
		64	0.230	0.230
		65	0.439	0.200
		38	0.157	0.157
90	0.115	0.115		
9	रूपसिंह पुत्र कमलसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	8	0.470	0.470
		11/2	0.313	0.313
		12	1.066	1.066
		25	0.303	0.303
		37/2	0.063	0.063
		40	0.136	0.136
		42	0.596	0.596
		79	0.303	0.150
87	0.209	0.209		
10	चन्द्रभान पुत्र पूरन जाति ठाकुर पता नि ग्राम भूमि स्वामी	9/1	1.630	1.630
		54/2	0.627	0.627
11	प्रीति जैन पत्नि सुनीलकुमार जैन हि 1/2 नि चन्देरी सुखवतीवाइ पत्नि नेतराम हि 1/2 जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/1	0.658	0.658
		76	0.498	0.498
12	राजपाल पुत्र वीरसिंह जाति ठाकुर पता नि ग्राम भूमि स्वामी	13/2	0.523	0.523
		46	0.533	0.533
13	प्रेमबाई पुत्री हनुमन्तसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	48/1	1.672	1.672

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
14	मिथलेश पुत्री रामसिंह जाति ठाकुर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	48/2	1.378	1.378
15	दोपन्द्रसिंह पुत्र प्रतिपालसिंह जाति बुन्देला पता नि.नानकपुर भूमि स्वामी	51/1/2	6.000	6.000
16	हरवान पु सोवतिया जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	51/2/1	0.105	0.105
		51/2/2	0.104	0.104
		51/3	0.157	0.157
		51/5/1	0.218	0.218
		51/9/1	1.000	1.000
17	कोमल पु भीमा धनकोवाई गुडडीवाई कपूरीवाई पुत्रीया भीमा जाति रावत सेहरिया पता निवासी ग्राम समभाग भाग भूमि स्वामी	51/4	0.157	0.157
		52/4	2.000	2.000
18	लाडोवाई पुत्री पल्लुआ जाति आदिवासी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/5/2	0.043	0.043
19	फूलसिंह पु दिविया जाति रावत सेहरिया पता नि.ग्राम गडरोली तह खनियाधाना जिला शिवपुरी भूमि स्वामी	51/7/मिन-1	1.000	1.000
		51/9/2/मिन-1	0.333	0.333
		52/9/मिन-2	1.000	1.000
		52/11	2.000	2.000
20	मु फुन्दनिया बेवा रगना वा होरल पु रगना भमरीवाई कलिया वाइ गुडडीवाई पुतोवाई पुत्री रगना जाति आदिवासी पता नि.ग्राम वरावर भाग भूमि स्वामी	51/8	2.042	2.042
		78 / 7	0.105	0.105
21	लक्षमण पुत्र पचा जाति आदिवासी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	52/3	2.000	2.000
22	मु.मिदिया बेवा हरदासमोहन, पनी पुत्रगण हरदास नावा सर काकाभगुन्तसिंह जाति आदिवासी पता नि.गडेलना भूमि स्वामी	52/5	2.000	2.000
23	मधवा पुत्र धीरा जाति आदिवासी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	52/6	2.000	2.000
24	कल्याण पुत्र हरजुआ जाति आदिवासी पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार	52/7	2.000	2.000

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
25	रामदयाल पुत्र उधम जाति रावत सेहरिया पता नि ग्राम भूमि स्वामी	52/8/मिन-1	0.667	0.667
		91 /मिन 1	0.087	0.087
26	उमरा पुत्र उधम जाति रावत सेहरिया पता नि ग्राम भूमि स्वामी	52/8/मिन-2	0.667	0.667
		91 /मिन 2	0.087	0.087
27	कोमल पुत्र उधम जाति रावत सेहरिया पता नि ग्राम भूमि स्वामी	52/8/मिन-3	0.666	0.666
		91 /मिन 3	0.087	0.087
28	रतना पुत्र कल्लान जाति सेहरिया पता नि ग्राम वारोद तह व जिला ललितपुर उ ग्र भूमि स्वामी	52/9/मिन-1	1.000	1.000
		52/14/मिन-1	0.500	0.500
		92	0.219	0.219
29	कल्याण पुत्र प्रागी जाति सेहरिया पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	52/10	2.000	2.000
30	रमेश पु वजा कलिया वाई पुनिया पुत्रीया वजा हि 3/4 शीला देवाराम सूरत धर्मन्द्र पुत्र राम धनको मीना भागो पुत्री राम हि 1/4 जाति आदिवासी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52/12	2.000	2.000
31	पन्नालाल रामचरण पु दमरूआ बुदियावाई रामप्यारीवाई पुत्रीया दमरूआ जाति आदिवासी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52/13	2.000	2.000
32	परमो वाई लाडोवाई पुत्रया पल्लुआ हि 2/3 उमकार पुत्र पल्लुआ परमो लाडो पुत्री पल्लुआ हि 1/3 जाति सेहरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52/14/मिन-2	1.500	1.500
33	कल्याण पुत्र प्रागी जाति आदिवासी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	52/15	2.000	2.000
34	रामकलीवाइ पति किशनलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम सिरसोद तह करेरा जिला शिवपुरी भूमि स्वामी	52/16	2.000	2.000

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
35	अनरत पुत्र रतना हि 1/3 जाति रावत सेहरिया भूमि स्वामी हल्को, इन्दर पुत्री रतना हि 2/3 जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	52/17	2.000	2.000
36	जयपाल पु रामसिंह जाति राजपूत (ठाकुर) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52/121/2	2.090	2.090
37	हम्मीरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति ठाकुर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	52/121/3	2.090	2.090
38	कमलेश पुत्र रामसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	52/121/4	2.000	2.000
39	हेमलता पुत्री हरीसिंह जाति ठाकुर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	53	0.324	0.324
		54/1	1.000	1.000
40	केदार पुत्र पूरन जाति ठाकुर पता नि ग्राम भूमि स्वामी	54/3	1.802	1.802
		78/1/8/1	1.814	0.814
41	देवीसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति ठाकुर पता नि ग्राम भूमि स्वामी	54/4	0.627	0.627
		57	0.564	0.564
		73	0.355	0.355
		74	0.355	0.355
		78/1/8/3	0.086	0.086
42	इमरतसिंह पुत्र कमलसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	58/3	0.501	0.501
		113/2	1.219	1.219
43	दिवलबाई पुत्री कमलसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	37 / 4	0.172	0.172
		58/4	0.007	0.007
		61/2	0.500	0.500
		66 / 2	0.204	0.204
44		59	0.219	0.219
45	कल्लू पु सरूपा जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	60/1	0.416	0.416
		60/4	1.250	1.250

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान स्वामी	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
		60/6	1.250	1.250
46	श्यामवाई देवा प्यारेलाल रेवती पुत्री प्यारेलाल हरगोविन्द पुत्र प्यारेलाल जाति रावत सेहरिया पता नि ग्राम भूमि स्वामी	60/3/क	0.417	0.417
		60/5/क	0.416	0.416
		96 / 1	0.136	0.136
47	जसरतसिंह पु ग्यारसा जाति सेहरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	60/3/ख	0.417	0.417
		60/5/ख	0.417	0.417
		96 / 2	0.136	0.136
48	रामदीन पु ग्यारसा जाति सेहरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	60/3/ग	0.416	0.416
		60/5/ग	0.417	0.417
		96 / 3	0.136	0.136
49	परमालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति ठाकुर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	78/1/2	1.000	1.000
50	बल्देवसिंह पिता कमलसिंह जाति ठाकुर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	78/1/4	2.000	2.000
51	वल्देवसिंह वहादुरसिंह शिवराजसिंह इमरतसिंह पु. कमलसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	78/1/6	2.000	2.000
52	जगभानसिंह, सोबरनसिंहपप्पू नाबा पुत्रगण त्रिलोकसिंह जाति ठाकुर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी फूलाबाई नाबा पुत्रीया त्रिलोकसिंह जाति ठाकुर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी संर.पिता	78/2	0.355	0.355
53	श्रीमतिसुमन गुप्ता पत्नि राजेन्द्रकुमार गुप्तानि गणेश मेडीकल स्टोर पता मेडीकल कालेज गेट नं 1 के सामने झासी उ प्र भूमि स्वामी	111/1/1	1.608	1.608
54	दिमानसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति यादव पता नि.ग्राम हाल निवास पाडरी सेहराइ भूमि स्वामी	111/1/2	2.000	2.000
55	प्रतिपालसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	111/1/5	2.000	2.000
56	शिवराजसिंह पुत्र कमलसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	24	0.230	0.230
		113/3	1.000	1.000
		58/1	0.020	0.020

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हेक्टेयर में
57	जगभानसिंह पु त्रिलोकसिंह हि 1/2 खवतोवाई पत्नि नंतराम 1/2 जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	77	0.408	0.408
58	शिवेन्द्र पुत्र चन्द्रभान जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	78/1/17	1.000	1.000
59	राजाराम पु. गुलावसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	78/1/12	2.000	0.400
		78/1/14	1.000	1.000
60	भैरो पुत्र चेता जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	88	0.084	0.084
61	परमा देवजुआ पुत्रगण गजुआ जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	89	0.199	0.199
62	लक्ष्मन केता अंता पु पचा रामकली वाइ दस्सी अज्जीवाइ पुत्रीया पंचा हि 1/2 फुदिया पुत्र दमरूआ मुनिया रजिया पुत्री दमरूआ हि 1/2 जाति आदिवासी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	94	0.209	0.209
63	रेना देवा पूरन शारदा मुन्नी पुत्री पूरन जाति ठाकुर पता नि ग्राम भूमि स्वामी	78/1/8/2	0.100	0.100

टीप.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड चन्देरी जिला अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मंजू शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 7160-भू-अर्जन-2018-प्र.क्र. 0013-अ-82-2017-18

उज्जैन, दिनांक 1 सितम्बर 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत ग्राम नीलकण्ठ तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित शासकीय भूमि जिस पर परिसम्पत्ति निर्मित है। व्यक्तिवार एवं सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (2)

उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत ग्राम नीलकण्ठ की प्रभावित

भूमि का विवरण

ग्राम- नीलकण्ठ

तहसील व जिला उज्जैन

क्र०	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	अधिग्रहित परिसंपत्ति	विवरण
1	अंतरसिंह पिता भैरूलाल चौहान	282	पक्का मकान 17.30 मी बाय 9.0 मी.	शासकीय भूमि पर निर्मित
2	रतनलाल पिता नंदराम चौहान	282	कच्चा मकान 08.50 बाय 7.40 मी.	शासकीय भूमि पर निर्मित
3	छगनलाल पिता मांगीलाल	282	कच्चा मकान 08.00 बाय 1.0 मी	शासकीय भूमि पर निर्मित
4	मुकदर पिता जुम्मा	282	कच्चा मकान 7.60 बाय 5.75 मी. , बोरिंग	शासकीय भूमि पर निर्मित
5	देवीलाल पिता छगनलाल राठौर	282	पक्का मकान 13.60 बाय 8.30 मी.	शासकीय भूमि पर निर्मित
6	मोहनलाल पिता छगनलाल राठौर	282	पक्का मकान 21.35 बाय 0.70 मी	शासकीय भूमि पर निर्मित

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2018

क्रमांक 6839/भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2018-2019 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम देहरीकराड़ के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम देहरीकराड़

स.क्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
1	देहरीकराड़	101.218
कुलयोग :-		101.218

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम देहरीकराड़

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
1	भंवरलाल, गुलाबबाई पिता भेरू जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	✓688 ✓689 ✓690 ✓691	1.896 1.366 0.291 1.176	1.896 1.366 0.291 1.176
योग		4	4.729	4.729
2	भोनीसिंह पिता बापूलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓655/1 ✓692/1 ✓694/1/1 ✓706/1 ✓717/1/5 ✓722/2 ✓723/2 ✓727/1	0.189 0.032 0.110 0.139 0.037 0.092 0.160 0.052	0.189 0.032 0.110 0.139 0.037 0.092 0.160 0.052
योग		8	0.811	0.811
3	भागीरथ पिता बापूलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓727/5 ✓692/2 ✓694/1/2 ✓706/3 ✓714/1/2 ✓717/1/4	0.052 0.031 0.111 0.139 0.099 0.037	0.052 0.031 0.111 0.139 0.099 0.037
योग		6	0.469	0.469

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
4	रंगलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓693 ✓694/2 ✓710 ✓711 ✓714/2 ✓717/2 686	0.114 0.171 0.215 0.076 0.620 0.183 0.417	0.114 0.171 0.215 0.076 0.620 0.183 0.100
	योग	7	1.796	1.479
5	बनवारीलाल पिता कंवरलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓717/1/2 ✓722/1 ✓723/1 ✓727/2	0.037 0.047 0.161 0.099	0.037 0.047 0.161 0.099
	योग	4	0.344	0.344
6	छोटूलाल पिता बापूलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓696/1 ✓716/1 ✓717/1/1 ✓723/3 ✓727/4	0.101 0.165 0.036 0.160 0.099	0.101 0.165 0.036 0.160 0.099
	योग	5	0.561	0.561
7	रामप्रसाद पिता बापूलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓696/2 ✓714/1/3 ✓716/2 ✓717/1/3 ✓727/3	0.101 0.052 0.164 0.037 0.052	0.101 0.052 0.164 0.037 0.052
	योग	5	0.406	0.406
8	निर्मयसिंह पिता चेनाजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓697 ✓698 ✓700 ✓701 ✓715	0.114 0.177 0.392 0.114 0.215	0.114 0.177 0.392 0.114 0.215
	योग	5	1.012	1.012
9	दरियावसिंह, नासयणसिंह पिता जगन्नाथ, निर्भयसिंह पिता चेनाजी 1/4, कंवरलाल, भागीरथ, रामप्रसाद, भोनीसिंह, छोटूलाल पिता बापूलाल, रंगलाल पिता कन्हैयालाल 1/2, पानीबाई, भूलीबाई विधवा समन्दरसिंह 1/4 जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓699	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
10	नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓671 ✓728 ✓726/2 ✓725 ✓695 ✓704 ✓705/2 708/2 ✓709 ✓712 ✓713 ✓724	0.379 0.860 0.228 0.063 0.228 0.013 0.186 0.169 0.038 0.025 0.266 0.468	0.100 0.860 0.228 0.063 0.228 0.013 0.186 0.169 0.038 0.025 0.266 0.468
	योग	12	2.923	2.644

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
11	दरियावसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓705/1 707 708/1 726/1	0.080 0.013 0.312 0.253	0.080 0.013 0.312 0.253
	योग	4	0.658	0.658
12	कंवरलाल पिता बापूलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓706/2 ✓714/1/1	0.139 0.469	0.139 0.469
	योग	2	0.608	0.608
13	मनोहरसिंह पिता फूलसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓718 ✓719	0.607 0.493	0.607 0.493
	योग	2	1.100	1.100
14	फूलसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓720 ✓721	0.493 0.139	0.493 0.139
	योग	2	0.632	0.632
15	मांगीलाल पिता किशनलाल जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓729	1.341 0.000	1.341 0.000
	योग	1	1.341	1.341
16	दुर्गालाल पिता जगदीश जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓730/1 ✓730/6 ✓731	0.204 0.212 0.114	0.204 0.212 0.114
	योग	3	0.530	0.530
17	बालूसिंह पिता नन्दराम जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓730/2 ✓730/4 ✓730/5 ✓730/7	0.318 0.318 0.120 0.281	0.318 0.318 0.120 0.281
	योग	4	1.037	1.037
18	अशोक पिता जगदीश जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓730/3 ✓730/8	0.318 0.189	0.318 0.189
	योग	2	0.507	0.507
19	बीरमसिंह, कालूसिंह पिता गोपी, रोसम पिता बीरमसिंह जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓732/1 ✓734/2 ✓738/1	0.468 0.015 0.321	0.468 0.015 0.321
	योग	3	0.804	0.804
20	बालू पिता नन्नूराम हि.1/2, अशोक, दुर्गालाल पिता जगदीश हि.1/2 जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓735	0.316 0.000	0.316 0.000
	योग	1	0.316	0.316
21	मोडसिंह पिता मांगीलाल जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓732/2 ✓873 ✓874/1	0.316 0.443 0.063	0.316 0.443 0.063
	योग	3	0.822	0.822

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
22	वृहताकार सहकारी समिति सुस्तानी (बांसखेड़ा) नि. ग्राम भू-स्वामी	✓ 733	0.797	0.797
	योग	1	0.797	0.797
23	विजयसिंह पिता शिवसिंह जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 734/1/1	0.119	0.119
	योग	1	0.119	0.119
24	केशरसिंह पिता शिवसिंह जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 734/1/2	0.120	0.120
	योग	1	0.120	0.120
25	न्यालसिंह पिता मांगीलाल जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 734/1/3	0.119	0.119
	योग	1	0.119	0.119
26	गोवर्धनसिंह पिता शिवसिंह जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 734/1/4	0.120	0.120
	योग	1	0.120	0.120
27	गंगाराम, दरियावसिंह, बजेसिंह पिता माधूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 736 ✓ 737/1	0.240 0.379	0.240 0.379
	योग	2	0.619	0.619
28	बलवानसिंह पिता देवीसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 737/2 ✓ 741/1	0.253 0.379	0.253 0.379
	योग	2	0.632	0.632
29	समन्दरसिंह, बालचन्द, मांगूबाई, शीलाबाई पिता शिवनारायण, धापूबाई बेवा शिवनारायण, सम्पतबाई पिता अमरसिंह जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 738/2	0.160	0.160
	योग	1	0.160	0.160
30	शिवलाल पिता छीतालाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 739/1	1.125	1.125
	योग	1	1.125	1.125
31	दौलतराम पिता छीतालाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 739/2	1.126	1.126
	योग	1	1.126	1.126
32	नन्दकिशोर पिता भीमसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 876/4 ✓ 874/2/4 ✓ 740/1 ✓ 742/1 ✓ 749	0.202 0.304 0.362 0.100 0.240	0.202 0.304 0.362 0.100 0.240
	योग	5	1.208	1.208

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
33	दयाराम, लीलाबाई पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 876/2 ✓ 874/2/2 ✓ 870/2 ✓ 869/1/2 ✓ 740/2 ✓ 741/2/1 ✓ 742/2 ✓ 743/2	0.144 0.113 0.097 0.148 0.106 0.067 0.035 0.072	0.144 0.113 0.097 0.148 0.106 0.067 0.035 0.072
	योग	8	0.782	0.782
34	नारायणसिंह, लीलाबाई पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 874/2/3 ✓ 741/2/2 ✓ 742/3 ✓ 743/3 ✓ 869/1/3 ✓ 870/3 ✓ 876/3	0.113 0.180 0.029 0.072 0.148 0.097 0.143	0.113 0.180 0.029 0.072 0.148 0.097 0.143
	योग	7	0.782	0.782
35	भीमसिंह, प्रेमबाई पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 741/2/3 ✓ 743/1 ✓ 869/1/1 ✓ 870/1 ✓ 874/2/1 ✓ 876/1	0.209 0.071 0.147 0.097 0.114 0.143	0.209 0.071 0.147 0.097 0.114 0.143
	योग	6	0.781	0.781
36	घीसीबाई पिता पूराजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 744 ✓ 745 ✓ 591 ✓ 592	0.961 1.581 0.215 0.696	0.961 1.581 0.215 0.696
	योग	4	3.453	3.453
37	शंकर, शैतान, कमला, जसोदाबाई पिता गुलाबचन्द जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 746/1 ✓ 747/1	0.384 0.126	0.384 0.126
	योग	2	0.510	0.510
38	प्रभूलाल पिता भागचन्द जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 746/2 ✓ 747/2	0.383 0.126	0.383 0.126
	योग	2	0.509	0.509
39	कमलसिंह पिता भोनीसिंह जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 746/3 ✓ 747/3	0.384 0.127	0.384 0.127
	योग	2	0.511	0.511
40	छोटेसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 748/1 ✓ 750/1 ✓ 867/1 ✓ 868/1	0.436 0.809 0.120 0.525	0.436 0.809 0.120 0.525
	योग	4	1.890	1.890

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
41	जगन्नाथसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	✓748/2 ✓750/2 ✓868/2	0.219 0.405 0.262	0.219 0.405 0.262
	योग	3	0.886	0.886
42	नारायणसिंह, धूपकुंवर पिता गणपतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	✓748/3 ✓750/3 ✓867/3 ✓868/3	0.218 0.405 0.060 0.263	0.218 0.405 0.060 0.263
	योग	4	0.946	0.946
43	कृष्णाकुंवर, डूंगरसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	✓751/2	0.339	0.339
	योग	1	0.339	0.339
44	तंवरलाल पिता भंवरलाल, राजकुंवर बेवा भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	✓751/3	0.338	0.338
	योग	1	0.338	0.338
45	बालसिंह, कक्कुसिंह, नन्दकुंवर पिता कुमेरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	✓751/1	0.677	0.677
	योग	1	0.677	0.677
46	ईश्वर पिता रामचन्द्र जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓752/1 ✓753/1 ✓755/1 ✓756/1	0.055 0.632 0.379 0.062	0.055 0.632 0.379 0.062
	योग	4	1.128	1.128
47	शिवनारायण पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓752/2 ✓753/2 ✓756/2	0.055 0.632 0.062	0.055 0.632 0.062
	योग	3	0.749	0.749
48	छोटेलाल पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓752/3 ✓753/3 ✓756/3 ✓871/2 ✓872	0.058 0.540 0.151 0.215 0.430	0.058 0.540 0.151 0.215 0.430
	योग	5	1.394	1.394
49	मदनलाल पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓752/4 ✓753/4 ✓756/4	0.060 0.472 0.218	0.060 0.472 0.218
	योग	3	0.750	0.750
50	धीसालाल, फूलसिंह पिता शिववलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓755/2	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
51	टेकसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓850/1	1.632	1.631
	योग	1	1.632	1.631

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
52	दिनेशसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓850/2	1.631	1.631
	योग	1	1.631	1.631
53	कुलताबाई पति सजनसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓851/2	2.023	2.023
		✓852	0.797	0.797
	योग	2	2.820	2.820
54	उमराव पिता पन्नालाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓851/3	0.500	0.500
	योग	1	0.500	0.500
55	कन्हैयालाल पिता पन्नालाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓851/4	0.500	0.500
	योग	1	0.500	0.500
56	धीरपसिंह पिता पलिया जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓851/5	0.500	0.500
	योग	1	0.500	0.500
57	रतनबाई पति कालूराम जाति मेहतर नि.ग्राम खुजनेर	✓851/6	1.000	1.000
	योग	1	1.000	1.000
58	गीताबाई पति शंकर जाति मेहतर नि.ग्राम खुजनेर	✓851/7	0.433	0.433
	योग	1	0.433	0.433
59	बीरमसिंह पिता रामलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓657	0.506	0.035
		✓853/1	0.771	0.771
		✓865/1	0.993	0.993
		✓866/1	0.063	0.063
	योग	4	2.333	1.862
60	सुल्तानसिंह, रमेशचन्द्र पिता इन्दरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓853/2	0.386	0.386
		✓865/2	0.496	0.496
		✓866/2	0.032	0.032
		✓593/1	0.215	0.215
	योग	4	1.129	1.129
61	मोडसिंह पिता छीतालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓656/2	0.253	0.020
		✓853/3	0.386	0.386
		✓865/3	0.493	0.493
		✓866/3	0.031	0.031
	योग	4	1.163	0.930
62	सजनसिंह पिता निभेयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓859/2	0.506	0.506
		✓854	1.404	1.404
	योग	2	1.910	1.910

सं.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
63	रंगलाल, धूलीबाई पिता कन्हैयालाल, कंवरलाल, भागीरथ, रामप्रसाद, भोनीसिंह, छोदूलाल पिता बापूलाल, रामकुंवर पिता बापूलाल हि. 17 पै. तुलसीराम, गुलाबचंद पिता प्यारजी, गोकुल, देवीलाल, बाबू, रुकमाबाई, कांता बाई, अनोखसिंह, रामनारायण पिता लालजी हि. 17 पै. प्रभुलाल, दीलतराम, शिवलाल पिता छीतालाल हि. 17 पै. शिवनारायण, प्रेमनारायण, नंदलाल पिता अमरसिंह हि. 18 देवीसिंह, उंकार, मांगीलाल पिता पूरालाल हि. 33 पै. जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	✓ 855	3.288	3.288
	योग	1	3.288	3.288
64	पूरीबाई, राजूबाई पिता मेहताब जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 856 ✓ 857 ✓ 858	0.190 1.050 0.746	0.190 1.050 0.746
	योग	3	1.986	1.986
65	दुर्गाप्रसाद पिता उंकारबक्ष जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 859/1/1 ✓ 860/2 ✓ 862/1	0.298 0.139 1.049	0.298 0.139 1.049
	योग	3	1.486	1.486
66	विष्णुप्रसाद पिता उंकारबक्ष जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 859/1/2 ✓ 860/1 ✓ 861/1 ✓ 862/3	0.297 0.089 0.633 0.377	0.297 0.089 0.633 0.377
	योग	4	1.396	1.396
67	नारायणप्रसाद पिता उंकारबक्ष जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 860/3 ✓ 861/2 ✓ 862/2	0.189 0.632 0.673	0.189 0.632 0.673
	योग	3	1.494	1.494
68	रामगिर पिता उम्मेदगिर जाति गुसाई नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 863/1	0.361	0.361
	योग	1	0.361	0.361
69	रेशमबाई पति कमलसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 863/2 ✓ 864	0.031 0.582	0.031 0.582
	योग	2	0.613	0.613
70	अन्तरकुंवर, कैलाशकुंवर पिता गणपतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 867/2	0.060	0.060
	योग	1	0.060	0.060
71	नारायणसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 869/2	0.126	0.126
	योग	1	0.126	0.126
72	रामचन्द्र पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 871/1	0.215	0.215
	योग	1	0.215	0.215
73	प्रभूलाल पिता छीतालाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 589 ✓ 598 ✓ 602	1.075 0.367 0.392	1.075 0.367 0.392
	योग	3	1.834	1.834

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
74	शिवजी, शैतान पिता प्यारा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓590/1 ✓620/1 ✓621/2	0.202 0.139 0.228	0.202 0.030 0.202
	योग	3	0.569	0.434
75	कन्हैयालाल पिता प्यारा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓590/2 ✓620/2 ✓621/3	0.203 0.139 0.228	0.203 0.139 0.114
	योग	3	0.570	0.456
76	तुलसीराम पिता प्यारजी जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓593/2	0.215	0.215
	योग	1	0.215	0.215
77	तुलसीराम, गुलाबचन्द, भवरीबाई, डालूबाई, कलाबाई, शांतिबाई पिता प्यारजी, अनोखसिंह, रामनारायण, अमृतलाल, नौरंगबाई पिता लालजी जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓594	0.620	0.620
	योग	1	0.620	0.620
78	लाला पिता मेहताब, देवचन्द, बालू, नारायणबाई, देवबाई पिता धूला जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓595 ✓596 ✓614	0.632 0.126 0.721	0.632 0.126 0.721
	योग	3	1.479	1.479
79	बापूलाल, मांगीलाल पिता भोना जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓597 ✓603	0.139 0.797	0.139 0.797
	योग	2	0.936	0.936
80	रमेशचन्द्र पिता नानजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓599/1 ✓601/2	0.057 0.126	0.057 0.126
	योग	2	0.183	0.183
81	फूलसिंह पिता नानजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓599/2 ✓601/3	0.057 0.190	0.057 0.190
	योग	2	0.247	0.247
82	बीरम, उमरावबाई पिता भीमा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓600 ✓565 ✓568 ✓569	0.569 0.202 0.595 0.430	0.569 0.159 0.595 0.430
	योग	4	1.796	1.753
83	रामबाबू पिता प्रभूलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓601/1/1	0.183	0.183
	योग	1	0.183	0.183
84	जगदीश पिता प्रभूलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓601/1/2	0.184	0.184
	योग	1	0.184	0.184
85	नारायणसिंह, बहादुरसिंह, रामेश्वर, भगवानसिंह पिता रामसिंह जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓604/1/1 ✓613	0.076 0.721	0.076 0.721

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
	योग	2	0.797	0.797
86	कैलाशचन्द पिता दौलतराम जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 604/1/2	0.379	0.379
			0.000	0.000
	योग	1	0.379	0.379
87	कमलसिंह, सुनील पिता मथुरालाल जाति किराड नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 604/2	1.177	1.177
			0.000	0.000
	योग	1	1.177	1.177
88	उमरावसिंह पिता नन्दा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 605/1	0.144	0.144
		✓ 606/2	0.054	0.054
		✓ 765	0.751	0.020
		✓ 564/2	0.250	0.210
	योग	4	1.199	0.428
89	फूलसिंह पिता नन्दराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 605/2	0.144	0.144
		✓ 606/1	0.054	0.054
		✓ 564/3	0.250	0.210
	योग	3	0.448	0.408
90	सालगराम पिता बाबरू जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 605/3	0.288	0.288
		✓ 562	0.101	0.060
		✓ 564/4	0.050	0.050
		✓ 766/2	0.456	0.025
	योग	4	0.895	0.423
91	रामसिंह पिता बाबरू जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 605/4	0.289	0.289
		✓ 606/3	0.107	0.107
		✓ 564/1	0.500	0.253
	योग	3	0.896	0.649
92	सबलसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 607/1	0.139	0.139
		✓ 608/1	0.227	0.227
		✓ 609/3	0.215	0.215
		✓ 610/1	0.279	0.279
	योग	4	0.860	0.860
93	इन्दरसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम सनखेड़ी	✓ 607/2	0.139	0.139
		✓ 608/2	0.228	0.228
		✓ 609/2/1	0.013	0.013
		✓ 610/2	0.164	0.164
	योग	4	0.544	0.544
94	गंगाराम पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 607/3	0.139	0.139
		✓ 608/3	0.208	0.208
		✓ 609/1	0.329	0.329
		✓ 610/3	0.164	0.164
	योग	4	0.840	0.840
95	राजू पिता अमृतलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 609/2/2	0.316	0.316
	योग	1	0.316	0.316
96	राजू संजयकुमार पिता अमृतलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 611	0.898	0.898
		✓ 612	0.506	0.506
		✓ 615/2	0.759	0.759

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
	योग	3	2.163	2.163
97	भंवरलाल, बीरमसिंह पिता लालजी, रोड़ीबाई बैवा लालजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 615/1 ✓ 839	2.820 0.582	2.820 0.035
	योग	2	3.402	2.855
98	मोहनलाल पिता मोतीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 834 ✓ 838	0.266 0.215	0.040 0.020
	योग	2	0.481	0.060
99	नारायणसिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 847/4/1 ✓ 848/891/1	0.885 0.733	0.020 0.021
	योग	2	1.618	0.041
100	दिलीपसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 848/1	1.656 0.000	0.018 0.000
	योग	1	1.656	0.018
101	कमल पिता बापूलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 848/2	1.656	0.020
	योग	1	1.656	0.020
102	लक्ष्मीचन्द पिता दरियावसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 759	1.278	0.045
	योग	1	1.278	0.045
103	ममताबाई पति बलवंतसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 760 ✓ 762	1.101 1.189	0.020 0.020
	योग	2	2.290	0.040
104	उमरावसिंह, फूलसिंह, सरदारबाई, कैलाशबाई, अन्तरबाई पिता नन्दा हि. 1/3 रामसिंह, सालगणम पिता बाबरू हि.2/3 जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 766/1 ✓ 564/5	0.025 0.014	0.002 0.014
	योग	2	0.039	0.016
105	बलवानसिंह पिता दरियावसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 684	0.354	0.098
	योग	1	0.354	0.098
106	देवसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 668 ✓ 754/1	0.304 0.253	0.176 0.253
	योग	2	0.557	0.429
107	लालसिंह, प्रभू कालू पिता घीसालाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 666/1/1	0.095	0.030
	योग	1	0.095	0.030
108	माखनसिंह पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 666/1/2	0.095	0.020
	योग	1	0.095	0.020

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
109	दरियावसिंह, नारायणसिंह पिता जगन्नाथ, निर्भयसिंह पिता चैनाजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓655/2	0.190	0.120
	योग	1	0.190	0.120
110	मोडसिंह, हिन्दूसिंह, भगवानसिंह, कमलाबाई, सन्तोषबाई पिता मांगीलाल, बदामबाई विधवा मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓654 ✓653	0.164 1.050	0.164 1.050
	योग	2	1.214	1.214
111	घनसिंह, हजारीलाल, मोतीलाल, चन्नीलाल, नौरंगबाई पिता भागचन्द हि.5/6 देवकरण, नारायणसिंह पिता जगन्नाथ, गीताबाई विधवा जगन्नाथ हि.1/6 जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓566 ✓567	0.784 0.190	0.704 0.190
	योग	2	0.974	0.894
112	करणसिंह पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓504/3 ✓505/4 ✓583/6	0.136 0.206 1.000	0.038 0.206 0.350
	योग	3	1.342	0.594
113	बापूलाल पिता बाबरू जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓504/2 ✓505/2	0.136 0.205	0.020 0.160
	योग	2	0.341	0.180
114	बदामबाई बेवा प्रमूलाल, शीला सन्तोष पिता प्रमूलाल, देवसिंह, बालकृष्ण, बसन्तीबाई, टीना, उर्मिला, गुडडीबाई ना.बा.माता बदामबाई पिता प्रमूलालसर.पर.माता बदामबाई बेवा प्रमूलाल	✓504/4 ✓505/3	0.136 0.206	0.048 0.206
	योग	2	0.342	0.254
115	मानसिंह पिता नानूराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓505/1/1	0.096	0.050
	योग	1	0.096	0.050
116	रंगलाल पिता नानूराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓505/1/2 ✓502/2	0.096 0.300	0.060 0.035
	योग	1	0.396	0.095
117	देवचन्द, भागचन्द, दुर्गा, कमला, गीता, राधी पिता अमरा मुधापू बेवा अमरा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓570/1 ✓571/1 ✓572/1 ✓573/1	0.069 0.594 0.494 0.139	0.069 0.260 0.494 0.139
	योग	4	1.296	0.962
118	मांगीलाल पिता लालजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓570/2/1 ✓571/2/1 ✓572/2/1 ✓573/2/1 ✓583/2	0.017 0.149 0.124 0.034 1.250	0.017 0.070 0.124 0.034 0.506
	योग	5	1.574	0.751

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
119	हरिसिंह पिता लालजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 570/2/3 ✓ 571/2/3 ✓ 572/2/3 ✓ 573/2/3	0.018 0.148 0.123 0.035	0.018 0.100 0.123 0.035
	योग	4	0.324	0.276
120	मथुरालाल पिता लालजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 570/2/2 ✓ 571/2/2 ✓ 572/2/2 ✓ 573/2/2	0.017 0.148 0.123 0.035	0.017 0.100 0.123 0.035
	योग	4	0.323	0.275
121	जसवंत पिता बापूलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 570/2/4 ✓ 571/2/4 ✓ 572/2/4 ✓ 573/2/4	0.018 0.148 0.123 0.035	0.018 0.120 0.123 0.035
	योग	4	0.324	0.296
122	प्रभूलाल, अमृतलाल पिता श्रीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 577 ✓ 579	0.531 0.392	0.531 0.392
	योग	2	0.923	0.923
123	भूलीबाई बेवा बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 578	0.076	0.076
	योग	1	0.076	0.076
124	प्रेम पिता पूरालाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 583/7	1.100	0.250
	योग	1	1.100	0.250
125	भागीरथ पिता नन्दराम जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 658 ✓ 652/1	0.304 0.939	0.015 0.125
	योग	2	1.243	0.140
126	हरिराम, फूलसिंह पिता अनोखसिंह हि.1/2 सूरजबाई बेवा श्रीलाल	✓ 652/2	2.546	0.800
	योग	1	2.546	0.800
127	सूरजबाई, उम्मेदबाई पिता भेरू जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 617 ✓ 618	0.228 0.620	0.195 0.600
	योग	2	0.848	0.795
128	प्रभूलाल, अमृतलाल, मेहताबाई पिता श्रीलाल, मोत्याबाई बेवा श्रीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 621/1	✓ 0.575	0.175
	योग	1	0.575	0.175
129	पर्वतसिंह पिता रोड़जी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 624/1	0.333	0.228
	योग	1	0.333	0.228
130	कैलाश पिता रोड़जी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 624/2	0.333	0.333
	योग	1	0.333	0.333

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
131	शंकरलाल पिता रोड़जी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓624/3	0.334	0.334
	योग	1	0.334	0.334
132	पर्वत, कैलाशचन्द्र, शंकरलाल, सेवाबाई पिता रोड़जी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓624/4	0.050	0.050
	योग	1	0.050	0.050
133	मानसिंह, रंगलाल, कलाबाई पिता नानूराम, धापूबाई बेवा नानूराम	✓504/1 ✓505/1/3	0.136 0.013	0.070 0.007
	योग	2	0.149	0.077
134	प्रेमबाई पति देवीसिंह जाति साँधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓754/2	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
135	हिन्दूसिंह पिता प्रभूलाल, प्रभूलाल पिता श्रीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	✓581/8	0.126	0.126
	योग	1	0.126	0.126
	कुलयोग :-	336	121.294	101.218

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2018

क्रमांक 7049 / भू-अर्जन/2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम तरैनी धाकड के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूँकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम तरैनी धाकड

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	तरैनी धाकड	170.434	167.720
	कुलयोग :-	170.434	167.720

कमांक 7050/भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम शिवपुरा जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम शिवपुरा जागीर

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शिवपुरा जागीर	46.283	42.634
कुलयोग :-		46.283	42.634

क्रमांक 705/भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम शिवपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम शिवपुरा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शिवपुरा	78.852	77.025
कुलयोग :-		78.852	77.025

क्रमांक 7052/भू-अर्जन/2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम लसुडलिया हाजी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूँकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम लसुडलिया हाजी

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	लसुडलिया हाजी	3.709	3.615
कुलयोग :-		3.709	3.615

क्रमांक 7054/अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम कोटरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम कोटरा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कोटरा	10.407	6.949
कुलयोग :-		10.407	6.949

क्रमांक 7055 / भू-अर्जन / 2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम गेंहुखेडी कलां के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील :- नरसिंहगढ

जिला-राजगढ

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम गेंहुखेडी कलां

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गेंहुखेडी कलां	22.809	20.985
कुलयोग :-		22.809	20.985

क्रमांक 7056' भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम बडनगर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम बडनगर

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बडनगर	27.685	27.685
कुलयोग :-		27.685	27.685

क्रमांक 7057/भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम तुर्कीपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम तुर्कीपुरा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	तुर्कीपुरा	74.950	73.807
कुलयोग :-		74.950	73.807

क्रमांक 7058 / भू-अर्जन / 2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम झाडकिया के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम झाडकिया

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	झाडकिया	182.443	177.201
कुलयोग :-		182.443	177.201

क्रमांक 7060/भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम पीलूखेडी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम पीलूखेडी

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पीलूखेडी	31.327	31.168
कुलयोग :-		31.327	31.168

क्रमांक 7061 'भू-अर्जन/2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम सेवास जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूँकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम सेवास जागीर

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सेवास जागीर	84.635	81.468
कुलयोग :-		84.635	81.468

क्रमांक 7063/भू-अर्जन/2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम गडूपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूँकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम गडूपुरा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गडूपुरा	92.604	86.489
कुलयोग :-		92.604	86.489

क्रमांक 7064 / भू-अर्जन / 2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम हिरणखेडी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम हिरणखेडी

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	हिरणखेडी	67.113	60.027
कुलयोग :-		67.113	60.027

क्रमांक 7065/भू-अर्जन/2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम मंगतपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूँकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम मंगतपुर

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मंगतपुर	79.524	58.169
कुलयोग :-		79.524	58.169

क्रमांक 7066 / भू-अर्जन / 2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम सुण्डी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूँकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील :- नरसिंहगढ

जिला—राजगढ

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम सुण्डी

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुण्डी	96.242	87.014
कुलयोग :-		96.242	87.014

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक 0002-अ-82-2017-18

चन्देरी, दिनांक 21 अगस्त 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि /मकान/परिसम्पत्तियों धाराकों के अंकित मकान/परिसम्पत्ति की लोअर ओर बांध परियोजना के अंतर्गत डूब में आने से राज्य सरकार का संबंधित विभाग, उपक्रम मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः म.प्र. शासन राज्य विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2/2014 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को मकान/परिसम्पत्ति आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 की धारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकान / परिसम्पत्ति को उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

1. मकान / परिसम्पत्ति का विवरण :-
 - (क) जिला - अशोकनगर (म.प्र.)
 - (ख) तहसील - चन्देरी
 - (ग) ग्राम - बीठला
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल - 6465.69 वर्ग मीटर

स.क्र.	आबादी खसरा नं.	मकान स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित मकान का क्षेत्रफल वर्ग मी. में
1	2	3	4
1	84, 85, 89, 117,	गुलाब सिंह पुत्र हरीसिंह राजपूत	78.735
2		तोफानसिंह पुत्र गुलाबसिंह	74.98
3		बुन्देलसिंह पुत्र गुलाबसिंह	54.31
4		भानूप्रताप पुत्र सोफानसिंह	41.61
5		दुर्गासिंह पुत्र अमानसिंह	207.42
6		प्रतिपाल पुत्र श्री दुर्गासिंह	96.47
7		दर्शनसिंह पुत्र दर्गसिंह	92.98
8		सन्तराम पुत्र दुर्गासिंह	112.11
9		राजपालसिंह पुत्र निहालसिंह राजपूत	119.84
10		शिशुपालसिंह पुत्र निहालसिंह	177.09
11		विजयसिंह पुत्र पर्वतसिंह राजपूत	42.15
12		लालसिंह पुत्र रूपसिंह	46.96
13		साहवसिंह पुत्र वीरसिंह	148.36
14		प्रतिपाल पुत्र श्री दुर्गासिंह	95.42
15		मोनू पुत्र सीताराम राजपूत	45.95
16		जयपालसिंह पुत्र बाबूसिंह	105.11
17		जितेन्द्रसिंह पुत्र बाबूसिंह राजपूत	54.76
18		बाबूसिंह पुत्र रघुराजसिंह राजपूत	94.60
19		मुकेश पुत्र बाबूसिंह राजपूत	76.27
20		केदारसिंह पुत्र पर्वतसिंह राजपूत	201.25
21		नेतराम पुत्र पर्वतसिंह राजपूत	367.05
22		सुरेन्द्र पुत्र वीरसिंह राजपूत	184.80
23		सुन्दरसिंह पुत्र वीरसिंह राजपूत	102.24
24		सोवरन सिंह पुत्र वीरसिंह राजपूत	85.22
25		कुशुमवाई वेवा वीरसिंह राजपूत	123.18
26		लल्लीराम पुत्र सिरदारसिंह गुर्जर	99.23
27		राजपाल पुत्र सिरदारसिंह गुर्जर	131.21
28		सोनी पुत्र सिरदारसिंह गुर्जर	42.81
29		सिरदारसिंह पुत्र राजरूप गुर्जर	97.88
30		राजन पुत्र मनीराम गुर्जर	59.90
31		विजयराम पुत्र गिरवर गुर्जर	59.30
32		मनीराम पुत्र गिरवर गुर्जर	138.30

33	रामपाल पुत्र मनीराम गुर्जर	71.80
34	जयपाल पुत्र मनीराम गुर्जर	45.01
35	पानकुंवर वाई पत्नि पर्वतसिंह	51.00
36	भारतसिंह पुत्र सुजानसिंह गुर्जर	167.62
37	आन्नदसिंह पुत्र भारतसिंह	33.24
38	हरीओम पुत्र भारतसिंह	41.39
39	परमानन्द पुत्र भारतसिंह	81.56
40	बालकृष्ण पुत्र सरूपा आदिवासी	38.50
41	सरूपा पुत्र कुन्जा सेहर	24.33
42	हरी पुत्र सरूपा सेहर	28.00
43	तुलसी पुत्र सरूपा सेहर	42.48
44	श्रीराम पुत्र भावसिंह	20.68
45	उधम पुत्र सरूपा सेहर	24.95
46	कप्तान पुत्र होरलिया	32.55
47	कल्याण पुत्र होरलिया सेहर	33.20
48	हम्मीरसिंह पुत्र नारायणसिंह	70.10
49	हुरलिया पुत्र कुन्जा	19.38
50	निरपत पुत्र नन्दा	24.00
51	लल्लू पुत्र प्रीतम	5.94
52	राजू पुत्र लल्लूराम सेहर	17.50
53	दीपू पुत्र कोमल	10.26
54	बबलू पुत्र माधवा सेहर	45.46
55	माधव पुत्र चाउआ सेहरिया	33.50
56	प्रेम वेवा मरदुवा सेहर	54.00
57	महेन्द्र पुत्र कोमल सेहर	39.95
58	फुन्दिया पत्नि जयसिंह	32.20
59	बलवीर पुत्र परमा सेहर	75.05
60	अर्जना पुत्र तिजुवा सेहर	93.37
61	केशरिया पुत्र तिजुआ	64.55
62	रामदयाल पुत्र केशरिया सेहर	34.08
63	रतना पुत्र हरजुआ सेहर	39.19
64	मोहब्बतसिंह पुत्र रतन सेहर	29.58
65	सुनील पुत्र रतन	56.40
66	करन पुत्र सिरनाम सेहर	38.18
67	गुड्डा पुत्र परमा सेहर	14.4

68		तोरन पुत्र तिजुआ सेहर	16.95
69		रामसिंह पुत्र परमा सेहर	53.70
70		परमा पुत्र तिजुआ सेहर	25.74
71		वीरन पुत्र शिवुआ सेहर	26.5
72		शिवुआ पुत्र चउदा सेहर	19.84
73		चतुरू पुत्र केसरिया सेहर	73.55
74		कपन पुत्र शिवुआ सेहर	30.15
75		मुन्नी वाई पत्नि जगदीशसिंह सेहर	110.94
76		चन्द्रपालसिंह पुत्र जगदीशसिंह ठाकुर	122.51
77		गजेन्द्र प्रतापसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह ठाकुर	61.74
78		निहालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह ठाकुर	136.80
79		सीताराम पुत्र मेहतावसिंह ठाकुर	253.05
80		ओमकार पुत्र फूलसिंह ठाकुर	76.14
81		देवेन्द्रसिंह पुत्र फूलसिंह ठाकुर	64.63
82		रामपाल सिंह पुत्र फूलसिंह	21.06
83		दुर्गसिंह पुत्र अमानसिंह	30.08
84		नरेशसिंह, मनोजसिंह, वसंतसिंह, कृष्णपालसिंह पुत्रगण भगवानसिंह (सभी के हिस्से बराबर - बराबर)	330.15
85	135/3	हरीसिंह पुत्र हरनाम सिंह	21.29

(2) लोअर ओर बांध परियोजना अंतर्गत डूब में आने से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्देरी में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 0003-अ-82-2017-18

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि /मकान/परिसम्पत्तियों धाराकों के अंकित मकान/परिसम्पत्ति की लोअर ओर बांध परियोजना के अंतर्गत डूब में आने से राज्य सरकार का संबंधित विभाग, उपक्रम मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः म.प्र. शासन राज्य विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2/2014 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को मकान/परिसम्पत्ति आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 की धारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकान / परिसम्पत्ति को उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

1. मकान / परिसम्पत्ति का विवरण :-
 - (क) जिला - अशोकनगर (म.प्र.)
 - (ख) तहसील - चन्देरी
 - (ग) ग्राम - ख्यावदा
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल - 14552.06 वर्ग मीटर

स.क्र.	आबादी खसरा नं.	मकान स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित मकान का क्षेत्रफल वर्ग मी. में
1	2	3	4
1	82,92,105,109,	हटे पुत्र संजयसिंह गुर्जर	201.51
2	159	पप्पू पुत्र संजम गुर्जर	143.59
3		कुवंरजू पुत्र भबूतसिंह	381.03
4		इमरतसिंह पुत्र भबूतसिंह	211.90
5		जयप्रकाश पुत्र इमरतसिंह	78.62
6		संधपालसिंह पुत्र इमरतसिंह गुर्जर	79.67
7		मलखानसिंह पुत्र भबूतसिंह	359.34
8		तोफानसिंह पुत्र संजमसिंह गुर्जर	146.65
9		संजमसिंह पुत्र मानसिंह गुर्जर	225.42
10		अजीतसिंह पुत्र संजमसिंह गुर्जर	50.48
11		उत्तमसिंह पुत्र भबूतसिंह	247.39
12	108	मनकोवाई वेवा हजरतसिंह गुर्जर	45.59
13		कृपालसिंह पुत्र शिवराजसिंह	145.52
14	108	शिवराजसिंह पुत्र नारायणसिंह	191.81
15	22/131	राजावेटी वेवा लालजीराम गुर्जर	123.03
16	22/131	अनमोलसिंह पुत्र लालजीराम गुर्जर	215.90
17	22/131	बद्री पुत्र लालजीराम गुर्जर	69.70
18		गोविन्दसिंह पुत्र गनपतसिंह गुर्जर	218.68
19		सुन्दरवाई वेवा गनपति सिंह गुर्जर	364.63
20		मानकुवंरवाई वेवा कोमलसिंह सोलंकी	60.01
21		विश्वनाथसिंह पुत्र कोमलसिंह सोलंकी	216.33
22		जगदीशसिंह पुत्र पीतमसिंह राजपूत	334.37
23		चन्द्रभानसिंह पुत्र पीतम सिंह राजपूत	74.11
24		कल्याणसिंह पुत्र पीतमसिंह राजपूत	205.77
25		गिरवरसिंह पुत्र पीतमसिंह	43.26

26	मलखानसिंह पुत्र पीतमसिंह राजपूत	167.11
27	मुलायमसिंह पुत्र देवसिंह राजपूत	16.63
28	राजकुमार पुत्र देशराज राजपूत	16.00
29	बाबूसिंह पुत्र सूरतसिंह राजपूत	32.64
30	सरोजवाई वेवा हरीसिंह	143.40
31	रतनसिंह पुत्र प्रीतमसिंह	171.12
32	दशरथसिंह पुत्र मजबूतसिंह	267.90
33	रज्जोवाई वेवा मजबूतसिंह	137.15
34	लक्ष्मणसिंह पुत्र पर्वतसिंह राजपूत	66.62
35	रामबाबू शर्मा पुत्र काशीराम शर्मा	258.87
36	गुड्डीवाई वेवा बलवीरसिंह राजपूत	143.96
37	जयपालसिंह पुत्र बलवीरसिंह राजपूत	71.17
38	इंदरसिंह पुत्र हरनामसिंह राजपूत	67.41
39	सोवरनसिंह पुत्र हरनामसिंह	107.62
40	जशमतसिंह पुत्र हरनामसिंह	144.01
41	करनसिंह पुत्र हरनामसिंह राजपूत	132.98
42	देवीसिंह पुत्र हरनामसिंह	159.91
43	वृजेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह	101.04
44	दयाराम पुत्र बालचन्द्र	125.11
45	देवीलाल पुत्र लछुआ आदिवासी	101.79
46	राजकुमार वेवा नरेन्द्रसिंह	228.94
47	गीतादास पुत्र देवीलाल आदिवासी	18.84
48	बाबू पुत्र लछुआ आदिवासी	124.43
49	कल्याण पुत्र सुमना आदिवासी	122.62
50	देशराज पुत्र कल्याण आदिवासी	75.82
51	श्यामलाल पुत्र उमरा आदिवासी	40.31
52	श्रीपाल पुत्र रामलाल	47.77

6

53	भग्गा पुत्र उमरा आदिवासी	27.39
54	सरस्वती वाई वेवा किशोरी आदिवासी	50.96
55	रामपाल पुत्र कल्लू आदिवासी	24.06
56	सिरनाम पुत्र कल्याणसिंह आदिवासी	87.36
57	गजराम पुत्र कल्लू आदिवासी	86.71
58	रामपाल पुत्र चन्दना आदिवासी	84.29
59	परमा पुत्र मल्लू आदिवासी	82.86
60	रामसिंह पुत्र खरगा आदिवासी	74.15
61	मख्खोवाई वेवा शिवराज आदिवासी	45.79
62	अमनियावाई वेवा खरगा आदिवासी	14.07
63	रामदयाल पुत्र हरगा आदिवासी	46.47
64	कल्लू पुत्र किशोरा आदिवासी	102.08
65	जयराम पुत्र कल्लू आदिवासी	26.20
66	गजराम पुत्र कल्लू आदिवासी	20.09
67	गज्जू पुत्र किशोरी आदिवासी	90.40
68	कल्याण पुत्र सुमना सेहर	137.49
69	कोमल पुत्र इमरत आदिवासी	190.37
70	कंचन पुत्र पूरन सेहर	149.03
71	अनरत पुत्र गुमना आदिवासी	114.53
72	परमाल पुत्र कल्याण सेहर	112.93
73	रविन्द्र पुत्र करन आदिवासी	43.36
74	करन पुत्र अर्जुनसिंह आदिवासी	21.25
75	रामचरन पुत्र अर्जुनसिंह आदिवासी	44.76
76	रतन पुत्र पतिया सेहर	44.83
77	प्रेमसिंह पुत्र रतना सेहर	18.42
78	भंवरा पुत्र बलुआ आदिवासी	45.56
79	नन्नु पुत्र भंवरा आदिवासी	60.48

80	रज्जू पुत्र पतईया सेहर	38.05
81	पन्ना पुत्र बलुआ आदिवासी	25.25
82	कैलाश पुत्र पन्नालाल आदिवासी	34.49
83	राजू पुत्र लछुआ सेहर	157.17
84	मानसिंह पुत्र चंदन सेहर	76.55
85	मानसींग पुत्र पतइयां आदिवासी	41.90
86	मंगू पुत्र केशरी आदिवासी	60.75
87	रामबाबू पुत्र केसरी आदिवासी	70.35
88	दुर्गा पुत्र केसरी आदिवासी	68.61
89	केसरी पुत्र चंदना आदिवासी	67.90
90	सीतू पुत्र देवसिंह सेहर	53.18
91	धनियावाई आदिवासी पत्नि चंदना आदिवासी	12.72
92	भाईयन पुत्र चंदना आदिवासी	65.19
93	अमरा पुत्र जुगरा सेहर	52.74
94	चन्द्रमान पुत्र कंचन आदिवासी	108.86
95	कृपालसिंह पुत्र जाहरसिंह	186.25
96	छोटेसिंह पुर निरंजन राजपूत	30.24
97	शिशुपालसिंह पुत्र जाहरसिंह राजपूत	151.04
98	रेतपालसिंह पुत्र देवी सिंह	10.24
99	प्रतिपालसिंह पुत्र देवीसिंह	10.24
100	धनंजय पुत्र महेन्द्रपालसिंह बुन्देला	10.24
101	सावित्रीदेवी पत्नि भगवतशरण मिश्रा	10.24
102	लल्लीराम पुत्र बाबूसिंह गुर्जर	121.30
103	रामकिशन पुत्र सीताराम गुर्जर	135.08
104	बाबूसिंह पुत्र सीताराम गुर्जर	151.76
105	अजयसिंह पुत्र बाबूसिंह गुर्जर	170.29
106	भोलाराम पुत्र श्री सीताराम गुर्जर	192.63

107	आशाराम पुत्र सीताराम गुर्जर	220.88
108	सवाईलाल पुत्र तोरनसिंह गुर्जर	276.41
109	होतमसिंह पुत्र सीताराम गुर्जर	94.90
110	नीलमसिंह पुत्र हरज्ञानसिंह गुर्जर	102.05
111	हरज्ञान पुत्र तोरन गुर्जर	88.07
112	छोटेराजा पुत्र हरज्ञानसिंह गुर्जर	163.11
113	दिनेश पुत्र मुंसीलाल गुर्जर	185.97
114	मुन्सीलाल पुत्र तोरनसिंह गुर्जर	167.57
115	हाकिमसिंह पुत्र तोरनसिंह	166.00
116	सलमानसिंह पुत्र हाकिमसिंह	73.85
117	धर्मेन्द्र पुत्र हाकिमसिंह	47.14
118	कप्तानसिंह पुत्र सवाईलाल गुर्जर	111.57
119	बादामसिंह पुत्र पीतमसिंह गुर्जर	277.75
120	गोविन्दसिंह पुत्र बादामसिंह गुर्जर	260.96
121	लाखनसिंह पुत्र भगवानसिंह गुर्जर	91.00
122	सैधपाल पुत्र लाखनसिंह गुर्जर	75.06
123	सुरेन्द्रसिंह पुत्र लाखनसिंह गुर्जर	76.37
124	जगराम पुत्र भगवानसिंह गुर्जर	160.62
125	ओमप्रकाश पुत्र जगराम गुर्जर	164.32
126	सिरपालसिंह पुत्र कल्याणसिंह गुर्जर	73.42
127	कल्याणसिंह पुत्र भगवानसिंह गुर्जर	125.41
128	पंजाबसिंह पुत्र कल्याणसिंह गुर्जर	65.10

(2) लोअर ओर बांध परियोजना अंतर्गत डूब में आने से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्देरी में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 0004/अ/82/2017-18

सार्वजनिक सूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि /मकान/परिसम्पत्तियों धाराकों के अंकित मकान/परिसम्पत्ति की लोअर ओर बांध परियोजना के अंतर्गत डूब में आने से राज्य सरकार का संबंधित विभाग, उपक्रम मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः म.प्र. शासन राज्य विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2/2014 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को मकान/परिसम्पत्ति आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 की धारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकान / परिसम्पत्ति को उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

1. मकान / परिसम्पत्ति का विवरण :-

(क)	जिला	-	अशोकनगर (म.प्र.)
(ख)	तहसील	-	चन्देरी
(ग)	ग्राम	-	पगरा
(घ)	लगभग क्षेत्रफल	-	18153.79 वर्ग मीटर

स.क्र.	आबादी खसरा नं.	मकान स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित मकान का क्षेत्रफल वर्ग मी. में
1	2	3	4
1	3/1/2,52,56,61	रामसिंह पुत्र हनुमन्तसिंह यादव	412.96
2		लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री हनुमन्तसिंह यादव	382.06
3		रामवीर पुत्र राजाराम यादव	323.09
4		बाबूलाल पुत्र हरचरण यादव	312.72
5		गंदावाई पत्नि घूमनसिंह उर्फ भूमनसिंह यादव	23.04
6		अजबसिंह पुत्र जगराम यादव	75.91
7		जयराम पुत्र घूमनसिंह यादव	168.57
8		तिलकराम पुत्र घूमनसिंह यादव	123.73
9		लल्लौराम पुत्र घूमनसिंह यादव	103.69
10		राजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह यादव	258.17
11		भरतसिंह पुत्र नारायणसिंह यादव	273.86
12		शिशुपाल पुत्र नारायण सिंह यादव	224.05
13		गब्बरसिंह पुत्र नारायणसिंह यादव	230.29
14		नारायणसिंह पुत्र हरलाल यादव	140.30
15		कल्याणसिंह पुत्र लल्लौराम यादव सन्तराम पुत्र लल्लौराम, राधेश्याम पुत्र लल्लौराम यादव	328.92
16		फूलसिंह, विश्रामसिंह, मुलायम सिंह पुत्र भैयालाल यादव मोहनसिंह पुत्र अभयसिंह, अरविन्द पुत्र कोकसिंह यादव	325.72
17		सोहनसिंह पुत्र श्रीपतसिंह यादव, अशोक, जयसिंह, जाहरसिंह पुत्रगण सोहनसिंह यादव	225.90
18		सियाराम पुत्र श्रीपतसिंह यादव	98.82

19	रामकली बाई वेवा सोजपाल सिंह यादव	149.37
20	बालकृष्ण पुत्र दीमानसिंह यादव	250.43
21	रामदयाल पुत्र दीवानसिंह यादव	231.94
22	बलवंतसिंह पुत्र दिमानसिंह यादव	132.33
23	सूरजसिंह पुत्र दीमानसिंह यादव	121.59
24	दयाराम पुत्र गोविन्दसिंह	170.55
25	रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह	296.17
26	कृपालसिंह पुत्र गोविन्दसिंह	261.11
27	हरवानसिंह पुत्र गोविन्दसिंह	255.95
28	रामसिंह पुत्र गज्जू पाल	70.59
29	शिवचरण पुत्र गज्जू पाल	98.01
30	हरचरण पुत्र गज्जू पाल	46.12
31	हरकिशन पुत्र गज्जू पाल	150.28
32	हरप्रसाद पुत्र पन्नालाल पाल	155.15
33	वीरन पुत्र हरप्रसाद पाल	103.76
34	मानसिंह पुत्र हरप्रसाद पाल	108.06
35	श्री इमरत पुत्र हरप्रसाद पाल	41.45
36	मन्तियावाई पत्नि गज्जू पाल	18.14
37	रूपसिंह पुत्र हरचरण पाल	39.90
38	लल्लू पुत्र पन्ना सेहर	40.60
39	ऊदल पुत्र लक्ष्मण सेहर	16.62
40	जशरथ पुत्र लक्ष्मण सेहर	14.46

41	गब्बर पुत्र रमेश वंशकार	28.56
42	रमेश पुत्र फुन्दा वंशकार	32.64
43	शिशुपाल पुत्र रमेश वंशकार	65.36
44	चन्द्रमान पुत्र रमेश वंशकार	18.00
45	सन्तू पुत्र कलुआ वंशकार	74.99
46	कलियावाई वेवा इमरत	45.36
47	केवल पुत्र इमरत आदिवासी	17.85
48	शिवराज पुत्र इमरता आदिवासी	35.22
49	नेपाल पुत्र हरनाम	17.07
50	सुल्तान पुत्र हरनाम आदिवासी	09.99
51	हरनाम पुत्र गजुवा	33.66
52	चैऊ पुत्र चऊदा	30.74
53	धारा पुत्र हरनाम	09.10
54	सुजान पुत्र चऊदा	13.50
55	रामचरन पुत्र कन्हैया	21.70
56	सुखवीर पुत्र रामचरन	31.27
57	चम्मा पुत्र रामचरण	20.32
58	मुनीम पुत्र किशना	15.68
59	कल्लीराम पुत्र किशना आदिवासी	19.98
60	भागीरथ पुत्र हरसींगा	26.63
61	दुर्योधन पुत्र भागीरथ	12.04
62	शोभाराम पुत्र देवसिंह	26.90

63	देवीसिंह पुत्र सुम्मेर	18.70
64	लालजीराम पुत्र तिस्सा	62.67
65	प्रातप पुत्र तिस्सा	59.38
66	मूतिया पुत्र मानसिंह	05.50
67	दुर्जना पुत्र पर्वता	37.22
68	देशराज पुत्र पर्वता	75.24
69	तिस्सा पुत्र मुतिया	41.11
70	देवचन्द पुत्र तिस्सा	27.90
71	किशाना पुत्र हरसीगा	27.50
72	रजिया वेवा समरता	24.34
73	कबूला पुत्र कल्लू	19.60
74	सुन्दरा पुत्र कल्लू	13.20
75	कल्लू पुत्र हरसीगा	09.90
76	प्रकाश पुत्र कल्लू	23.31
77	छोटेलाल पुत्र हरसीगा सेहर	76.78
78	भग्गू पुत्र अर्जना	44.90
79	पहलावान पुत्र भग्गू	33.26
80	मेहरवान पुत्र भग्गू	27.30
81	आशाराम पुत्र अर्जना	57.20
82	खेतसिंह पुत्र अर्जना	43.92
83	जनका पुत्र बड़डर	08.10
84	करनसिंह पुत्र अर्जना	79.85

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

वीरन पुत्र भगू	42.25
बल्लू पुत्र वीरन	22.60
कल्याण पुत्र गलुवा	37.72
सरूपा पुत्र मानसिंह	30.76
रामलाल पुत्र गजुवा	10.20
बुद्ध पुत्र गलुवा	36.00
मनवईया (मनवोवा) पुत्र गजुवासिंह	09.03
कन्हैया पुत्र कलुवा	15.80
नन्दा पुत्र कन्हैया	44.56
ओमकार पुत्र पन्ना	38.25
नेवा वाई देवा पन्नालाल	12.75
गुलईया पुत्र सुम्मेरा	25.39
फूला(फूलन) पुत्र गुलइयां	55.85
नारायणसिंह पुत्र देवसिंह	36.52
देवसिंह पुत्र कम्मोदसिंह	16.80
निरभा पुत्र देवसिंह	12.00
लक्ष्मण पुत्र देवसिंह	26.46
पीतम पुत्र देवसिंह	18.01
गोरेलाल पुत्र देवसिंह सेहर	13.50
जयकुवर देवा जिहार सेहर	41.29
कमला पुत्र सुम्मेर सेहर	10.57
सिरनाम पुत्र कमला सेहर	31.80

107	राजू पुत्र सिरनाम सेहर	10.50
108	धुन्धा पुत्र देवसिंह सेहर	36.28
109	मोहन पुत्र कन्हईराम सेहर	30.00
110	कन्हईराम पुत्र चऊदा सेहर	30.89
111	पर्वत पुत्र मुतिया सेहर	107.50
112	गजराम पुत्र सूरतिया सेहर	39.25
113	लालाराम पुत्र जगना आदिवासी	73.89
114	हिम्मलसिंह पुत्र लालाराम आदिवासी	77.02
115	मानसिंह पुत्र लालाराम आदिवासी	90.67
116	बुन्देल पुत्र पूरन आदिवासी	12.92
117	पूरन पुत्र भन्ता आदिवासी	31.28
118	बबलू पुत्र श्याम आदिवासी	09.89
119	श्यामा पुत्र भन्ता आदिवासी	23.60
120	रमको पुत्र जलमा आदिवासी	17.82
121	प्यारीवाई वेवा जलमा	26.68
122	वंशिया पुत्र गनपत	56.81
123	सन्तोक पुत्र गनपत आदिवासी	36.58
124	कपूरा पुत्र सन्तोक आदिवासी	10.56
125	नीलम पुत्र वंशिया आदिवासी	20.34
126	अशोक पुत्र सीमा आदिवासी	31.04
127	सुजान पुत्र नथुआ आदिवासी	19.40
128	नथुआ पुत्र गनपत	50.78

129	हनू पुत्र नथुआ	11.10
130	ऊधम पुत्र पर्वत आदिवासी	12.96
131	जहार पुत्र पर्वता आदिवासी	18.60
132	नन्दलाल पुत्र रूमाल	07.04
133	गेंदालाल पुत्र बल्देवा	25.55
134	रघुवर पुत्र कप्तान	22.54
135	जाहर पुत्र रामसिंह	12.38
136	जितेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह	32.16
137	रामसिंह पुत्र रतनसिंह आदिवासी	32.80
138	काशीराम पुत्र लच्छु	22.04
139	चन्द्रभान पुत्र सूरतिया सेहर	23.07
140	पवियावाई वेवा सूरतिया	25.74
141	पहलवान पुत्र हज्जी सेहर	17.67
142	विन्दा पुत्र हज्जी	44.29
143	मोहरसिंह पुत्र विन्दा	33.05
144	विजन पुत्र जगना	59.10
145	जीवन पुत्र धीरसिंह	31.39
146	वीरभानसिंह पुत्र जीवन सिंह यादव	14.42
147	शिवराज पुत्र धीरजसिंह यादव	21.78
148	महेन्द्रपाल पुत्र शिवराज सिंह यादव	14.75
149	जन्डेलसिंह पुत्र शिवराज सिंह यादव	11.84
150	रामवीर पुत्र शिवराज सिंह यादव	57.79

151	शिशुपाल पुत्र शिवराज सिंह यादव	25.30
152	अजय पुत्र शिवराज सिंह यादव	11.76
153	इन्द्रभान सिंह पुत्र शिवराजसिंह यादव	55.61
154	सुरेन्द्र सिंह पुत्र शिवराजसिंह यादव	07.38
155	यशपाल पुत्र शिवराजसिंह यादव	16.23
156	वीरसिंह पुत्र लाखनसिंह	15.99
157	राजपाल पुत्र लाखनसिंह	15.99
158	रावसाहब पुत्र केवलसिंह	15.99
159	हरिया पुत्र लक्ष्मण आदिवासी	16.80
160	खेतसिंह पुत्र चालीसिंह	16.80
161	कमलावाई पत्नी हनुमंतसिंह यादव	16.80
162	गीतावाई पत्नी जयपाल सिंह यादव	41.69
163	प्रहलाद सिंह पुत्र केवलसिंह	15.99
164	वीरपाल पुत्र केदारसिंह	15.99
165	इन्द्रल पुत्र केदारसिंह	15.99
166	रतना पुत्र भग्गा	12.50
167	दशरथ पुत्र मानसिंह पाल	20.45
168	मानसिंह पुत्र कंधई पाल	211.21
169	रामवली पुत्र विन्दा सेहर	71.04
170	पहलवान पुत्र हज्जी सेहर	13.93
171	गंगिया वेवा हज्जी	38.50
172	कपूरी वेवा हज्जी सेहर	22.78

173		निशान पुत्र गेदालाल सेहर	24.34
174		हरीराम पुत्र गेदालाल सेहर	40.74
175		जमुनिया पत्नी गेदालाल सेहर	24.48
176		रामसिंह पुत्र रतना सेहर	69.63
177		रज्जू पुत्र संतोष सेहर	30.94
178		विनोद पुत्र संतोकसिंह सेहर	25.25
179		गोवन पुत्र सोभा सेहर	13.50
180		भूपेन्द्र पुत्र सूरतसिंह बुंदेला	22.36
181		खुमान पुत्र उधम आदिवासी	53.25
182		कैलाश पुत्र पर्वत सेहर	59.98
183		निरचनवाई वेवा पर्वत सेहर	40.25
184		चन्द्रभान पुत्र सूरतिया सेहर	37.60
185		नरेश पुत्र बट्टी सेहर	12.80
186		नन्हें पुत्र सूरतिया सेहर	08.50
187		प्रकाश पुत्र सूरतिया सेहर	77.18
188		तिजियावाई वेवा महेन्द्र सेहर	50.07
189		धर्मपालसिंह पुत्र सेंधपालसिंह परमार	23.52
190	40/2	लाखनसिंह, केदारसिंह, केवलसिंह पुत्रगण सिरनामसिंह	862.73
191	40/2	राजपाल पुत्र लाखनसिंह	35.78
192	40/3/2	चन्द्रभानसिंह पुत्र रघुवीरसिंह यादव	152.40
193	40/3/1	खलकसिंह पुत्र रघुवीरसिंह यादव	326.25
194	38	जीवन पुत्र धीरसिंह	87.18

195	38 ⁱ	सुल्तान पुत्र विक्रमसिंह	52.05
196	38	कप्तानसिंह पुत्र विक्रमसिंह	185.69
197	67	केदारसिंह पुत्र उत्तमसिंह	624.23
198	67	बलराम पुत्र उत्तमसिंह यादव	572.62
199	67	शेरसिंह पुत्र उत्तमसिंह	378.74
200	67	उत्तमसिंह पुत्र भीमसिंह	30.24
201	67	पूरनसिंह पुत्र हिम्मतसिंह	54.00
202	62 ⁱ	संगीतावाई वेवा मलखानसिंह	106.25
203	62	जन्डेलसिंह पुत्र शिवराजसिंह	89.22
204	62	सुरेन्द्रसिंह पुत्र शिवराजसिंह	79.25
205	62	यशपालसिंह पुत्र शिवराजसिंह	21.68
206	62	महेन्द्र पाल पुत्र शिवराज	21.44
207	62	रामवीरसिंह पुत्र शिवराजसिंह	22.05
208	62	इन्द्रभानसिंह पुत्र शिवराजसिंह	61.81
209	62 ⁱ	नरेन्द्रसिंह पुत्र कप्तानसिंह यादव	39.67
210	82 / 1 / 1	कप्तानसिंह पुत्र गेंदासिंह	18.58
211	82 / मिन	राजकुमार पुत्र जालिम	15.12
212	82 / मिन	रमेश पुत्र जालिम	34.80
213	82 / मिन	जितेन्द्र पुत्र रमेश	19.71
214	82 / मिन	बबू पुत्र श्यामा	84.70
215	85 / 1 / 2	छोटीराजा वेवा लाखनसिंह बुन्देला शिवप्रतापसिंह (गोदीनामा)	143.43
216		त्रिलोक पुत्र नारायणसिंह	145.32

217	100 मिन	वीरभानसिंह पुत्र जीवन सिंह यादव	149.64
218	100 मिन	धनुषवाई वेवा नेपालसिंह	95.78
219		सुल्तान पुत्र विक्रमसिंह	103.81
220	85 / 1 / 2	उदयभान पुत्र रामलाल यादव	153.07
221	85 / 13	रामलाल पुत्र पूरनसिंह	90.26
222	85 / 13	छोटेलाल पुत्र पूरनसिंह	139.32
223	85 / 13	गंभीरसिंह पुत्र पूरनसिंह	167.28
224	100 / 1 / 2	कोकसिंह पुत्र भैयालाल (प्रेमावाई)	235.85
225	100 / 1 / 2	प्रेमावाई वेवा भैयालाल	418.01
226	100 / 1 / 2	मोहन पुत्र अभय सिंह	221.14
227	91	रामकली वेवा संधपालसिंह यादव	128.19
228	91	बादामसिंह पुत्र श्रीपतसिंह	195.65
229	100 / 1 / 1 / 10	लच्छू पुत्र रतना आदिवासी	63.19
230	100 / 1 / 1 / 10	पूरन पुत्र भन्ता आदिवासी	38.40
231	5 / 1 / 19	रामचरण पुत्र सुम्मेरसिंह	100.75
232	85 / 9	कल्याण वृद्ध रामलाल पुत्र गजुआ मलवाई वेवा गजुआ आदिवासी	67.87

(2) लोअर ओर बांध परियोजना अंतर्गत डूब में आने से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्देरी में किया जा सकता है।

क्रमांक ०००५/अ/८२/२०१७-१८

वूँके राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (१) वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (२) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि /मकान/परिसम्पत्तियों धाराकों के अंकित मकान/परिसम्पत्ति की लोअर ओर बांध परियोजना के अंतर्गत डूब में आने से राज्य सरकार का संबंधित विभाग, उपक्रम मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति दिनांक १२ नवम्बर २०१४ के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः म.प्र. शासन राज्य विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-१२-२/२०१४ ए भोपाल दिनांक १२ नवम्बर २०१४ की कण्डिका ११ (१) एवं (२) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को मकान/परिसम्पत्ति आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह १५ दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति १२ नवम्बर २०१४ की धारा (१) एवं (२) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकान / परिसम्पत्ति को उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

१. मकान / परिसम्पत्ति का विवरण :-

(क)	जिला	-	अशोकनगर (म.प्र.)
(ख)	तहसील	-	चन्देरी
(ग)	ग्राम	-	पहाड़पुर
(घ)	लगभग क्षेत्रफल	-	५९४२.४८ वर्ग मीटर

स.क्र.	आबादी खसरा नं.	मकान स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित मकान का क्षेत्रफल वर्ग मी. में
1	2	3	4
1	50	रविन्द्रसिंह पुत्र प्यारेराजा परमार	38.99
2		नन्नेराजा पुत्र भबूतसिंह परमार	486.76
3		प्यारेराजा पुत्र भबूतसिंह परमार	168.62
4		नरेन्द्रसिंह पुत्र प्यारेराजा परमार	24.19
5		हरवान पुत्र मोतीलाल लोधी	61.28
6		प्रकाश पुत्र लाखनलाल लोधी	46.92
7		रामनिवास पुत्र लाखनलाल लोधी	17.02
8		माखनवाई वेवा जसरथ लोधी	58.68
9		लक्ष्मण पुत्र राजधर लोधी	58.68
10		रजिया वेवा आशाराम लोधी	70.52
11		इमरत पुत्र राजधर लोधी	402.10
12	56	इमरत, लक्ष्मण, दयाराम पुत्रगण राजधर लोधी	7.13
13		भैरो पुत्र मोतीलाल लोधी	54.55
14		जाहरसिंह पुत्र मोतीलाल लोधी	67.20
15	56	जाहरसिंह, भैरो पुत्रगण मोतीलाल लोधी	27.51
16		प्रीतम पुत्र मोतीलाल लोधी	104.84
17		रामकली पत्नी हजारीलाल लोधी	21.93
18		राजाराम, जयराम पुत्रगण हजारीलाल लोधी	122.13
19		सुल्तानसिंह पुत्र बल्देवसिंह परमार	41.36
20		देवीसिंह पुत्र सुल्तानसिंह परमार	26.90
21		शंकरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह परमार	35.98
22		यशपाल पुत्र सुल्तानसिंह परमार	21.75
23		सुकपाल पुत्र रघुवीरसिंह परमार	50.39
24		जण्डेलसिंह पुत्र वीरसिंह परमार	121.11
25		भारतीराजा पत्नि धर्मेन्द्रसिंह परमार (तालकशुदा)	26.40

26	पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र जण्डेलसिंह	7.20
27	राघवेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह परमार	78.59
28	मुन्नीराजा पत्नि सूरतसिंह परमार	124.85
29	केदारसिंह पुत्र वीरसिंह परमार	197.81
30	भागीरथ पुत्र दुर्जन लोधी	120.29
31	रवि पुत्र भागीरथ लोधी	24.19
32	सुरेश पुत्र भागीरथ लोधी	18.72
33	बृखभानसिंह पुत्र भागीरथ लोधी	18.00
34	रामदेवी पत्नि सोनू	24.78
35	वृजभान, परमाल, लाखनसिंह पुत्रगण दुर्गसिंह	25.52
36	वीरेन्द्रसिंह पुत्र करनसिंह	25.52
37	कैलाश पुत्र मानसिंह विश्वकर्मा	118.01
38	रामपाल पुत्र कैलाश विश्वकर्मा	50.60
39	तुलाराम पुत्र हरपा विश्वकर्मा	114.78
40	दीपचन्द्र पुत्र तुलाराम विश्वकर्मा	29.20
41	दिनेश पुत्र तुलाराम विश्वकर्मा	29.20
42	खिलन पुत्र सुन्दरा विश्वकर्मा	74.27
43	सुनील पुत्र खिलन विश्वकर्मा	34.15
44	मन्नू पुत्र खिलन विश्वकर्मा	32.47
45	सियाराम पुत्र सुन्दरा विश्वकर्मा	113.68
46	कोमल पुत्र जग्गा विश्वकर्मा	73.05
47	भगवानदास पुत्र कोमल विश्वकर्मा	40.80
48	शांतिवाई पत्नि लालचन्द विश्वकर्मा	172.03
49	रामस्वरूप पुत्र लालचन्द विश्वकर्मा	12.00
50	रामसेवक पुत्र लालचन्द विश्वकर्मा	32.13
51	प्रकाश पुत्र जग्गा विश्वकर्मा	121.28
52	काशीराम पुत्र जग्गा विश्वकर्मा	100.72
53	फूलवाई पत्नि जग्गा विश्वकर्मा	18.68
54	रामप्रसाद पुत्र हमरत लोधी	35.55

55		संतराम पुत्र इमरत लोधी	42.12
56		अजबसिंह पुत्र जाहरसिंह लोधी	26.80
57	42	संधपालसिंह पुत्र नन्नहैराजा परमार	40.61
58	42	सुरेन्द्रसिंह पुत्र नन्नहैराजा परमार	44.64
59	42	बबलूराजा पुत्र नन्नहैराजा परमार	65.96
60	42	केपीसिंह पुत्र नन्नहैराजा परमार	28.31
61	42	लल्लूराम पुत्र नन्नहैराजा परमार	28.31
62	42	रावसाहब पुत्र नन्नहैराजा परमार	34.11
63	54	शिवप्रसाद पुत्र निरभय लोधी	111.34
64	54	सीतराम पुत्र निरभा लोधी	191.50
65	54	हरीकिशन पुत्र निरभय लोधी	54.90
66	54	पंचमसिंह पुत्र शिवप्रसाद लोधी	84.92
67	54	धर्मेन्द्र पुत्र सीताराम लोधी	29.54
68	54	रामरतन पुत्र शिवप्रसाद लोधी	35.16
69	54	पूरनसिंह पुत्र शिवप्रसाद लोधी	67.31
70	56	संजम पुत्र जशरथ लोधी	72.52
71	56	राहुल पुत्र संजमसिंह लोधी	74.94
72	56	कुवंरराज पुत्र जशरथ लोधी	81.30
73	56	किशनपाल पुत्र आशाराम लोधी	23.76
74	56	दयाराम पुत्र आशाराम लोधी	21.60
75	56	धीरजसिंह पुत्र लाखनसिंह लोधी	19.98
76	56	मेहरवान पुत्र लक्ष्मण लोधी	32.55
77	60	देशराज पुत्र जशरथ लोधी	214.82
78	60	गजराज पुत्र जशरथ लोधी	176.17
79	60	सुरेश पुत्र इमरत लोधी	26.88
80	60	लाखनसिंह पुत्र श्रीपत लोधी	281.49

(2) लोअर ओर बांध परियोजना अंतर्गत डूब में आने से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्देरी में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 0006-अ-82-2107-18

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि /मकान/परिसम्पत्तियों धाराकों के अंकित मकान/परिसम्पत्ति की लोअर ओर बांध परियोजना के अंतर्गत डूब में आने से राज्य सरकार का संबंधित विभाग, उपक्रम मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः म.प्र. शासन राज्य विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2/2014 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को मकान/परिसम्पत्ति आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 की धारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकान / परिसम्पत्ति को उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

1. मकान / परिसम्पत्ति का विवरण :-

(क)	जिला	-	अशोकनगर (म.प्र.)
(ख)	तहसील	-	चन्देरी
(ग)	ग्राम	-	लिघौरा
(घ)	लगभग क्षेत्रफल	-	24602.03 वर्ग मीटर

स.क्र.	आबादी खसरा नं.	मकान स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित मकान का क्षेत्रफल वर्ग मी. में
1	2	3	4
1	166, 168, 189, 192, 194, 278/208	प्यारेराजा बुन्देला पुत्र रघुवीर सिंह बुन्देला	623.75
2		राजभानसिंह पुत्र बुधसिंह बुन्देला	184.96
3		नत्थुराजा पुत्र बुद्धासिंह बुन्देला	255.86
4	173/2	रघुराजसिंह पुत्र सरदारसिंह बुन्देला	133.77
5	152/2/1	सूरजसिंह पुत्र परमालसिंह बुन्देला	416.43
6	152/2/2	अतलकूर वेवा भगवानसिंह बुन्देला	376.49
7		ओमकारसिंह पुत्र पर्वतसिंह बुन्देला	38.78
8		ग्यासीराम पुत्र दौला रजक	39.61
9		हरज्ञान पुत्र बाबूलाल रजक	22.5
10		हरज्ञान पुत्र बाबूलाल रजक	60.54
11	155	रामसिंह पुत्र हरनामसिंह यादव	151.69
12		नवाबसिंह पुत्र रामसिंह यादव	104.12
13		सोनसिंह पुत्र काशीराम यादव	113.55
14		सन्तोखसिंह पुत्र काशीराम यादव	61.19
15		भानसिंह पुत्र धीरजसिंह यादव	27
16		शेरसिंह पुत्र धीरजसिंह यादव	191.11
17		काशीराम पुत्र हरनामसिंह यादव	104.53
18		राजाराम पुत्र तूफानसिंह यादव	233.65
19		खलकसिंह पुत्र हरनामसिंह यादव	236.51
20		काशीराम पुत्र हरनामसिंह यादव	32.38
21		त्रिलोकसिंह पुत्र धीरजसिंह यादव	148.73
22		हरनामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह यादव	26.24
23		धारुसिंह पुत्र श्रीपत यादव	169.23
24		धारुसिंह पुत्र श्रीपत यादव	31.95
25		लल्लीराम पुत्र महाराजसिंह यादव	104.05
26	राजाराम पुत्र तोफानसिंह यादव	123.03	
27	शिवराज पुत्र होरलसिंह यादव	42.3	
28	केशव पुत्र श्रीपत यादव	144.7	
29	संतोकसिंह पुत्र गोविन्दसिंह यादव	142.49	
30	राजाराम पुत्र बृजलाल लोधी	126.54	
31	देशराज पुत्र बृजलाल लोधी	151.06	
32	प्रेमवाई वेवा बृजलाल लोधी	87.54	
33	नाथूराम पुत्र गनपत लोधी	207.62	
34	कमलसिंह पुत्र श्यामलाल लोधी	228.77	
35		वीरसिंह पुत्र गोकुल लोधी	184.58

36	ज्ञानसिंह पुत्र गोकुलसिंह लोधी	172.08
37	गोकुलसिंह पुत्र भगुन्तसिंह लोधी	47.7
38	चन्द्रभानसिंह पुत्र गोकुलसिंह लोधी	170.33
39	जशवंतसिंह पुत्र गनपतसिंह यादव	252.88
40	छोटेराजा पुत्र नारायणसिंह बुन्देला (मकान. नं. 51 पर भी)	170.13
41	सरमनसिंह पुत्र रतनसिंह परमार	93.8
42	दामोदर पुत्र हरलाल लुहार	85.3
43	घनश्याम पुत्र चम्पालाल लुहार	25.2
44	राजभैया पुत्र नारायणसिंह लुहार	49.9
45	गेंदावाई वेवा जानकीलाल लोधी	181.7
46	सियाराम पुत्र श्यामलाल लोधी	161.63
47	कमलसिंह पुत्र श्यामलाल लोधी	25
48	करतूरीवाई पत्नि श्यामलाल लोधी	122.5
49	बादलसिंह पुत्र नारायणसिंह बुन्देला	104.57
50	सुखपालसिंह पुत्र रतनसिंह बुन्देला	170.3
51	छोटेराजा पुत्र नारायणसिंह बुन्देला (मकान. नं. 40 पर भी)	195.51
52	केसरसिंह पुत्र रतनसिंह बुन्देला	270.28
53	भैयालाल पुत्र पन्नालाल	7.5
54	जगदीशसिंह पुत्र बुद्धसिंह बुन्देला	142.98
55	दयालसिंह पुत्र मसल्लती परिहार	146.33
56	रामस्वरूप पुत्र मसल्लती परिहार	177.14
57	जाहर पुत्र तोरन परिहार	80.84
58	तोरनसिंह पुत्र पुन्नालाल परिहार	134.61
59	मेहरवान पुत्र तोरनसिंह	33.14
60	सरदारसिंह पुत्र अमानसिंह बुन्देला	569.75
61	राजपालसिंह पुत्र परमालसिंह बुन्देला	197.45
62	परमालसिंह पुत्र अमानसिंह बुन्देला	46.53
63	विजयसिंह पुत्र परमालसिंह बुन्देला	159.18
64	देवीसिंह पुत्र परमालसिंह बुन्देला	33.85
65	अवतरसिंह पुत्र परमालसिंह बुन्देला	305.24
66	भजना पुत्र सूरतिया प्रजापति	108.23
67	विजयराम पुत्र सूरतिया प्रजापति	70.41
68	सूरतिया पुत्र जुग्गे प्रजापति	113.6
69	मुन्ना पुत्र सूरतिया प्रजापति	36.12
70	कूपाल पुत्र हरिया अहिरवार	88.4
71	हरदास पुत्र भुजभा अहिरवार	36.65

72	206	शिवदयाल पुत्र हरदास अहिरवार	66.62
73	206	रामगोपाल पुत्र हरदास अहिरवार	58.4
74	206	अशोक पुत्र हरदास अहिरवार	60.44
75	206	सियाराम पुत्र हरदास अहिरवार	43.97
76		बेटीवाई वेवा हरिया अहिरवार	122.55
77		नाथूराम पुत्र भग्गीराम अहिरवार	138.53
78		महेशकुमार पुत्र नाथूराम अहिरवार	73.59
79		रामपाल पुत्र गुलाब वंशकार	68.87
80		अर्जुनसिंह पुत्र धनुराम अहिरवार	128.33
81		कमलसिंह पुत्र अर्जुनसिंह अहिरवार	81.81
82		भैयालाल पुत्र नन्दा अहिरवार	64.78
83		नेतराम पुत्र भैयालाल अहिरवार	23.98
84		गनेश पुत्र भैयालाल अहिरवार	23.98
85		भंवरलाल पुत्र नंदलाल अहिरवार	3.23
86		रामावाई पत्नि शिवचरण अहिरवार	67.98
87		सुरेश पुत्र पल्लूराम अहिरवार	36.43
88		राजेश पुत्र पल्लूराम अहिरवार	58.51
89		शालिकराम पुत्र पल्लूराम अहिरवार	34.44
90		पल्लूराम पुत्र उददा अहिरवार	64.1
91		मुकेश पुत्र धनुराम अहिरवार	50.46
92		अर्जुन पुत्र धनुराम अहिरवार	104.67
93		रामदास पुत्र धनीराम अहिरवार	68.91
94		हरीलाल पुत्र धनुराम अहिरवार	118.81
95		शिवप्रसाद पुत्र धनुराम अहिरवार	46.44
96	247	पल्लूराम पुत्र बुद्ध अहिरवार	102.9
97	247	सुरेश पुत्र पल्लूराम अहिरवार	54.86
98		शालिकराम पुत्र कल्लूराम जाटव	19.89
99		अनीतावाई वेवा कल्यान झां	245.24
100		देवीसिंह पुत्र परमालसिंह बुन्देला	371.15
101		लालाराम पुत्र निरमा रजक	79.28
102		निरभी पुत्र दौला रजक	19.56
103		दामोदर प्रकाश पुत्र हरलाल लुहारा	99.1
104		मानसिंह पुत्र धीरजसिंह यादव	118.98
105		धीरजसिंह पुत्र हरनामसिंह यादव	27.72
106		धर्मेन्द्र पुत्र खलकसिंह यादव	15
107		रामचरण पुत्र निरभें पाल	202.33
108		वृगभान पुत्र रमुला पात	74.88

109	सियाराम पुत्र रमू पाल	77.7
110	भूपेन्द्रसिंह पुत्र सूरतसिंह बुन्देला	102.59
111	सैधपालसिंह पुत्र शंकरसिंह बुन्देला	220.47
112	करतारसिंह पुत्र शंकरसिंह बुन्देला	224.54
113	शंकरसिंह पुत्र नाहरसिंह बुन्देला	390.93
114	रामदयाल पुत्र भूरे पाल	28.7
115	मोतीलाल पुत्र कामोद पाल	193.91
116	खुशीराम पुत्र मोतीलाल पाल	98.4
117	रामदीन पुत्र दुर्जन पाल	21.6
118	जग्गू पुत्र दुर्जन पाल	92.36
119	मेवालाल पुत्र दुर्जन पाल	116.52
120	परसू पुत्र दौलतराम पाल	213.14
121	लालसिंह पुत्र दौलतराम पाल	144.09
122	राजाराम पुत्र लालसिंह पाल	143.14
123	शोभाराम पुत्र कन्हैयालाल पाल	531.52
124	कन्हैयालाल पुत्र दौलतराम पाल	52.48
125	घूमनसिंह पुत्र प्यारेजू पाल	19.8
126	कैलाश पुत्र निरपी पाल	9
127	रामस्वरूप पुत्र कन्हैया आदिवासी	103.43
128	सुखवीर पुत्र रामस्वरूप आदिवासी	31.35
129	निर्मय पुत्र रामस्वरूप आदिवासी	25.35
130	अमरसिंह पुत्र रामस्वरूप आदिवासी	48.66
131	शिशुपाल पुत्र भगवानसिंह यादव	195.8
132	जामदार पुत्र प्रीतम आदिवासी	61.44
133	चन्द्रमान पुत्र जामदार आदिवासी	63.05
134	हरनाम पुत्र ग्यासी आदिवासी	45.37
135	ग्यासी पुत्र भैयालाल आदिवासी	32.65
136	गज्जू पुत्र चुन्ना आदिवासी	54.21
137	जगदीश पुत्र गज्जू आदिवासी	45.83
138	शिवराजसिंह पुत्र गज्जू आदिवासी	53.37
139	शिशुपाल पुत्र दम्पा आदिवासी	58.61
140	कृपालसिंह पुत्र दम्पा आदिवासी	103.54
141	सिरनाम पुत्र दयाला आदिवासी	44.05
142	भगवानसिंह पुत्र केदारसिंह आदिवासी	82.18
143	गब्बरसिंह पुत्र केदारसिंह आदिवासी	44.73
144	हरीराम पुत्र नेहरू आदिवासी	54.17
145	चउदा पुत्र पुसुआ आदिवासी	25.03

146	लालाराम पुत्र चउदा आदिवासी	93.88
147	राधावाई वेवा रतना आदिवासी	38.88
148	नारायण पुत्र रतना आदिवासी	51.53
149	राजकुमारी पत्नि रतना आदिवासी	37.31
150	गब्बरसिंह पुत्र सरदारसिंह बुन्देला	20.65
151	कम्पी पुत्र चैता आदिवासी	28.05
152	रामराजा पुत्र मोहलाल आदिवासी	88.27
153	फूला पत्नि कम्पा आदिवासी	50.35
154	वंशिया पत्नि कम्पा आदिवासी	130.05
155	अशोक पुत्र लक्षमन आदिवासी	30.8
156	लक्षमन पुत्र कम्पा आदिवासी	50.48
157	कल्ला पुत्र गुमान आदिवासी	54.82
158	कमलसिंह पुत्र गुमान आदिवासी	64.65
159	गुमान पुत्र गम्भीरा आदिवासी	38.5
160	पच्चुआ पुत्र ललचुआ आदिवासी	53.67
161	शोभाराम पुत्र पच्चुआ आदिवासी	20.3
162	हरभान पुत्र बाबूलाल आदिवासी	40.95
163	कैलाश पुत्र दयाला आदिवासी	35.97
164	रामदास पुत्र दयाला आदिवासी	14
165	दयाला पुत्र ग्यासा आदिवासी	9
166	रजियावाई पत्नि ऊधम आदिवासी	30.15
167	अर्जुना पुत्र शंकरा आदिवासी	17.4
168	राधा पुत्री अर्जुन आदिवासी	36.4
169	सिरपाल पुत्र रामचरन आदिवासी	17.4
170	कोमल पुत्र भूरा आदिवासी	69.46
171	सुखवीर पुत्र रामस्वरूप आदिवासी	24.5
172	अमरसिंह पुत्र रामस्वरूप आदिवासी	24.5
173	जाहरसिंह पुत्र वंशिया आदिवासी	38.15
174	हिम्मतसिंह पुत्र जाहरसिंह आदिवासी	29.8
175	सुजानसिंह पुत्र जाहरसिंह आदिवासी	37.84
176	जालम पुत्र पच्चुआ आदिवासी	16.8
177	तोरन पुत्र पच्चुआ आदिवासी	86.45
178	जनको वेवा पच्चुआ आदिवासी	16.53
179	मनोज पुत्र मंगू आदिवासी	31.98
180	मनको वेवा मंगू आदिवासी	38.24
181	प्रताप पुत्र कल्यान आदिवासी	72.29
182	कोमल पुत्र कल्यान आदिवासी	55.4

183	लाडले पुत्र कमला आदिवासी	54.03
184	मिश्रीलाल पुत्र लाडले आदिवासी	111.26
185	पूरनसिंह पुत्र लाडले आदिवासी	74.98
186	शिबू पुत्र पूरन आदिवासी	24.32
187	कल्याण पुत्र लाडले आदिवासी	20.54
188	कप्तान पुत्र प्रीतम आदिवासी	83.37
189	पन्नीलाल पुत्र प्रीतम आदिवासी	116.04
190	फूलचन्द्र पुत्र प्रीतम आदिवासी	76.87
191	विन्नावार्ड वेवा पीतम आदिवासी	9
192	मन्नू पुत्र अपरा आदिवासी	38.06
193	पप्पूराजा पुत्र धीरजसिंह चौहान	103.55
194	रामजू पुत्र धीरजसिंह चौहान	151.73
195	शंकरसिंह पुत्र धीरजसिंह चौहान	227.15
196	बुन्देल पुत्र फूलसिंह पाल	150.89
197	अमरसिंह पुत्र रामलाल पाल	46.91
198	पारवती पुत्र सुम्मा पाल	113.98
199	वीरनसिंह पुत्र सूरतिया प्रजापति	223.25
200	मोहन(मोहली) पुत्र कम्मा आदिवासी	21.85
201	मेहरवान पुत्र मोहन आदिवासी	59.13
202	प्रभूदयाल पुत्र मोहन आदिवासी	57.4
203	नन्नू पुत्र चम्पा आदिवासी	19.89
204	सुजान पुत्र नन्नू आदिवासी	26.95
205	बाबूलाल पुत्र रतना आदिवासी	53.06
206	रामसिंह पुत्र बाबूलाल आदिवासी	30.34
207	भारतसिंह पुत्र बाबूलाल आदिवासी	8.99
208	वलवान पुत्र ऊधमसिंह आदिवासी	52.84
209	रजिया पत्नि ऊधमसिंह आदिवासी	13.86
210	रामबाबू (बाबूलालसिंह) पुत्र ऊधमसिंह आदिवासी	45.82
211	फूलसिंह पुत्र अमरसिंह पाल	100.68
212	अमरसिंह पुत्र रामलाल पाल	97.36
213	बालकिशन पुत्र ऊधमसिंह आदिवासी	37.95
214	लुडकियावार्ड वेवा नेहरू	37.86
215	रामलाल पुत्र नेहरू आदिवासी	34
216	सुदामा वेवा गिरवरसिंह यादव	97.11
217	बादामसिंह पुत्र गिरवरसिंह यादव	98.38
218	श्रीवार्ड पत्नि वेवा घूमनसिंह यादव	41.75

219		बृजलाल पुत्र केदार आदिवासी	13.02
220		हरको वेवा केदार आदिवासी	11.7
221		रामकिशन पुत्र ऊधमसिंह यादव	67.42
222		पहलवान पुत्र ऊधमसिंह यादव	42.77
223		कल्लू पुत्र ऊधमसिंह यादव	15
224		जाहर पुत्र तोरन परिहार	82.59
225		रामलाल पुत्र पन्ने पाल	27.95
226		गारेलाल पुत्र निर्मय पाल	83.09
227		मेहरवान पुत्र गोरेलाल पाल	99.37
228		हरभजन पुत्र गोरेलाल पाल	48.21
229		देशराज(देशपाल) पुत्र गोरेलाल पाल	39.84
230		हरज्ञान पुत्र बाबूलाल रजक	51.6
231		जगराम पुत्र बाबूलाल रजक	78.38
232		केवल पुत्र बाबूलाल रजक	66.09
233		गुलाबसिंह पुत्र दुर्जन पाल	157.51
234		रामदीन पुत्र दुर्जन पाल	117.1
235		हरचरण पुत्र दुर्जन पाल	55.04
236		रामजीलाल (राधेलाल) पुत्र हरचरण पाल	108.26
237		दीना पुत्र ग्यासी रजक	139.52
238		जयराम पुत्र ग्यासीराम रजक	185.52
239		भालचन्द्र पुत्र हरप्रसाद लोधी	216.94
240		फेरन पुत्र ग्यासी रजक	128.55
241		विजन्दर पुत्र फेरन रजक	55.75
242		दीपक पुत्र फेरन रजक	16.45
243	241 / 1 / 2	करतारसिंह पुत्र शंकरसिंह बुन्देला	24.20
244	231	अनीतावाई पुत्री पंचमसिंह, श्रीवाई वेवा पंचमसिंह यादव, देशराज पुत्र बृजलाल लोधी, दसियावाई पुत्री नन्हेंजू यादव, प्रादर्श पुत्र संतोष, सुमन पुत्री सरमां, सोमकला हिरकवा जाति सुमन	9.00
245	138	हरदास पुत्र भजुआ अहिरवार, खलकसिंह पुत्र हरनामसिंह यादव बेटीवाई वेवा हरिया, कृपाल तुला, देवेन्द्र पुत्र हरिया, कलावती, लीलावती, शेषकुंवर, रामवती, छाया पुत्री हरिया अहिरवार गुलाबवाई पत्नि देशराज लोधी शिवदयाल, अशोक पुत्र हरदास अहिरवार, ललीराम पुत्र महाराजसिंह	399.00
246	140, 141, 142, 114, 115	गजाधर, गोकल पुत्रगण भगुनसिंह लोधी	59.32

247	144, 146, 228, 239	प्रेमवाई वेवा बृजलाल, देशराज, राजाराम पुत्र बृजलाल नत्थु पुत्र गनपत लोधी	249.30
248	43	प्रेमवाई वेवा बृजलाल	13.50
249	147	संतोकसिंह पुत्र गोविन्दसिंह ठाकुर	24.00
250	121, 126	निरभा, ग्यासिया बाबू पुत्रगण दोला धोबी	14.00
251	105 / मिन 2	कस्तूरी वेवा श्यामलाल, सियाराम महाराजसिंह कमलसिंह, वीरभानसिंह पुत्र श्यामलाल रेखा पुत्री श्यामलाल, रामसेवक, उदयभान प्रकाश सविता पुत्री प्रकाश लोधी	33.70
252	113	शिवराजसिंह पुत्र होरलसिंह सियावाई, प्रेमवाई पुत्री होरलसिंह यादव	4.00
253	97	जसमनसिंह पुत्र गनपतसिंह सूमत्रवाई वेवा गनपतसिंह ठाकुर	4.00
254	91	मेहतावसिंह पुत्र हीरालाल, अतलकुंवर वेवा भगवानसिंह राजेन्द्र, प्रभानसिंह, शिशुपालसिंह, इंदरसिंह, बलवीरसिंह पुत्रगण भगवानसिंह, सुशीला पुत्री भगवानसिंह यादव	3.24
255	81	गिरवरसिंह, उधमसिंह पुत्र समरथसिंह पुनिया, कपूरीवाई पुत्री सरमथसिंह निरपतसिंह पुत्र चूखरे रामसहाय पुत्र दंगलसिंह यादव	7.00
256	42 / 1	दयाराम, रामस्वरूप पुत्रगण मसलती खंगार	38.00
257	86 / 6	कम्मा पुत्र चैता आदिवासी (निमार्णकर्ता पुजारी काशीराम पुत्र हरनामसिंह यादव)	54.88
258	86 / 3	प्यारेराजा पुत्र रघुवीरसिंह ठाकुर	5.00
259	74 / 4	काशीराम, तोफानसिंह, धीरजसिंह, रामसिंह, खलकसिंह पुत्रगण हरलालसिंह यादव	37.80
260	68	राजामेया, छोटैराजा पुत्रगण नारायनसिंह पूरखनवाई वेवा नारायनसिंह ठाकुर	19.47
261	58, 54, 60	छोटैराजा पुत्र नारायनसिंह ठाकुर	33.00
262	5 / 1 / 12	रामरतन, रतीराम सुरेन्द्रसिंह पुत्रगण नारानसिंह द्रगपालसिंह पुत्र वीरसिंह यादव	9.00
263	21 मिन 2	जशरथसिंह, शिशुपालसिंह पुत्र भानसिंह पाल	12.00
264	272 / 1 / मिन -15	बलवान पुत्र उधमसिंह सेहर	12.00
265	272 / 1 / मिन-4	अर्जना पुत्र शंकरा रावत (आदिवासी)	9.00
266	272 / 33	लीलावाई पत्नि रामचरण गडरिया	12.00
267	272 / 56	फूलसिंह, अमरसिंह कुवरपाल पुत्र रामलाल गडरिया	5.00
268	272 / 73	शोभाराम पुत्र कन्हैया गडरिया	20.75
269	272 / 25	रामस्वरूप पुत्र कन्हैया, गीता पुत्री कन्हैया आदिवासी	9.00
270	272 / 1 मिन 13	तोरन पुत्र पचुआ आदिवासी	12.00

271	272/53	अतलकुंवर वेवा भगवानसिंह, राजेन्द्रसिंह, प्रभानसिंह, शिशुपालसिंह इंदरसिंह वलीसिंह पुत्रगण भगवानसिंह, सुशील पुत्री भगवानसिंह हीरालाल यादव	16.00
272	272/76	लुडकिया वेवा नेहरू, हरीराम रामलाल पुत्रगण नेहरू गोमाबारी मूनीवाई, रामा श्रीवाई पुत्रीया नेहरू आदिवासी	12.00
273	272/1/मिन 14	रामलाल पुत्र नेहरू आदिवासी	9.00
274	272/1/1/22	प्रीतम पुत्र मंजू सेहरिया	9.00
275	272/79	कृपाल पुत्र दम्मा आदिवासी	12.00
276	272/28	दमोदर पुत्र हरलाल लुहार	5.50
277	272/49	घनश्याम पुत्र चंपालाल लुहार	10.00
278	272/1/1/13	देवसिंह बल्लू पुत्र ग्यारसी	12.00
279	272/77, 273/11	कल्यान पुत्र लाडले आदिवासी	22.70
280	272/70	गज्जू पुत्र चून्ना आदिवासी	2.25
281	272/39	नल्युसिंह पुत्र बुद्धसिंह ठाकुर, विजय कनकने पुत्र राजेन्द्र कनकने गुला	10.50
282	26/10	रामस्वरूप कन्हैया गीता पुत्री कन्हैया, पचुआ हलकुआ सेहरिया	16.50
283	26/5	शंकरसिंह पुत्र नाहरसिंह ठाकुर	9.00
284	26/2	चऊआ पुत्र ग्यारसा रावत	14.00
285	5/12	प्रभू, केशरी रामसिंह पुत्र चउआ सुमन्तरावई वेवा मुलायमसिंह भगवानसिंह पुत्र मुलायमसिंह नेवावाई पुत्री मुलायमसिंह रावत	4.00
286	5/1/10	राजकुंवर पत्नि मेहतावसिंह यादव	9.00
287	5/9	रामसिंह पुत्र हरनामसिंह खलकसिंह पुत्र हरनामसिंह यादव	9.00
288	5/13/2	रामजूरारा पुत्री पूरनसिंह ठाकुर	13.20
289	5/2/6	गुडडीवाई पत्नि खलकसिंह यादव	4.00
290	25	मिथला पुत्री कुंवरराज यादव	4.00
291	272/2	दयाला पुत्र मसल्ली खंगार	3.85
292	272/4	परमालसिंह पुत्र अमानसिंह ठाकुर	8.45
293	272/5	चूमनसिंह पुत्र धरेजू ठाकुर	1.50
294	272/74	हरदास पुत्र भुजुआ चमार	14.94
295	272/29	घनश्याम पुत्र चंपालाल लुहार	4.60
296	86/1/5, 214	सूरतसिंह पुत्र परमालसिंह ठाकुर	15.00
297	86/1/4	प्यारेराजा पुत्र रघुवीरसिंह छोटीराजा वेवा लाखनसिंह कमलकुंवर वेवा रघुवीरसिंह शंकरसिंह पुत्र नाहरसिंह बुन्देला	9.00
298	205	नल्युसिंह, जगदीशसिंह, राजभानसिंह पुत्र बुद्धसिंह नन्नीराजा, मझलीराजा, हल्कीराजा पुत्रीया बुद्धसिंह ठाकुर	9.00
299	272/15/1	भैयालाल पुत्र नन्दा चमार	104.16
300	246	कोमल पुत्र भूरा	12.00
301	284/84	नल्युसिंह, जगदीशसिंह, राजभानसिंह पुत्र बुद्धसिंह बुन्देला	6.00
302	272/21	सूरतिया पुत्र जग्गा कुम्हार	6.00
303	272/85	रमकोवाई पत्नि लाल सिंह पाल	9.00
304	272/31	कृपाशंकर पुत्र नाथूराम ब्राम्हरण	9.25

(2) लोअर ओर बांध परियोजना अंतर्गत डूब में आने से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्देरी में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 0007-अ-82-2017-18

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि / मकान / परिसम्पत्तियों धाराकों के अंकित मकान / परिसम्पत्ति की लोअर ओर बांध परियोजना के अंतर्गत डूब में आने से राज्य सरकार का संबंधित विभाग, उपक्रम मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः म.प्र. शासन राज्य विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2/2014 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को मकान / परिसम्पत्ति आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 की धारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकान / परिसम्पत्ति को उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

1. मकान / परिसम्पत्ति का विवरण :-
 - (क) जिला - अशोकनगर (म.प्र.)
 - (ख) तहसील - चन्देरी
 - (ग) ग्राम - किरार्या
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल - 6522.68 वर्ग मीटर

सं. क्र.	आबादी खसरा नं.	मकान स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित मकान का क्षेत्रफल वर्ग मी. में
1	2	3	4
1	146,204,214	हरभान पुत्र कसिया आदिवासी	78.86
2		संजय पुत्र कसिया आदिवासी	41.90
3		भागीरथ पुत्र कसिया आदिवासी	24.60
4		कसिया पुत्र परमा आदिवासी	43.62
5		हज्जु पुत्र रजइवा आदिवासी	25.34
6		कप्तान पुत्र हज्जु आदिवासी	29.14
7		सोनू पुत्र हज्जु आदिवासी	21.50
8		करनसिंह पुत्र दुर्गासिंह ठाकुर	10.14
9		धूवन पुत्र हल्के आदिवासी	14.00
10		सुनील पुत्र धूवन आदिवासी	35.98
11		निमिया देवा महिषा आदिवासी	20.39
12		विजय पुत्र हरसींगा आदिवासी	16.28
13		सिरनाम पुत्र सोमा आदिवासी	18.85
14		बादाम पुत्र सिरनाम आदिवासी	34.10
15		कैरन पुत्र सिरनाम आदिवासी	26.94
16		ओमकार पुत्र हल्के आदिवासी	28.38
17		परमालसिंह पुत्र दुर्गासिंह परमार	23.37
18		वीरन पुत्र मोती आदिवासी	12.00
19		नीलमा पुत्र श्यामा आदिवासी	44.24
20		ब्रजमान पुत्र रघुवर आदिवासी	22.00
21		रामदयाल पुत्र मुल्ला आदिवासी	15.20
22		सुरेश पुत्र दयाराम आदिवासी	12.97
23		दीपेन्द्र पुत्र दयाराम आदिवासी	14.08
24		दयाराम पुत्र भन्ता आदिवासी	41.18
25		भन्ता पुत्र सुक्का आदिवासी	24.20
26		कल्लोवाई देवा रजुआ आदिवासी	50.00
27		बुन्देला पुत्र करन आदिवासी	17.39
28		भगू पुत्र हल्के आदिवासी	22.18

29	लल्लू पुत्र हल्के आदिवासी	17.50
30	खूमना पुत्र रमला आदिवासी	16.38
31	रमला पुत्र रजुआ आदिवासी	26.01
32	लालाराम पुत्र बल्ला आदिवासी	29.22
33	परसादी पुत्र बल्ला आदिवासी	56.14
34	शिवराज पुत्र कन्जु आदिवासी	25.28
35	कन्जु पुत्र बल्ला आदिवासी	48.01
36	राजाराम पुत्र कन्जु आदिवासी	20.76
37	गनेशीवाई वेवा कम्मोदा आदिवासी	9.00
38	नंदलाल पुत्र पुनवा आदिवासी	46.39
39	कुन्तीवाई वेवा कोमल आदिवासी	11.16
40	रामचरण पुत्र कोमल आदिवासी	24.99
41	गजराम पुत्र मोनी आदिवासी	69.00
42	धन्जु पुत्र विहारी आदिवासी	90.00
43	मुलाम पुत्र रामचरण आदिवासी	18.25
44	रतिराम पुत्र सिरनाम आदिवासी	46.99
45	वीरन पुत्र कोमल आदिवासी	40.05
46	बबलू पुत्र भैयालाल आदिवासी	66.78
47	प्रहलाद पुत्र इमरत आदिवासी	35.05
48	भागीरथ पुत्र रामलाल आदिवासी	6.96
49	हल्कू पुत्र बिहारी आदिवासी	96.41
50	पिस्ता पत्नी मेहरवान आदिवासी	25.04
51	हरीराम पुत्र हल्कू आदिवासी	25.04
52	अजुददी वेवा हरजुआ आदिवासी	28.50
53	शांतिवाई वेवा मोनी आदिवासी	24.15
54	शेरसिंह पुत्र मौजी आदिवासी	58.47
55	श्रीराम पुत्र धन्जु आदिवासी	88.54
56	महाराजसिंह पुत्र धन्जु आदिवासी	56.40
57	तुलसीराम पुत्र मन्नु आदिवासी	100.70
58	कल्याण पुत्र हल्कू आदिवासी	100.08
59	भीकम पुत्र हल्कू आदिवासी	75.61

60		राजकुमार पुत्र श्रीपत आदिवासी	42.12
61		दिविया पुत्र कलुआ आदिवासी	70.80
62		भैयालाल पुत्र रंजीता आदिवासी	38.30
63		रामदास पुत्र भैयालाल आदिवासी	58.47
64		रतना पुत्र कलुआ आदिवासी	64.33
65		परताप पुत्र रतना आदिवासी	84.38
66		बुलन्दी पुत्र रतना आदिवासी	45.40
67		जगभान पुत्र रतना आदिवासी	22.73
68		संतराम पुत्र वंशिया आदिवासी	31.34
69		राजकुमार पुत्र परसादी आदिवासी	16.43
70		भैरो पुत्र मुल्ला आदिवासी	58.89
71		रामदयाल पुत्र मुल्ला	68.92
72		वृजभानसिंह पुत्र दुर्गासिंह ठाकुर	64.91
73		वलवीर पुत्र प्यारेलाल आदिवासी	31.00
74		छत्ता पुत्र बल्ला आदिवासी	62.25
75		तोरन पुत्र छत्ता आदिवासी	45.97
76		मोहन पुत्र छत्ता आदिवासी	33.54
77		मानसिंह पुत्र प्यारेलाल आदिवासी	29.29
78		प्यारेलाल पुत्र विज्जा आदिवासी	53.54
79	124 / 2	रघुवर पुत्र मुल्ला आदिवासी	41.06
80	124 / 6	धिरन पुत्र दिस्सा आदिवासी	40.92
81	124 / 5	लछुआ पुत्र सुक्का आदिवासी	36.34
82	124 / 5	बल्ला पुत्र सुक्का आदिवासी	10.14
83	124 / 4	सिरनाम पुत्र कोमल आदिवासी	48.89
84	124 / 4	उधम पुत्र कोमल आदिवासी	30.96
85	47	रामस्वरूप पुत्र रामचरण आदिवासी	38.78
86	124 / 4	शिवराज पुत्र कोमल आदिवासी	36.92
87	24 / 9	मल्लूलाल पुत्र हल्कू आदिवासी	50.28
88	124 / 1 / 4	प्रभू पुत्र हरजुआ आदिवासी	49.00
89	124 / 1 / 1	श्रीपत पुत्र कलुआ आदिवासी	32.20
90	124 / 2	रामदयाल, भैरो, रघुवर पुत्र मुल्ला आदिवासी (समी का बराबर दिस्सा)	49.76

91	124/1/11 मिन	इमरत पुत्र सोमा आदिवासी	55.87
92	124/1/11 मिन	रामसेवक पुत्र इमरत आदिवासी	11.70
93	113	इमरत पुत्र राजधर लोधी	65.35
94	113	दयाराम, किशन पुत्रगण आशाराम लोधी	154.33
95	105	रामस्वरूप पुत्र लालचन्द बढाई	28.05
96	109	लखानसिंह पुत्र मजबूतसिंह ठाकुर	32.31
97	103/2	प्रीतमसिंह पुत्र मोतीलाल लोधी	310.90
98	103/2	जाहरसिंह पुत्र मोतीलाल लोधी	427.18
99	103/2	भैरो पुत्र मोतीलाल लोधी	175.67
100	103/2	हरवान पुत्र मोतीलाल लोधी	221.65
101	103/2	सिरनाम पुत्र बुद्धसिंह लोधी	125.44
102	103 (शासकीय)	प्याराराजा पुत्र भवूतसिंह ठाकुर	121.66
103	103 (शासकीय)	नन्हेंराजा पुत्र भवूतसिंह ठाकुर	173.59
104	103 (शासकीय)	राजेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह ठाकुर	18.55
105	103 (शासकीय)	जण्डेलसिंह पुत्र वीरसिंह ठाकुर	54.39
106	103 (शासकीय)	मुन्नीवाई वेवा सूरतसिंह ठाकुर	62.90
107	103 (शासकीय)	केदारसिंह पुत्र वीरसिंह ठाकुर	66.76
108	103 (शासकीय)	सुल्तानसिंह पुत्र बन्देवसिंह ठाकुर	65.49
109	103 (शासकीय)	सुखपालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह ठाकुर	326.72
110	103 (शासकीय)	भैरो पुत्र लाडले विश्वकर्मा	56.43
111	103 (शासकीय)	अशोक पुत्र भैरो विश्वकर्मा	61.28
112	103 (शासकीय)	महेन्द्र पुत्र भैरो विश्वकर्मा निवासी पहाड़पुर	37.83
113	113	लक्ष्मण पुत्र राजधर लोधी निवासी पहाड़पुर	187.22
114	3/4	चउआ पुत्र खूबा लोधी	5.00
115	4/1	मलखानसिंह पुत्र मजबूतसिंह ठाकुर	4.00
116	3/13	हल्का पुत्र मुल्ला आदिवासी	4.00
117	15/1	देशराजसिंह पुत्र दशरथसिंह लोधी	4.00
118	12	लक्ष्मण पुत्र राजधर लोधी	4.00
119	49	जण्डेलसिंह पुत्र वीरसिंह ठाकुर	3.91
120	90/7	सम्भा पुत्र लाडले गडरिया	117.02

(2) लोअर ओर बांध परियोजना अंतर्गत डूब में आने से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्देरी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मंजू शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक बं.श्र.-2018-36-18

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2018

आदेश

बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 (2) के प्रावधानों के अनुसार भोपाल जिले में जिला स्तरीय बंधक सतर्कता समिति का पुर्नगठन आदेश क्रमांक/सश्रआ/भोसंभो/2017/149-58 दिनांक 09.01.2018 को किया गया था। अधिनियम की धारा 13 (2) (e) के तहत जिला अग्रणी बैंक अधिकारी को समिति में सदस्य नामांकित किया जाता है। संशोधन उपरांत समिति निम्नानुसार होगी :-

// बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति //

क्र.	कार्यालय अधिकारी/सदस्यों का नाम	पद
01	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भोपाल	अध्यक्ष
02	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल	सदस्य
03	पुलिस अधीक्षक साउथ भोपाल	सदस्य
04	पुलिस अधीक्षक नॉर्थ भोपाल	सदस्य
05	जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण भोपाल	सदस्य
06	सहायक श्रमायुक्त भोपाल	सदस्य
07	श्री नाथूराम सोनी, 209 हनुमान मंदिर के पास जे.पी. नगर भोपाल	सदस्य
08	श्री सुभाष पगारे, 29, गीता भवन रविदास नगर, इंद्रपुरी भोपाल	सदस्य
09	श्री बालेलाल अहिरवार, म.नं. 677/ए टाईप सेक्टर बरखेडा भोपाल	सदस्य
10	श्री रामप्रसाद चन्दौरिया, 19 गरम गड्डा रोड, चांदबड़ भोपाल	सदस्य
11	श्री बालिस्ता रावत, म.नं. 99 फेस-2 शिवनगर कालोनी विदिशा रोड भोपाल	सदस्य
12	अग्रणी बैंक अधिकारी भोपाल	सदस्य

सुदाम खाडे, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 सितम्बर 2018

पत्र क्र. 1572-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18-शुद्धि-पत्र.—एतद्वारा बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले ग्राम डिहिया कोठार, तह.—मनगवां, जिला रीवा का भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत धारा 11 एवं धारा 19 का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 02 अगस्त 2017 एवं 17 नवम्बर 2017 को म. प्र. राजपत्र भाग-1 में किया जा चुका है, किन्तु टंकण त्रुटिवश तहसील मनगवां के स्थान पर तहसील सिरमौर प्रकाशित हो गया है, जबकि वास्तविक रूप से ग्राम डिहिया कोठार की तहसील मनगवां है।

अतः उक्त ग्राम डिहिया कोठार की तहसील सिरमौर, जिला रीवा के स्थान पर तहसील मनगवां, जिला रीवा, पढ़ा, समझा एवं जाना जावे।

पत्र क्र. 1564-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	धौरहरा	2.577	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्यौंटी मुख्य नहर की धौरहरा माइनर नं.-1 एवं धौरहरा माइनर नं.-2 में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन, एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1566-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चु.	मदनुआ-513	1.989	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्यौंटी मुख्य नहर की बुढ़िया माइनर नं.-2 में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन, एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1568-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	कंदैला पैपखार.	0.221	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत कंदैला माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1570-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4)

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	कठेरी	0.300	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्यौंटी मुख्य नहर की कठेरी माइनर नं.-1 में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 सितम्बर 2018

क्र. 8231-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

- (2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-3-2017-2018-ल.सि.-31-1358, भोपाल, दिनांक 19 जून 2018 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत" सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-बांढा, प.ह.नं.-53/78, ब. नं.-529, रा.नि.मं. इकलबिहरी.	रकबा-03.021 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	रंगारी जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना, उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 8232-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-3-2017-2018-ल.सि.-31-1358, भोपाल, दिनांक 19 जून 2018 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत" सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-रंगारी तालाब, प.ह.नं.-53/78, ब. नं.-500, रा.नि.मं.- इकलबिहरी.	रकबा-33.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	रंगारी जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)				अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3)				अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4)				अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौंसर, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5)				अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्रों, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6)				अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना, उपसंभाग क्रमांक-2, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7)				अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8233-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन,

इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-3-2017-2018-ल.सि.-31-1358, भोपाल, दिनांक 19 जून 2018 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत" सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-डोडिया, प.ह.नं.-02, ब. नं.-230, रा.नि.मं.- सावरी.	रकबा-08.430 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	हीरावाडी जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हर्गांव नहर परियोजना, उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 8234-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-3-2017-2018-ल.सि.-31-1358, भोपाल, दिनांक 19 जून 2018 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत" सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-हीरावाडी, प.ह.नं.-02, ब. नं.-604, रा.नि.मं.- सावरी.	रकबा-18.600 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	हीरावाडी जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना, उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

आगर-मालवा, दिनांक 10 सितम्बर 2018

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के	सार्वजनिक परियोजना का
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	नलखेड़ा	कोढडी	1.671	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बांयी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के	सार्वजनिक परियोजना का
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	नलखेड़ा	मोल्याखेड़ी	2.029	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बांयी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	नलखेड़ा	हिरनखेड़ी	1.734	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बांयी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	नलखेड़ा	ताखला	0.861	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बांयी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	नलखेड़ा	देहरी गुर्जर	1.611	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बांयी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			कुल क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
आगर-मालवा	नलखेड़ा	धरोला	2.764	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बांयी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.	

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			कुल क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
आगर-मालवा	नलखेड़ा	गुर्जरखेड़ी	0.340	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बांयी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.	

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			कुल क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
आगर-मालवा	नलखेड़ा	लट्टरी गेहलोत	1.700	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बांयी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.	

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	नलखेड़ा	पडाना	0.570	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बांयी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	नलखेड़ा	रोजडी	0.901	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बांयी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	नलखेड़ा	सामरी	0.193	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बांयी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		कुल क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	नलखेडा	पिपल्या सोनगरा	0.989	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प, जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बायी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		कुल क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	सुसनेर	देवपुर	0.914	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प, जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बायी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		कुल क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	सुसनेर	सेकाखेडी	0.478	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प, जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बायी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	सुसनेर	पायली	0.594	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प, जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बायी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	सुसनेर	माण्डा	1.041	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प, जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बायी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	सुसनेर	बाजना	1.541	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प, जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बायी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	सुसनेर	सिरपोई	0.375	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प, जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बायी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	सुसनेर	अंतरालिया	0.064	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प, जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बायी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	सुसनेर	कजलास	0.013	परियोजना प्रबंधक कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प, जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बायी तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 715-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक परियोजना का विवरण
		ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	सुसनेर	घाटाखेड़ी	0.170	परियोजना प्रबंधक, कुण्डालिया नहर परियोजना एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ केम्प, जीरापुर.	कुण्डालिया परियोजना के बायीं तट के राइजिंग मैन पाइप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 2018

प्र. क्र. 4429-08-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	घाटली	0.360	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 21st August 2018

No. C-3750-II-15-50-87 Pt. VIII.—Pursuant to the order dated 13th August 2012 passed in the matter of Shramik Adivasi Sangthan Vs. State of Madhya Pradesh & Others SLP to Appeal Civil No. 15115/2011 directing constitution of District Level Grievance Redressal Authority for District Betul, Harda & Khandwa & in view of the Notification of the State Government, Department's of Home no. 21-225-2011-B(1)-II, daed 29th August 2012 Hon'ble the Chief Justice hereby nominates Chairperson of District Level Grievance Authority, as under:—

S. No.	Name of District	Name of Retired District Judge/Additional District Judge
(1)	(2)	(3)
1.	Betul	Shri Deorao Gujarkar Retd. District Judge (Entry Level), House no. 57, Kamthi Vihar, Noniya Karbal, Chhindwara, M. P. Mob. No. 9425839153.
2.	Khandwa	Shri Sanjay Kumar Jain (Sr.), Retd. District Judge (Selection Grade Scale), House no. 18, Panchwati Janki Nagar Extention, Indore, M. P. Mob. No. 7440641584, 8435965662.

By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND KUMAR SHUKLA, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 14 अगस्त 2018

क्र. A-2417-दो-2-115-2017.—श्री अंजनीनंदन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 23 से 25 अगस्त 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 अगस्त 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनीनंदन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनीनंदन जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2419-दो-2-80-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 17 से 20 जुलाई 2018 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 16 जुलाई 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2421-दो-2-41-2014.—श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 23 से 25 जुलाई 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2424-दो-2-92-2017.—श्री के. सी. यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 16 से 20 जुलाई 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जुलाई 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2426-दो-2-34-2018.—कु. नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 अप्रैल 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर कु. नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2428-दो-2-33-2018.—श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 6 से 11 अगस्त 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 अगस्त 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2430-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 16 से 20 जुलाई 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जुलाई 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2452-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 24 जुलाई से 3 अगस्त 2018 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-4281-दो-2-21-2018.—श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 26 से 28 जुलाई 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 28 अगस्त 2018

क्र. C-3944-दो-3-34-2013.—श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल का दिनांक 20 से 24 जुलाई 2018 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 जुलाई 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-3946-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 19 से 24 जुलाई 2018 तक छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 25 जुलाई 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3948-दो-2-10-2017.—श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 16 से 27 जुलाई 2018 तक बारह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3950-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनांक 1 से 4 अगस्त 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, 29 अगस्त 2018

क्र. B-4303-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 23 से 28 जुलाई 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5811-दो-2-5-2015.—श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 21 से 31 मई 2018 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्र. D-5807-दो-2-42-2017.—श्री रामेश्वर कोटे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 11 से 15 जून 2018 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 16 से 21 जून 2018 तक के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2018

क्र. C-4092-दो-2-70-2017.—श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 10 से 14 अगस्त 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अगस्त 2018 के स्थानीय अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4094-दो-2-57-2015.—श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 11 से 23 अगस्त 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्र. A-3043-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 13 अगस्त 2018 का एक दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3047-दो-2-51-2017.—श्री एस. बी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 14 से 16 अगस्त 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. बी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, dated 9th August 2018

No. 126-CJ-II-655.—WHEREAS, a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri Hitendra Kumar Mishra, the then II Additional District Judge, Shajapur, presently posted as Additional District Judge, Bhanpura, District Mandsaur for committing acts of grave misconduct.

AND, WHEREAS, serious nature of acts of misconduct warrant his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of M. P. Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court hereby places Shri Hitendra Kumar Mishra, the

then II Additional District Judge, Shajapur, presently posted as Additional District Judge, Bhanpura, District Mandsaur under suspension with the headquarters at Mandsaur. The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

Jabalpur, the 10th August 2018

No. 130-CJ-II-1503.—WHEREAS, a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri Navneet Singh Yadav, Civil Judge Class-II, Shahpura, District Dindori for involvement in activities of consuming liquor and creating nuisance in the train Indore-Jabalpur (Overnight Express) while travelling from Bhopal to Jabalpur in the night intervening 16th and 17th June 2018.

AND, WHEREAS, serious nature of acts of misconduct warrant his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of M. P. Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court hereby places Shri Navneet Singh Yadav, Civil Judge Class-II, Shahpura, District Dindori, under suspension with the headquarters at Dindori. The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court,
PRAKASH CHANDRA GUPTA, Principal Registrar
(Vigilance)

जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त 2018

क्र. D-5809-दो-2-56-2016.—श्री प्रेम नारायण सिंह, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 6 सितम्बर 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 एवं 3 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रेम नारायण सिंह, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रेम नारायण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (सतर्कता) के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.